राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक ५.] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ४४वां दिवस [संख्या ३५

शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६४।

विधान सभा की बैठक म. पू. ८.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया से प्राप्त सूचना विषयक अध्यक्षीय-घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि परसों तारीख २ अप्रेल, १९६४ को रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया का एक तार आया जिसके कुछ अंश मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"This Court has today fixed sixth of April, 1964 for fixing the date of hearng of special reference No. 1 of 1964 relating *inter alia* to the competency of the High Court to entertain and deal with petitions on behalf of persons sentenced to imprisonment by a Legislature for its contempt and has further directed that notice be issued to Hon'ble the Chief Justice and Judges of the High Court/Speaker to appear by Counsel before the Court on the said sixth day of April, 1964 and assist the Court in fixing the date of hearing. Formal notice issued separately.

उसके बाद कल वह औपचारिक नोटिस भी इस संबध में प्राप्त हो गया है।

इस संबंध में सदन में कुछ दिन पूर्व चर्चा हुई थी और माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस विषय पर रखे थे। आज सदन के विभिन्न दल व पार्टीज के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई गई है ताकि हाउस विचार-विमर्श करके इस नोटिस के संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जाय उस पर विचार किया जायगा।

माननीय सदस्यों को विदित है कि आज प्राइवेट मेम्बर्स डे है।....

राणा प्रताप सागर डेम पर मॉडर्न कन्सट्रक्सन कम्पनी के द्वारा मजदूरों को मिनिमम वेजेज न दिये जाने एवं अन्य स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : On a Point of Order Sir, मैंने एक एडजोनमेंन्ट मोशन का नोटिस दिया था अध्यक्ष महोदय। राणा प्रताप सागर डेम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में पिछले महीने वहां के मजदूरों की मिनिमम वेजेज के प्रश्न पर और साप्ताहिक छुट्टी के प्रश्न पर एक स्ट्राइक वहां पर हुई थी जिसको लेकर राज्य सरकार ने इन्टरवीन किया था, और वहां पर मॉडर्न कम्पनी और उनके बीच में समझौता करा के एक आर्बिट्रेटर को यह तमाम फैसला दिया गया था, परन्तु दुर्भाग्यवश अब आर्बिट्रेटर के सामने मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से कुछ फ्लिम्जी ऐसे ऑब्जेक्शन्स प्रोड्यूस किये गये जिनको ले कर आर्बिट्रेटर ने आगे कार्यवाही करना स्थगित कर दिया और उस मामले को वापिस लेबर कमिश्नर को रेफर कर दिया। इससे वहां पर मजदूरों में तीव्र असंतोष फैल गया है और उन्होंने यह सूचना दी है गवर्नमेन्ट को और हम को भी कि अगर ८ अप्रेल तक इस मामले का निपटारा नहीं किया तो मजदूरों को मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ेगा। अध्यक्षजी, यह एक इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट का प्रश्न है और जिस प्रश्न को लेकर मजदूरों में असंतोष हुआ है वह एक बेसिक क्वेश्चन है। जो मौजूदा कानून है मिनिमम वेजेज एक्ट उसकी खुली अवहेलना वहां की जा रही है, इसलिये पांच हजार मजदूर इससे अफेक्टेड हैं। इसलिये इसका बहुत बड़ा भारी असर उस पर पड़ेगा और राणा प्रताप सागर डेम की कन्स्ट्रक्शन के काम में भी रुकावट पैदा करेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया था सरकार ने, मगर दरअसल सरकार को खुद ही इस मसले पर लीगल एक्शन लेना चाहिये था। इस मामले में पहले भी जब बहस हुई थी तो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि यह कानून उन मजदूरों पर लागू होता है और मॉर्डन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने उस कानून को उन मजदूरों पर लागू नहीं करके इस कानून की अवहेलना की। गवर्नमेन्ट को चाहिये तो यह था कि उस कानून को एन्फोर्स कराते और कम्पनी का प्रोसिक्युशन भी उस कानून के तहत कर सकते थे। भूतपूर्व होम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था सदन में कि हम समझौता कराने की कोशिश करते हैं और कम्पनी ने समझौते के द्वारा उस कानून को नहीं लागू किया तो हम प्रोसिक्युशन उसका करने में भी हिचकिचायेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, अब आरबिट्रेटर मुकर्रर करने के बावजूद फ्लिम्जी ग्राउन्ड्स पर उनके ज्युरिस्डिक्शन को चेलैन्ज किया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और उनको मजबूर किया है कि अर्बिट्रेशन न करे और वापिस लेबर कमिश्नर को सौंप दे। अध्यक्षजी, अब जब कि कानून में साफ है कि मिनिमम वेजेज एक्ट साफ तौर पर उनको लागू होता है और वे उसकी खुले तौर पर अवहेलना कर रहे हैं और बढ़ती हुई मंहगाई में मजदूरों की तरफ से यह मांग हो कि मिनिमम वेजेज एक्ट को सख्ती से लागू किया जाय उसमें यह कम्पनी डाइलेटरी टेक्टिक्स अपना रही है, मजदूरों को इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़े तो अनुचित नहीं होगा। कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में चाहे कितने ही असरदार लोग क्यों न हों किन्तु कानून और आरबिट्रेटर को न मानकर उसके मार्ग में रोड़े अटकाये जायं, माननीय अध्यक्षजी, यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको न केवल राजस्थान भर के लिये इम्पोर्टेन्स है बल्कि राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों के लिए इम्पोर्टेन्स है और साथ ही साथ यह एक नेशनल प्रोजेक्ट है उसमें एम्प्लॉयर की हठधर्मी के कारण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मजदूरों को इस प्रकार के कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़े। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें इन्टरवीन करे। आर्बिट्रेटर की बात जो थी वह एक प्रकार से रियायत थी लेकिन कानून के तहत उन्हें मजबूर करना चाहिये कि मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करने के लिये। अगर वे नहीं मानते हैं तो उनका प्रोसिक्युशन किया जाना चाहिये। अब तक लागू नहीं किया गया है वैसी स्थिति में मेरा तो यह निवेदन है कि उनका प्रोसिक्युशन होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में स्विफट एक्शन लें और स्थिति को बिगड़ने से बचाया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है वह संबन्धित मंत्री महोदय को भेज दिया गया है, तथ्य प्राप्त होने के पश्चात अगर उचित समझा गया तो सदन में वक्तव्य देने के लिये कहा जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में आपको लिखित सूचना मिल जायगी। उसकी जांच हो चुकी है। सरकारी पक्ष के ओर से इस प्रकार के तथ्य हैं कि सदन के समक्ष बगैर जाने कितना सही, कितना असत्य है उस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहा जाय।

श्री अध्यक्ष : बिना जांच किये कुछ नहीं कहा जा सकता इस समय, इससे अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से बात कर लीजिये आपको सन्तोष कराने की कोशिश करूंगा आप कृपया बैठ जाइये।

राजस्थान भू-राजस्व अधिभार (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पुरःस्थापित)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व अधिभार (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (सरचार्ज) (एमेन्डमेन्ट) बिल को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेश बिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(श्री अध्यक्ष)

गैर सरकारी विधीयी कार्य

राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्रेमिसेज कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन (एमेन्डमेंट) बिल, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये रख रहा हूं यह बिल इस सदन में पिछले अधिवेशन के समय आया था और उस अधिवेशन में इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किये थे और इसीलिये यह बिल जनमत जानने के लिये प्रसारित किया गया था। जनमत जानने के बाद यह बिल दुबारा सदन के समक्ष पेश हो रहा है और जो जनमत जानने के बाद जो रायें विभिन्न तबके की ओर से आयी हैं वे सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय जहां तक इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजे जाने के बारे में पिछले सेशन में जो माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किया गया उसमें आम तौर पर सभी माननीय सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किये थे। अध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल की, जो मुख्य धारायें हैं, जो मुख्य मुद्दा है, वह पहला मुद्दा बेदखली से संबन्धित है। जो प्रिन्सिपल एक्ट है, मौजूदा कियायेदारी कानून है, उसकी धारा १३ के तहत ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई किरायेदार १८ महीने के अन्दर तीन बार दो-दो महीने के अन्तर से डिफॉल्ट कर दें तो उसको लाजिमी तौर से बेदखल होना पड़ेगा। अभी जो मौजूदा कानून है उसमें कोई रजिस्टर्ड नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। तो इस का मकान मालिक इस रूप से प्रयोग करते हैं कि जान-बूझ कर किराया लेने से मना करते हैं और टालमटोल करते हैं छः महीने तक वह इस प्रकार किराया नहीं लेता है, तो तीन डिफॉल्ट हो जाते हैं। यह एक बड़ा खतरनाक प्रावधान है। इस तरह से उनके तीन डिफॉल्ट होने के बाद कॉमन लॉ ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट जो तमाम देश में लागू है, जिसकी तहत ऑर्डिनरी लीजेज़ में जो प्रावधान होते हैं अगर कोई एरियर्स ऑफ रेन्ट रह जाय, अगर किरायेदार, लेसी, अदालत में पहली पेशी पर रेंट और खर्चा जमा करा दे तो वह डिफाल्ट नहीं माना जायगा और इस तरह से उसको बेदखल नहीं किया जायगा। हमारे मौजूदा किरायेदार कानून के अन्तर्गत इस एक्ट से भी आगे बढ़कर किरायेदारों को संरक्षण देने के लिये बनाया गया है। उस कानून की धारा १३ के सब-सेक्शन (४) का जो प्रोविजो है उसके कारण यह स्थिति बन गई है कि ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कॉमन लॉ के तहत जो सुविधा दी गई है वह सुविधा किरायेदारों से छीन ली गई है। यानि तीन डिफॉल्ट होने के बाद किराया अदालत में दावा हो जाने के बाद जमा करादे तो भी वह सुविधा नहीं मिल सकती।

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से जो पर्सनल नैसेसिटी की बुनियाद पर कानून में जो प्रावधान मकान या दूकान को खाली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कराने का है वह बहुत ही खतरनाक है। आज इस सेक्शन १३ में जो प्रावधान है उसकी तहत बोनाफाइड नेसेसिटी की कहीं भी डेफीनिशन ठीक रूप से नहीं की गई है। जो जुडिशियरी से डिसीजन्स हुए हैं वे इतने व्यापक हैं कि उसके अनुसार कोई भी आदमी पहले उसकी दूकान खाली है, मकान खाली है अपने घर के किसी आदमी के लिये किसी रिश्तेदार के लिये, दूसरे व्यापार के लिये जरूरत बताकर मकान या दूकान खाली करा सकता है।

अध्यक्ष महोदय यह जो प्रावधान मौजूदा कानून में बेदखली के संबंध में है, सेक्शन १३ है। उसमें संशोधन के लिये मौजूदा संशोधन बिल पेश किया गया है। इन प्रावधान के अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस देना लाजिमी होगा। इसके अलावा सब-सेक्शन (४) में जो प्रोविजो है तीन डिफॉल्ट के बाद निकालने का प्रावधान है उस प्रकार का प्रावधान नये एमेन्डिंग बिल में मैंने रखा है। यह प्रावधान उस समय नहीं था जिस समय पहले पहल यह बिल इस सदन में मंजूर हुआ उस समय उस कानून में वह प्रावधान था जो मैंने इसमें सजेस्ट किया है। एक रजिस्टर्ड नोटिस मालिक द्वारा किरायेदार को देना लाजिमी था। उसके बाद भी यदि दावा होता है तो वह डिफॉल्टर खर्चे समेत व्याज समेत उसका बकाया किराया दे देता है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का कानून जो ५० में बना था उसमें यह प्रावधान था उसके बाद ५२ में एमेन्डमेन्ट कर दिया गया। कौन सा प्रेशर आया? किस लैण्ड-लॉर्ड का प्रेशर आया जिसके कारण इस प्रकार की दलील देकर इस कानून में परिवर्तन कर दिया गया। इससे ज्यादा गंभीर स्थिति रिसेन्टली जो जजमेन्ट हमारे हाई कोर्ट से हुआ है उसने और ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा कर दी है।

अभी एक जजमेन्ट, १९६२ का आर०-एल० डब्ल्यू० हरिनारायण वर्सेज बद्रीदास में हुआ है जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है:

'There is nothing in the Act which imposes any restriction in the matter of acceptance of rent after a default has been incurred. On the otherhand it contains specific provisions that where a default has been incurred, the tenant would himself to the benefit of the provisions of the Act of 1950 & make himself liable to eviction. The tenant having disentitled himself to the protection which a Rent Control Act gives him cannot be allowed to raise the plea that the plaintiff by more acceptance of rent has waived the defaults.'

यानी इस रूलिंग के जरिये हाई कोर्ट ने यह वैलिड कर दिया है कि अगर चढ़ा हुआ किराया मालिक मकान डिफॉल्ट होने के बाद भी अगर मंजूर कर ले तो भी वह डिफॉल्ट कायम रहेगा, वेव नहीं माना जावेगा और किराया देने के बावजूद किरायेदार बेदखल हो सकता है। इस रूलिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि जो इस एक्ट के तहत रिलीफ टेनेन्ट को मिलता था कि चढ़ा हुआ पैसा किसी भी अदालत में खर्चे समेत जमा करा सकता था और उसके बाद उसको बेदखल नहीं किया जा सकता था वह सुविधा भी उससे छीन ली गई, क्योंकि डिफॉल्ट कर दिया इसलिये जो कॉमन लॉ के तहत सुविधा थी पहले वह भी नहीं मिल सकती।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस तरह से १९५२ के अमेन्डमेन्ट के बाद और हाई कोर्ट के इस रूलिंग के बाद यह परिस्थिति बन गई कि इन तीन डिफॉल्ट की वजह से कॉमन लॉ में भी जो सुविधा मिली हुई थी टीनेन्ट को उससे ज्यादा असुविधा इस कानून की तहत हो गई। अगर यह कहा जावे कि इस रूलिंग के बाद यह कानून टीनेन्ट्स के प्रोटेक्शन के बजाय लैंडलार्ड के प्रोटेक्शन का कानून बन गया है तो उसमें गलती नहीं है।

इसके बाद एक और रूलिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट की १९६२, आर० एल० डब्ल्यू० ६२९ पामन्दास वर्सेज लक्ष्मीबाई का बोनाफाइड नैसेसिटी के बारे में होल्ड किया है :

'If the plaintiff has alternative accommodation which he can occupy it must be left to him to choose which accommodation he wants, and it is not for defendant to dictate him which he shall choose and which he shall not.'

यानि अपने निजी आवश्यकता लिये अगर मालिक मकान को या दूकान मालिक को मकान या दुकान की आवश्यकता हो, तो अगर उसके पास पहले भी खाली मकान या दूकान है तो भी किरायेदार यह नहीं कह सकता [illegible]सके पास पहले से ही एक मकान या [illegible]कान खाली है, यह उसमें जा कर क्यों [illegible] रहता या दुकान करता और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेन्ट के अनुसार अगर मालिक मकान या दुकान उस खाली मकान या दूकान को पसन्द न करे और किरायेदार जिसमें रहता है या दुकान करता है उसी को पसन्द करे, तो मालिक मकान उस किरायेदार या दुकानदार को मजबूर कर सकता, ह खाली करने के लिये बावजूद इसके कि उसके पास खाली मकान या दुकान आलरैडी अवेलेबल है। तो इस बुनियाद पर, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की परिस्थिति बन गई है कि दबादब बेदखलियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बुनियाद पर मैंने यह कुछ फीगर्स कलेक्ट किये हैं। अगर इन बेदखलियों के आंकड़े मैं आपके सामने रखूं तो मालूम होगा कि एक बहुत भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, जहां सन् ५० में जब यह कानून बना ही बना था राजस्थान में, तो उस वक्त से अबतक के १६ जिलों के मेरे पास फीगर्स हैं। तो सन् ५० में जहां कुल ६४२ दावे बेदखली के किरायेदारों के खिलाफ हुए जब कि ओरिजिनल शवल में यह कानून बना था। उसके मुकाबले में, अध्यक्ष महोदय, इस कानून में परिवर्तन होने के बाद १९५२ में डबल से ज्यादा हो गये--१३०५ हो गये, और अध्यक्ष महोदय, इसमें जो और परिवर्तन हुए ५६-५७ में तो उसके बाद वह संख्या ५९ में २३४९ पर पहुंच गई। सन् ६० में २४२८ पर पहुंच गई। १९६१ में २६७८ पर पहुंच गई और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रूलिंग होने के बाद ६२ में यह संख्या ३७३९ पर पहुंच गई। ६३ के फीगर मेरे पास उपलब्ध नहीं हुए। अगर उनको देखा जावे तो वे उससे भी आगे भयंकर स्थिति का वर्णन करेंगे।

इन फीगर्स में अगर हम देखें तो जोधपुर में जहां पहले ५१ में ३२५ थे तो ६२ में ये ८४० तक पहुंच गये। अजमेर में जहां ५० में कोई दावा नहीं हुआ, ५१ में केवल एक हुआ, ५२ में नहीं हुआ, ५३ में २७ हुए।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

५४ में दस, ५५ में १६ ग्रौर ५६ में १७ हुए । इसके मुकाबले ५६ में ६४४ ग्रौर ६० में ६७३, ६१ में ७६८ ग्रौर ६२ में ११६७ दावे किरायेदारों के खिलाफ बेदखली के हुए हैं । इसी तरह जयपुर शहर में जहां ५७ में केवल १६५ दावे हुए थे, ५६ में ४७४ हुए ग्रौर ६२ में ५५७ तक यह संख्या पहुंच गई ।

ग्रध्यक्ष महोदय, इसकी वजह यह है कि जो स्टेट में श ‑ में ५० में कानून बना था उसके बाद सर ने ५२ में ग्रमेन्डमेन्ट्स इसमें किये । ग्रौ . डिफॉल्ट्स की बुनियाद पर जो इसमें ग्रमेन्डमेन्ट्स हुए लीगल नैसेसिटी की बुनियाद पर, डिफॉल्ट की बुनियाद पर जो जजमेन्ट हुए उनसे लैंडलॉर्ड्स को प्रोत्साहन मिला है ग्रौर बेदखलियों की तादाद इनसे बढ़ती ज रही है ।

ग्रॉनरेबल हाई कोर्ट के सामने जो उन ग्रोरिजिनल कोर्टों के जजमेन्टों के खिलाफ जो ग्रपीलें ग्राई हैं उनका क्या ग्रसर हुग्रा यह भी मैं बताना चाहता हूं । उसमें भी ग्राप ग्रगर देखेंगे तो वहां भी एक सारी फीगर ग्रापके सामने ग्रावेंगे ।

ग्रध्यक्ष महोदय, १६५० से ६२ तक ६४१ ग्रपील लैंडलॉर्ड्स की तरफ से ग्रौर टोनेन्ट्स की तरफ से ग्रॉनरेबल हाई कोर्ट में हुई । लैंडलॉर्ड्स की तरफ से २३० ग्रपीलें हुई-जिनमें से ७५ मन र हुई ग्रौर १५५ नामन्जूर हुई । यह ३३ परसेन्ट ग्रपील मन्जूर की गई जब कि टोनेन्ट्स की तरफ से कुल ७११ ग्रपीलें की गई जिनमें केवल ६१ ग्रपीलें मन्जूर हुई यानि १३ परसेन्ट मन्जर हुई ग्रौर ८७ परसेन्ट ग्रपीलें नामन्जूर यानि किरायेदारों की बेदखल करने की डिक्रियां बहाल रखी गई ।

इस प्रकार, ग्रध्यक्ष महोदय, इस कानून की पहली शक्ल में एमेन्ड्मेन्ट्स ला ला कर जो सरकार ने इसमें लूपहोल्स छोड़े हैं ग्रौर फिर बाद में ग्रॉनरेबल हाई कोर्ट ने जो भी जूडीशियल पांइन्ट से इसका इन्टरप्रिटेशन किया है उसने एक हैवक क्रीयेट कर दिया ह ग्रौर इन पर जिन्होंने कमेन्ट्रीज लिखी हैं उन्होंने भी साफ लिखा है कि यह कानून प्रोटेक्शन ग्रॉफ टीनेण्ट्स होने के बजाय प्रोटेक्शन ग्रॉफ लैंडलॉर्ड् ज्यादा बन गया है । ग्रध्यक्ष महोदय, जितनी सम्मतियां जगह जगह से ग्राई हैं उनमें इनका विरोध भी खास तौर पर ग्रजमेर, जयपुर ग्रौर जोधपुर के हाउस ग्रॉनर्स एसोसियेशन की तरफ से विशेष तौर पर किया गया है । यह एक रिमार्केबल बात है । बात समझ में ग्राने वाली भी है क्योंकि तीन सालों के जो ग्रटेक्स हैं टोनेन्ट्स के ऊपर वह सबसे ज्यादा हैं, जो फीगर्स मैंने ग्रापके सामने रखी । इसलिये उनकी तरफ से इस प्रकार की सम्मतियां भेजना ठीक है । मैंने सुना है राज्य सरकार के सामने वह डेपुटेशन में भी ग्राये हैं ग्रौर बडे बडे लॉयर्स को भी एंगेज किया है, तो यह स्वाभाविक है । ग्रपने वर्ग हितों को, ग्रपने एक्सप्लॉयटेशन्स को जारी रखने के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं । तो यह फीगर्स जो हैं उससे पूरी तरह टैली करते हैं । इसके मुकाबिले में जो ग्रौर जगह से इसके बारे में सम्मतियां ग्राई हैं बहुत से कलेक्टर्स ने ग्रौर मैं कहूंगा मैंजोरिटी ने जिन्होंने यह व्यूज भेजे हैं उन्होंने ग्रपनी सम्मतियों में जो बिल है उससे ग्रपनी सहमति जाहिर की है । जहां तक टीनेन्ट्स ग्रौर बार एसोसियेशन है उसने इस बिल से ज्यादातर सहमति प्रकट की है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा इम्पॉर्टेन्ट क्वेश्चन इस एमेण्डिग विल में है वह है इसकी एप्लीकेबिलिटी का । इस कानून में तीन तरह के प्रश्न उठते हैं—एक तो एरिया का । अभी तक यह कानून बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लागू है । सारे राजस्थान में केवल ८३ शहरों और कस्बों में लागू है । इस कानून के तहत गवर्नमेंट बाई नोटीफिकेशन इस कानून को किसी पर्टिकूलर जगह पर लागू करती है । इप्सो फेक्टो वाई स्टेच्यूट यह कानून किसी जगह राजस्थान में लागू नहीं होता है । इस तरह से जो कानून की गतिविधियां रही हैं उसके तहत जब राजस्थान में ५,००० से ज्यादा आबादी के कस्बे १७४ हैं तो उसमें केवल ८३ कस्बों में लागू किया गया है जब कि स्थिति यह है कि इस डेवलपिंग समाज में, इस डाइनेमिक सोसाइटी में, हमारे कस्बे और टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं और खास तौर से तहसील पंचायत और सब-तहसील हैड-क्वार्टर्स पर नयी-नयी आबादियां बन रही हैं और उन जगहों पर किराये के परसेण्टेज को देखें तो किराया इतना भारी है कि बड़े बड़े शहरों में इतने हाई किराये नहीं हैं । सुमेरपुर का जिक्र मैं करूं । वहां पर केवल एक पंचायत है और उस पंचायत में दो रूम या तीन रूम वाली जगह के सौ-सवा सौ और डेढ़सौ रुपये तक के किराये हैं । हमारे जिले में किशनगढ़ एक तहसील है । पंचायत समिति का हेड क्वार्टर है और वह शायद ५,००० के कस्बे की तारीफ में भी नहीं आता, वहां पर किराये के लिये एक दफ्तर बनाने के लिये गये तो एक मामूली कमरा जिसका डाइमेन्शन १४ बाई १४ फुट होगा उसका ५०) रु० किराया उस जगह का उन्होंने मांगा........

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : Probably they never wanted to give you.

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक वकील हैं । आपके साथ ऐसा ख्याल हो सकता है । हमारी साख ऐसी नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने पार्टी के आफिस के लिए लिया होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके लिये ऐसा हो सकता है कि किराया कैसे पटेगा ? वहां पर एक वकील साहब ने अपना एक दफ्तर लगा लिया और मजबूर हो कर जब दूसरा मकान नहीं मिला तो उसको उसने उसी किराये पर ले लिया । जहां तक इस कानून की एप्लीकेबिलिटी का सवाल है यह राजस्थान में केवल ८३ कस्बों में लागू है । हमने मांग की है कि इसको सारे राजस्थान में लागू कर दिया जाय । सारे राजस्थान में लागू करने से कोई डिफिकल्टी पैदा नहीं हो सकती । उड़ीसा ऐसी स्टेट है कि जिसने तमाम स्टेट में इस कानून को लागू किया हुआ है और बाकी जितनी स्टेट्स हैं उन्होंने तमाम टाउनशिप्स में लागू किया हुआ है, तो कोई, वजह नहीं कि राजस्थान गवर्नमेंट इसको तमाम राजस्थान में लागू कर दे तो जहां यह समस्या है वहां पर लाजिमी तौर से यह समस्या क्रियेट नहीं होगी । देहातों में खास तौर पर जहां बिलकुल छोटे गांव हैं जहां टीनेन्ट्स और लैंडलार्ड्स का सवाल पैदा नहीं होता तो यह कानन लागू होते हुए भी कोईसमस्या पैदानहींकरेगा ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूसरा प्रश्न यह है कि यह कानून जिन शहरों में लागू है उन शहरों में भी उन बिल्डिंग्ज के ऊपर लागू नहीं है जो बिल्डिंग १९५१ के बाद बनी हैं। उन बिल्डिंग्ज का ७ साल का एग्ज़ेम्पूशन मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि ७ वर्ष तक न तो रेंट कण्ट्रोल एक्ट, न एविक्शन, न इजेक्टमेंट से किसी तरह से वहां पर रहने वाले टीनेण्टस को प्रोटेक्शन है। इस तरह का प्रावधान इस कानून में है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो भी नये मकान या बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें जो भी किराये दार रहते हैं उनकी सिक्योरिटी का ऑर-टेन्योर का सवाल नहीं है। उनका एक्स-प्लॉन्टेशन ऑफ रेण्ट से भी किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेशनेलिटी नहीं है कि जो लोग नये नये मकान और खास तौर पर बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े ऑफिसर्स जो नये मकान बना रहे हैं तो उन मकानों को बनाने की इसी तरीके से उसमें किराये की पूरी छूट है कि अण्टशण्ट किराये वसूल करें। चाहे जिसको निकालें और रखें, इस प्रकार की छूट इस कानून के अन्दर दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में एक दलील दी गयी है, हाउस ऑनर्स एसो-सियेशन, जोधपुर की तरफ से भी दलील दी गयी है और पिछले सदन में माननीय विधि मंत्री ने भी उस दलील को दोहराया था वह यह कि अगर इस तरह की नई बिल्डिंग्स पर इस कानून को लागू कर देंगे तो हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी डिस्करेज हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इकॉनॉमिक बेसिस पर यह प्रोपोज़िशन्स रॉंग हैं, गलत हैं। उसकी वजह यह है कि केपिटल इन्वेस्टमेंट बैटर डिविडेण्ड के लिये, सिक्योर्ड तरीके के डिविडेण्ड के लिए जगह ढूंढता है और मैं समझता हूं कि इस बात की दो राय नहीं हो सकती कि सबसे सिक्योर्ड तरीके का रिटर्न एक इम्मूवेबल प्रॉपर्टी हाउस या बिल्डिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेण्ट करने से मिलता है। बैंकों के अन्दर इन्वेस्टमेंट या और तरीके के हैज़र्डस तरीके के इन्वेस्टमेंट या कम्पनीज़ के इनवेस्टमेंट से भी ज्यादा सिक्योर्ड आज कम्पनीज़ के इन्वेस्टमेंट या हैज़र्ड्स कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में चाहे रिटर्न ज्यादा मिल जाय, लेकिन जो उनकी हैज़र्ड्सनेचर है उनके बिज़नेस पर, उनकी डिविडेण्ड पर उसका मुकाबिला नहीं किया जा सकता-एक बिल्डिंग जो इम्मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके इन्वेस्टमेंट का। अगर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट लोक बैंकों का मानते हैं, आज बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिटस पर ४ परसेण्ट या अधिक से अधिक ४॥ परसेण्ट ब्याज देती है, और, अध्यक्ष महोदय, अगर हम उस क्लास को लें जो फिक्स्ड इन्कम ग्रुप की क्लास है, सर्विस क्लास है जो अपने मकान बना रही हैं वह क्लास बैंकों में रुपया रखती है। वह कॉमर्शियल नहीं हैं। वे बैंकों में रुपया रखते हैं या अपना मकान बनाते हैं। इसलिए अगर बैंकों में जब उनको ४ या ४॥ परसेण्ट ब्याज मिलता है और मकान बना कर उनको ६ परसेण्ट की गारंटी हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि यह कहना गलत होगा कि यह फिक्स्ड इन्कम ग्रुप की यह सर्विस क्लास जो मकान बना रही है यह डिस्करेज होगी।

इसके अलावा दूसरी जो क्लास आज मकान बना रही है, वह है कॉमर्शियल क्लास।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कॉमर्शियल क्लास को स्पेक्यूलेटिव बिजीनेस में, इन्डस्ट्रियल बिजनेस में अनाप शनाप प्रॉफिट्स होते हैं । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज यह एक ओपन सीक्रेट है कि कॉमर्शियल कॉम्युनिटी आज अपना जो उनका साफ मनी है उस मनी को इन बिल्डिंग एक्टिविटी के अन्दर इन्वेस्ट नहीं करती है । इस तरह की बिजीनेस एक्टिविटी में आज मनी का ज्यादा से ज्यादा प्रेशर है और वह ज्यादा से ज्यादा बैंकों से क्रेडिट्स के ऊपर उस मनी को लेते हैं, लेकिन आज जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्ज़ के अन्दर जगह पा रहा है वह ब्लेक मनी इस कॉमर्शियल काम्युनिटी का है और वह ज्यादा से ज्यादा इन बिल्डिंग्ज़ के अन्दर जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इस कॉमर्शियल कॉम्युनिटी के सामने इस ब्लेक मनी को व्हाइट मनी बनाने का यह एक तरीका है – यह अनडिज़ायरेबल है । इसलिये यह गवर्नमेंट के द्वारा इनके सामने यह रास्ता छोड़ा हुआ है । तो यह ब्लेक मनी जाने से रुके इस तरीके से व्हाइट मनी बनने से अलबत्ता यह कोई कदम हो सकता था, इसे गवर्नमेन्ट को सख्ती करनी चाहिए थी । लेकिन दरअसल में वह इस तरह से रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ब्लेक मनी को खत्म करके कितना चूना लगा हुआ है, कितनी ईंटें लगी हैं, कितना फर्नीचर लगा है और वह कहता है कि ४० हजार या ३० हजार में बना है तो कौन उसका हिसाब करेगा ? इस तरीके से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं । तो उस ब्लेक मनी को, जिसको वह बैंक में जमा नहीं कर सकता, जिनसे वह शेयर नहीं खरीद सकता, जिनसे वह बिजीनेस नहीं कर सकता, वह सिवाय तिजोरी या नीचे के तहखाने में बन्द करने के और कोई उपयोग नहीं कर सकता, वह ब्लेक मनी आज इस तरीके से हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी के अन्दर इन्वेस्ट हो रहा है इस कॉमर्शियल काम्युनिटी के मेजोरिटी के केसेज़ में । इसलिये यह दलील देना भी गलत होगा कि ६ परसेन्ट से इनके रिटर्न्स में गारन्टी कम करने से थोड़ा रिटर्न होने की वजह से हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी रुक जायगी ।

दूसरी क्लास, जो हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी में भाग ले रही है, वह है लोअर मिडिल क्लास – वह अपने रहने के लिये मकान बना रही है । वह किराया देने के लिए मकान नहीं बनाती है । वह लोन्स लेती है इधर-उधर से क्रेडिट लेती है इसलिये कि उसको शेल्टर चाहिए, जीवन के अन्दर जो सबसे जरूरी चीज है वह चाहिए, इसके लिए वह बनाती है । ६ परसेन्ट से रिटर्न कम होगा उस पर कानून लागू हो जायगा तो वह मकान नहीं बना सकेगा यह दलील भी सही नहीं है ।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दलील हाउस आनर्स एसोसियेशन की तरफ से या माननीय विधि मंत्री की तरफ से यह दी गई है कि इन नई बिल्डिंग्ज़ पर इस कानून को लागू करने से हाउस बिल्डिंग को धक्का लगेगा, साउन्ड नहीं है, इकोनॉमिकली रोंग है । इसलिए इस तरीके से जो मैंने एमेंडमेंट बिल रखा है, उसके अनुसार इन बिल्डिंग्स पर भी उसको एक्सटेण्ड करना चाहिए और लोगों को सिक्योरिटी ग्राफ टेन्योर एण्ड सिक्योरिटी फ्रॉम एक्स्प्लॉयटेशन इन रेन्ट, इस तरह से मिलनी चाहिए ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूसरे तरीके की जो बिल्डिंग्स एक्सक्लूडेड हैं इस कानून के एप्लीकेशन्स से वह सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वह म्युनिसिपेलिटी की बिल्डिंग्स हैं। आज स्टेट एक बहुत बड़ी लैण्डलॉर्ड बनती जा रही है। काफी बिल्डिंग्स हैं। म्युनिसिपेलिटी के मार्केट्स बनते हैं उनमें किरायेदारों को रखते हैं। यह शोभा नहीं देता है किसी सरकार को कि वह सरकार जो ऑर्डिनरी सिटीज़न्स पर कानून लागू करने की कोशिश करे रेन्ट के बारे में या एविक्शन के बारे में, उस कानून से अपने आपको पाबन्द न करे। इसलिये यह जरूरी है कि स्टेट की बिल्डिंग पर म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग्ज़ पर भी इस कानून को लागू किया जाय। इस संबंध में जो जयपुर उद्योग मंडल की तरफ से सिफारिश की गई है उस उद्योग मंडल ने इस बात को माना है कि सरकारी बिल्डिंग्ज़ पर भी इस चीज को लागू किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो तीसरा इम्पोर्टेन्ट फीचर है इस एमेंडिंग बिल का वह है एमेनिटीज के सम्बन्ध में। बिजली, पानी, फ्लशलेट्रिन की एमेनिटीज़ आज के समाज में बहुत आवश्यक चीजें हैं। जिस जगह पर यह एमेनिटीज़ नहीं हैं उसका तो कोई इलाज नहीं है लेकिन जिस जगह पर यह एमेनिटीज मौजूद हैं वहां पर दो रूपों में यह समस्या पैदा करते हैं–एक रूप में तो इस प्रकार से कि यह एमेनिटीज़ पहले से मौजूद हैं और मालिक मकान हेरेस करने के लिये किरायेदार को निकालने के लिये इन एमेनिटीज़ में अड़चन पैदा करता है, इनको किसी न किसी बिना पर काट देता है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मौजूदा कानून में मजिस्ट्रेट के पास किरायेदार जाकर और रिलीफ हासिल कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जो कोई उस प्रोसिडिंग के अन्दर घुसे उसको काफ़ी एम्बेरेसिंग पोजीशन में पड़ना पड़ता है। एक दफा तो मालिक मकान उसके सामने समस्या खड़ी कर ही देगा। इसलिये इसमें संशोधन की जरूरत है। मालिक मकान को अधिकार नहीं कि ऑटोमेटिकली, इप्सो फेक्टो किरायेदार की सुविधाओं को कट कर सके।

दूसरा, इस एमेंडिंग बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर इस प्रकार की एमेनिटीज़ उस लोकेलिटी में एवेलेबिल हों तो मालिक मकान को इस बात के लिए बाध्य किया जा सके कि किरायेदारों को वह सुविधाएं दे बशर्ते कि किरायेदार उसका पेमेन्ट करने को तैयार हों। इस प्रकार की एमेनिटीज़ देना यह भी बहुत जरूरी है।

चौथे नम्बर पर, अध्यक्ष महोदय, जो इस एमेंडिंग बिल के अन्दर मैंने प्रावधान रखे हैं वे इस प्रकार के हैं कि जिसमें कि अगर मान लो कि मजबूरी तौर से किरायेदार के ऊपर डिग्री हो ही जाय और प्रावधानों के तहत तो उसको वाजिब समय मकान को खाली करने का या दुकान को खाली करने का मिलना चाहिए, और उसके लिए मैंने सुझाव किया है कि जहां तक दुकानों का ताल्लुक है वह कम से कम ६ महीने, और जहां तक मकानों का ताल्लुक है वह कम से कम ३ महीने का समय मिलना चाहिये।

इसके अलावा, जो मेरा एमेंडिंग बिल है उसमें यह भी प्रावधान है कि इस कानून को शुरुआत में केवल १५ वर्षों के लिये लागू किया गया था। इस डाइनेमिक सोसाइटी में हाउस बिल्डिंग के बावजूद भी मकानों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की भारी कमी है तो यह कानून एक स्थायी तौर से स्थिति में रहने वाला कानून है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एमेंडिंग बिल में जो भी प्रावधान हैं और इसके बाद में जो सम्मतियां जगह जगह से आई हैं और उनको जब मैंने देखा है तो मैंने यह महसूस किया है कि इन एमेंडमेंन्ट्स के अलावा और भी यूजफुल बातें हैं, कार-आमद एमेंडमेंट्स हैं जो इस कानून में होने आवश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में राजस्थान भर के किराये दारों ने एक मेमोरेण्डम राजस्थान सरकार को भी पेश किया है और पिछली २६ फरवरी और १ मार्च को राजस्थान भर के किरायेदारों का एक सम्मेलन जयपुर शहर में हुआ है जिसका उद्घाटन एक एमीनेन्ट वकील, श्री एन. सी. चटर्जी, एम. पी. द्वारा किया गया है और उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में अपनी राय बहुत मार्मिक शब्दों में व्यक्त की है। मैं आपके जरिये उनके उन शब्दों को, उनकी ओपीनियन को रखना पसन्द करूंगा।

श्री **मथुरादास माथुर** : हमारी भी पढ़ दें।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : वह हमने पढ़ ली है आपने (श्री रामानन्द अग्रवाल) किताबें बांटी हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : सदन के रेकॉर्ड में आ जाने दें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : 'A law in order to achieve the afores aid objective must necessarily guarantee freedom from eviction, fair amenities, and fair rent. If the law, as it exists, fails to fulfil the aforesaid requirements it would not succeed in suppressing the mischief and advancing the remedy for which it was intended.

The existing legislation in this State for the control of rent and eviction has not been able to afford adequate protection to the tenants. Naturally enough the tenants felt the need of organising themselves into associations to voice their grievances and get the present law amended. I understand that the Jaipur Tenants Association was recently formed by some enthusiastic tenants of Jaipur. Their efforts led to formation of similar associations at various other places and these efforts have frutified in this all Rajasthan Tenants Conference.'

'The Tenants in Rajasthan seem to be very much under a disadvantage in the matter of security of tenure. The existing law stipulates that non-payment or even delayed payment of rent for two months constitutes a default and three such defaults within a period of 18 months entitle the landlord to secure ejectment of the tenant, even though the tenant might have subsequently paid the amount or is willing to pay the amount. Besides, the provisions in respect of tendering of rent is sufficiently loose to enable the landlord to avoid receipt of payment and the actual proof of tendering is very difficult, The provision for ejectment

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

on ground of personal necessity also leaves a very big loop-hole for the landlord to secure ejectment. The Memorandum submitted by the Jaipur Tenants Association has very cogently brought forth these points. I think the law requires to be very much modified in this regard. In my view, in the matter of ejectment on ground of personal necessity, the principle of balance of hardship should be made applicable.'

अध्यक्ष महोदय, माननीय एन. सी. चटर्जी जो न केवल एम. पी. हैं बल्कि हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं....

श्री मथुरादास माथुर : Do you subscribe to his other views also ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is besides the question. I don't know what are his other views ?

श्री मथुरादास माथुर : Do you consider him as your leader in matters of tenants and other hardships of the people at large ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : There is no such question. It is a question of tenants and landlords. I certainly cent percent agree with his views expressed on this question.

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय एन. सी. चटर्जी ने पर्सनल नेसेसिटी के क्वेश्चन पर बलेन्स ऑफ हार्डशिप के प्रिन्सिपल को इसमें इन्ट्रोड्यूस करने की बात कही है वह इम्पॉर्टेन्ट क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, इसके अनुसार अदालत को नेसेसिटी देखते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि डिक्री देने से या न देने से किसको ज्यादा असुविधा होती है, आया मालिक मकान को डिक्री न मिले तो टीनेन्ट के मुकाबले में ज्यादा असुविधा होगी और यदि डिक्री दे दी गई तो मालिक मकान की बनिस्बत टीनेन्ट को ज्यादा असुविधा होगी। इस आधार पर पर्सनल नेसेसिटी को लीगली तय किया जाना चाहिये। इस प्रिन्सिपल को, इस प्रोपोजिशन ऑफ लॉ में इन्डीकेशन दी है। हमारे मौजूदा कानून के सेक्शन १३ में जो प्रावधान है पर्सनल नेसेसिटी के बारे में, उसमें बहुत लूजनेस है। मैंने डिसीजन हाई कोर्ट का जिक्र किया है उसने खुला दरवाजा खोल दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि बलेन्स ऑफ हार्डशिप का प्रिन्सिपल ग्रेट ब्रिटेन में बहुत पहले १९वीं सदी में स्वीकार किया जा चुका था और हमारे हिन्दुस्तान में-बम्बई में, अजमेर में जो पहले कानून था उसमें, दिल्ली में भी इस प्रिन्सिपल को स्वीकार किया है। यू. पी. में तो पर्सनल नेसेसिटी की बुनियाद पर मकान या दुकान खाली कराने का क्वेश्चन ही नहीं है और बॉम्बे में और दिल्ली में पर्सनल नेसेसिटी लागू होती है तो रिहायशी मकान पर लागू होती है, कॉमर्शियल और इन्डस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेन्ट पर लागू नहीं होती है। आज स्थिति यह है कि किसी आदमी ने मेहनत करके नई बस्ती में, नये मार्केट में दुकान लगाई, बहुत कोशिश करके बिजनेस जमाया और जब वहां पर उसकी दुकान चालू हो गई, बिजनेस बढ़ने लगा तो मालिक मकान ने देखा कि इससे खाली कराने में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फायदा है इसलिये उसने अदालत में दावा कर दिया। वह किराया देने से इन्कार नहीं करता फिर भी उसको दुकान खाली करनी पड़ती है। इससे न केवल वह दूकान से निकलता है बल्कि उसका बिजनेस ही खत्म हो जाता है। मिसाल इस तरह की है कि एक लकड़ी की दुकान थी उससे दूकान खाली करवा कर उस मालिक दुकान ने लकडी की दुकान ही उसमें वापिस खोलदी और उस टीनेन्ट की जो गुडविल थी वह भी उसने ले ली। तो वह न केवल दूकान से निकलता है बल्कि उसका बिजनेस ही खत्म हो जाता है।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेन्ट है-पर्सनल नेसेसिटी की बुनियाद पर खाली कराने का। जयपुर में जो किरायेदारों का सम्मेलन हुआ उन्होंने जो एमेण्डमेंट रखे हैं इस बारे में ध्यान दिलाया है और मैंने जो अमेन्डिग बिल रखा है उसमें इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। इसी तरीके से अमेन्डिग बिल के प्रश्न पर भी इस संशोधन की आवश्यकता है, लैण्डलॉर्ड अपने आपको किरायेदारों का पानी, बिजली काट नहीं सकता-यदि वह आवश्यक समझे। मान लीजिये किरायेदार पैसा ही जमा नहीं कराता है तो वाजिब शिकायत उसकी हो सकती है तो वह अदालत में जाकर एप्लीकेशन दे और अदालत देखे कि रीजनेब्ली टीनेन्ट का कुसूर है तो वह अदालत इजाजत दे सकती है और उसके बाद मकान मालिक पानी और बिजली काटने की कार्यवाही करे तो कर सकता है। तो इस प्रकार का सुझाव राजस्थान किरायेदार संघ की ओर से हमारे सामने आया है। और, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरीके से यह जो मौजूदा बिल है और इसके अलावा जो और एमेंडमेण्ट्स राजस्थान किरायेदार संघ की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं या इंडिविजुअल नागरिकों की ओर से आये हैं उनके इसमें एप्लीकेबिलिटी के प्रश्न पर डिफेक्ट के प्रश्न पर और एमिनिटीज के प्रश्न पर, दुकानों पर लागू नहीं होने के प्रश्न पर काफी इम्पोर्टेन्ट सुझाव आये हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इन तमाम बातों को देखते हुए इस कानून को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि मौजूदा कानून में जो अमेन्डिग बिल मैंने पेश किया है कानून के प्रावधानों को और दूसरे और जो एमेण्डमेंट्स सजेस्ट किये गये हैं अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, जो इसको और मजबूत बनाते हैं, किरायेदारों के हित को मजबूत करते हैं, उनका समावेश करके प्रवर समिति सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करे और सदन इसी अधिवेशन में इस कानून को लेकर अवश्य पास कर दे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोशियल लेजिस्लेशन है। इससे सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है जिससे सरकार डिफेन्स ले कि आर्थिक दिक्कत होगी या वित्तीय, इस तरह की कठिनाइयां पैदा होंगी। जिस तरह की समस्याएं आज पैदा हो रही हैं किरायेदारों के सामने, मैं समझता हूं एक तरह से सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि सरकार की ओर से राजस्थान किरायेदार संघ सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे राजस्थान के एक मंत्री-शिक्षा मंत्रीजी ने अध्यक्षता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की, अपना संदेश भेजा था। यह इस बात का संकेत है कि सरकार ने स्वीकार किया है, किरायेदारों के साथ घोर अन्याय हो रहा है और इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जितने किरायेदारों के खिलाफ केसेज छोटी अदालतों में चल रहे हैं या हाई कोर्ट में अपील्स आई हैं उनको देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि रिलीफ जल्दी से जल्दी किरायेदारों को दिया जाना चाहिये। जल्दी से जल्दी कानून को पास करने के जो मिस्चीफ इन केसेज में की जाती हैं या उन पर होने वाली हैं उनको दूर किया जाना चाहिये।

(९.०० म. पू.)

यह भी आवश्यक है, अध्यक्ष महोदय, कि इस अमेन्डिंग बिल को रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय। जो भी अमेंडमेंट किया जाय, जिस दिन से यह कानून बना है उस दिन से लागू किया जाय ताकि जिन लोगों के खिलाफ डिक्री हो गई हैं लेकिन इजराय नहीं हुई है, जो अभी तक बेदखल नहीं हुए हैं--वे लोग भी इससे प्रोटेक्ट हो सकें। इसलिए आज जब उन पर तलवार लटक रही है, बेदखली की कितने ही किसानों पर इजेक्टमेंट की डिक्रियां हो गई हैं और वे अदालतों में जा रहे हैं और वहां परेशान हो रहे हैं--इन सबको बचाना है। इस दृष्टि से सरकार इस प्रिन्सिपल से, इस बुनियाद से एग्री करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस भा[illegible] को स्वीकार करना चाहिये, इसकी अर्जेन्सी को स्वीकार करना चाहिये और सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजने के इस मोशन को स्वीकार करके, जो भी सरकार को इसके अन्दर अपने सुझाव देने हैं, सरकार को अपनी तरफ से संशोधन रखने हैं वह सिलेक्ट कमेटी के सामने सरकार रख सकती है और हम इस सदन के इसी अधिवेशन में उस बिल को पास कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह मोशन करता हूं कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

एक-दो माननीय सदस्य और बोल लें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एमेंडमेंटबिल पेश किया है......

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : About 45 minutes have already been consumed by the Hon. Member.

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसमें मैंने भी...

श्री अध्यक्ष : एक दूसरा विधेयक माननीय सदस्या पेश नहीं कर रही हैं इसलिये ज्यादा समय दे दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसमें मैंने भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु फिर से प्रचारित किया जाय।

माननीय सदस्य ने इस बिल के औचित्य पर अपनी दलीलें पेश की और बहुत से तथ्य पेश करने की कोशिश की, और अपने कथन से यह जस्टीफाई करने की कोशिश की कि इस बिल को सदन द्वारा शीघ्र पारित

Page No. 16

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

किया जाय । माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय प्रभारी सदस्य ने मंजूर किया है कि कई तरह से, कई क्वार्टर्स से, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से इस बारे में ओपिनियन सीक की गई है और काफी ओपिनियन आ चुकी हैं । उन ओपिनियन्स को मैंने भी देखा है और माननीय सदस्य ने भी मंजूर किया है कि कई ओपिनियन में इसका विरोध किया गया है । ऐसी हालत में जो पहले भी माननीय सदस्य ने दलील दी थी कि इसकी बहुत जबर्दस्त अर्जेन्सी है और इस कानून को शीघ्र पारित नहीं किया गया तो बड़ी भारी विकट समस्या अब तक उत्पन्न हुई है और आगे भी होने जा रही है और आज भी उसी बात को फिर से दोहराया है । परन्तु भिन्न भिन्न क्वार्टर्स से आई हुई ओपीनियन्स देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य ने पहला एमेंडमेंट पहले क्लॉज पर दिया है वह ज्यादा वजन नहीं रखता । जैसा उन्होंने बताया, ज्यादा ओपीनियन ऐसी है कि सारे लोगों के सामने ऐसी अड़चनें हैं । तो हमारे पास भी कई ऐसे टीनेण्ट, जो माननीय सदस्य के पास गये, आकर हमसे कह सकते थे । लेकिन आज दिन तक कोई एप्रोच नहीं हुआ । इसके साथ ही सरकार के समक्ष ऐसे रिप्रेजेंटेशन आये हैं, उनमें जो ओपीनियन जाहिर की गई है, उनमें ऐसी ओपीनियन भी मालूम पड़ती हैं जिससे माननीय सदस्य ने जो दलील दी है उसके बारे में सदन को संतोष नहीं होता कि जो माननीय सदस्य ने दलीलें दी हैं वे सही हैं । तो ऐसी हालत में जो पहला क्लॉज है उसके बारे में जो तथ्य रखे हैं और यह कहा है कि इसमें एमेंडमेंट हुआ, जो पहले का शुरू का कानून था उसमें एमेंडमेंट हुआ । उसके बाद बेदखलियां ज्यादा हुई हैं और इसके उन्होंने फीगर्स भी दिये । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह सदन को बताना चाहता हूं कि विधि मंत्री ने इसके बारे में पहले भी प्रकाश डाला था उससे यह साफ हो गया है कि हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया, उसके फलस्वरूप जब कॉन्स्टीट्यूशनेलिटी को चैलेंज किया गया । तो जब यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष था तो सरकार को उस चीज को देखते हुए इस कानून के प्रावधान में संशोधन करना पड़ा । उस चीज को देखते हुए फिर वापिस माननीय सदस्य यह दलील दे रहे हैं । कोई भी कानून इस सदन से पास हो उसको अल्ट्रा वायर्स करने के लिए या कॉन्स्टीट्यूशनल राइट को डिफेण्ड करने के लिये कोई भी नागरिक हाई कोर्ट में उस कानून को चैलेंज कर सकता है । तो ऐसी हालत में जब कि इस मामले पर सरकार के पास लॉ डिपार्टमेंट से और एडवोकेट जनरल से सलाह आई तो उसके अन्दर एमेंडमेंट करने की आवश्यकता महसूस हुई । उन सर्कम्स्टान्सेज को देखते हुए संशोधन किया गया । तो ऐसा मानने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता, जैसी कि माननीय सदस्य ने दलील दी कि सरकार ने बिना कारण सिर्फ लैंडलार्ड्स के प्रैशर से संशोधन कर दिया—यह दलील ज्यादा वजन नहीं रखती ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह बताई कि बहुत सी बेदखलियां इस कानन में एमेंडमेंट होने के बाद हुई हैं । हो सकता है कि बहुत सी बेदखलियां हुई हों । यह बात सही हो सकती

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है क्योंकि हमारे पहले कानून के अन्दर प्रीवियस कानून के अन्दर ऐसी सुविधा नहीं थी। परन्तु यह भी मानना पड़ेगा माननीय प्रभारी सदस्य को कि कुछ ऐसे केसेज भी हमारे सामने आते हैं कि जैसा पहले लॉ के अन्दर सेक्शन १३ क्लीअर था कि अगर बोनाफाइडी नेसेसिटी हो तो उस हालत में भी किरायेदार मकान में से नहीं निकलता है, जब कि मकान को खुद के रहने के लिए मकान की नेसेसिटी होती हो, या रिपेअर कराने की आवश्यकता हो तो उसको देखते हुए अपना बोनाफाइड राइट प्रेस करने के लिये दावा करके डिक्री करा लेता है। यह उसका कॉन्स्टीट्यूशनल राइट है। इसका दूसरा पक्ष भी है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, कुछ केसेज ऐसे नजर आये जिनमें कुछ टीनेन्ट्स जिद् में पड़ गये अगर कोई मकान एक बार ले लिया तो, उसको छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं रही और जैसे कि बहुत से गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स के मकान हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है तो अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिये वह उस मकान को किराये पर दे देते हैं। तो एक बार देने के बाद अगर दुबारा खाली कराने की स्थिति पैदा हुई तो विवाद पैदा हो गया। ऐसी हालत में हाई कोर्ट के सामने मैटर एजीटेट किया गया। तो ऐसे केसेज भी आये हैं कि किरायेदार की हठधर्मी के कारण अगर मकानदार को रखने के लिए, रिपेअर कराने के लिए मकान की आवश्यकता हो तो उस हालत में भी किरायेदार उन मकानों को खाली करने के लिये तैयार नहीं हुए।

तो यह जो बात कही गई कि हर हालत में टीनेन्ट को तरफ से कानून का मिसयूज करने की बात नहीं आई-यह सही नहीं है। तो जिस बात को मद्देनजर रखते हुए यह अमेंडमेंट पेश किया गया है, उसके लिए माननीय सदस्य ने बताया कि ३७४६ मामले बेदखली के किये हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह नहीं बताया कि जितनी बेदखलियां कराई गई हैं वे मेलाफाइड इन्टेन्शन से कराई गई हैं या बोनाफाइड राइट को प्रेस करने के लिए, खुद के रहने के लिये या मकान की रिपेअर कराने के लिए कराई गई हैं। माननीय सदस्य ने ये तथ्य नहीं रखे कि जितने केसेज हैं, जो ३७४६ केसेज उन्होंने बताये हैं, उनमें से कितने केसेज में कानून का मिसयूज किया गया है? कितने मकान किराया बढ़ाने के लिए खाली कराये गये हैं? यह फिगर्स दे दिये जायं कि जितनी डिक्रियां हुईं उनमें से कितनी अपने बोनाफाइड राइट को प्रेस करने की आवश्यकता के कारण हुईं और कितनी इस इन्टेन्शन से कराई गई कि किराया बढ़ा कर दूसरे किरायेदार को दे दिया जाय और उस हालत में यह नहीं मान सकते कि बोनाफाइडी इन्टेन्शन के कारण उस मकान को खाली कराया है। वैसे मैं समझता हूं कि कोई खुद रिहायश के लिए मकान खाली कराता है, और कुछ रुपया रिपेअर्स में इन्वेस्ट करने के बाद खुद रहना चाहता है तो यह उसका राइट है। वैसे इस क्लॉज में अमेंडमेंट को पारित कराने के सिलसिले में जो उन्होंने दलीलें दी हैं या जो फिगर्स बताये हैं-- इनसे साबित नहीं होता है कि कानून का मिसयूज करके बेदखलियां कराई हैं या ज्यादा बेदखलियां इस मन्शा को मद्दे नजर रखते हुए कराई हैं, कि किराये में बढ़ोत्तरी करके मकान

Page No. 18

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

दूसरे किरायेदार को दे दिया जाय। इस प्रकार की बातें सामने नहीं आई हैं इसलिये यह जो दलील माननीय सदस्य ने रखी है उसमें कोई तथ्य नहीं है और तथ्यहीन होने से यह दलील भी वेग रह जाती है इसलिए सदन के सामने पूरे फेक्ट्स नहीं होने से सदन को इसको मानने में असमर्थता होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एप्लीकेबीलिटि के बारे में बताया कि यह सिर्फ अभी तक ८३ सिटीज में ही लागू है और इसका स्कोप वाइड किया जाना चाहिये। मैं कहूंगा कि कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि वहां के लोगों का एसोसियेन की तरफ से रिप्रेजेन्टेशन आये और डेप्यूटेशन जायें और सरकार इस बात को महसूस करे कि फलां सिटी में इस कानून को लागू करने में लोगों का हित है तो सरकार इसको सोच सकती है और लागू कर सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सरकार के समक्ष ऐसे रिप्रेजेन्टेशन आये या कोई डेप्यूटेशन आये हों और सरकार ने उनको मानने में अपनी असमर्थना जाहिर की हो और उनकी इन डिमान्ड को नजरअंदाज किया हो तो ऐसी हालत में माननीय सदस्य ने कोई तथ्य पेश नहीं किये कि फलां सिटी में इसकी नैसेसिटी होने के बावजूद भी सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। मगर जहां पर किराये की वेल्यू ऊंची नहीं है और जहां पर किराया ऊंचा नहीं है तो खामोख्वाह लोगों की इस प्रकार के कानून को लागू करने से लोगों को किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। इसलिये माननीय सदस्य की यह दलील भी कोई महत्व नहीं रखती और कोई वजन नहीं रखती।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने बताई कि मकानों में किरायेदार को हर हालत में इन्ट्रेस्ट ज्यादा देखने की जरूरत है। मगर माननीय सदस्य इस बात को भूल जाते हैं कि जिस समय किरायेदार लैन्डलॉर्ड को किराया चिट्ठी लिखता है वह उस समय मकान मालिक के साथ एक तरह का कॉन्ट्रेक्ट करता है और उस समय वह फ्री होता है कॉन्ट्रेक्ट करने के लिये। वह अपनी मर्जी से जो भी लिखता है लिखता है। उस पर कोई किसी प्रकार का दवाव नहीं होता। वह फ्री होता है, उस पर किसी प्रकार का दवाव नहीं होता और न कोई उसको किराया नामा लिखते समय मजबूर करता है कि वह मकान मालिक की मर्जी के अनुसार लिखे या दुगने रुपये दे। अगर कोई ऐसा होता है तो सरकार उसके संबन्ध में विचार कर सकती है और एमेन्डमेन्ट के जरिये उन लोगों को राहत दे सकती है, और जैसा आपको मालूम ही है कि सरकार ने समय-समय पर उनको राहत दी है और ऐमेन्डमेन्ट किये भी जाते हैं, किये भी हैं। ऐसी हालत में जब उनको फ्री ऑर्डर होता है तो इस प्रकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर कोई प्रेजुडिशियल इन्ट्रेस्ट ऑफ लैन्ड लॉर्ड हो तो उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, और कोर्ट में दोनों पक्षों के दावे सुन कर इन्साफ किया जाता है। इसमें टीनेन्ट और लैंड-लॉर्ड दोनों को सुना जाता है। मगर आप यह चाहते हैं कि हर हालत में मकान मालिक जो भी एमीनिटीज किरायेदार चाहते हैं वे लगावें और मकान जरूरत पड़े मकान मालिक को तो भी वे लोग खाली न करें इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इसको मंजूर किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने यह भी बताई कि टाइम फॉर इवेक्यूएशन ऑफ दी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हाउस मुकर्रर कर दिया जावे। आपने कहा कि ६ महीनों का समय तो दुकानों का बढ़ाया जाय और तीन महीनों का समय घरों के लिये रखा जाए। माननीय अध्यक्ष, जब किरायेदार मकान खाली नहीं करता तो अदालत में मामला पेश किया जाता है उस समय उतना समय तो उनको मिल चुका है उसके बाद भी आप यह चाहते हैं कि उनको रीजनेबल टाइम आप नहीं मानते। उसके अलावा जब डिक्री होती है उसमें जब उसको खारिज कराने के लिए अपील करते हैं तो उसमें भी काफी समय लग जाता है। अगर किरायेदार ने मेलाफाइड इनटेंशन से दावा किया हो तो उसको अदालत भी देखती है। अगर मकान की हालत ठीक हो और मकान मालिक ने मकान की रिपेयर्स आदि के लिये दावा किया हो तो अदालत ही उसको रिलीफ ग्रान्ट कर सकती है। इसलिये उस व्यक्ति को जो किरायेदार है काफी समय मिल चुका है और उसके बाद फिर यह कहना कि उसको कुछ ज्यादा समय दिया जाना चाहिये मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। हां अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो राज्य सरकार सोच सकती है। लैंडलॉर्ड को दो-तीन साल तो कोर्ट में मुकदमा चलते चलते निकल जाते हैं और कुछ डिक्री में टाइम निकल जाता है। इसलिये दोनों पक्षों का हित बराबर देखना चाहिये जब आप यह कहते हैं कि हाई कोर्ट ने तीन डिफॉल्ट का फैसला कर दिया, मैं कहूंगा कि हाई कोर्ट ने क्या किया है वह तो कानूनन ही है जो कुछ किया गया है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। माननीय सदस्य खुद वकील हैं या नहीं जो इस तरह की बात करते हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानून की बात जहां कही जाती है वह दोनों पक्षों को सुन कर ही फैसला किया जाता है। अदालत में एक्सपार्टी फैसला नहीं होता है और अगर होता भी है तो उसकी अपील वगैरह हो सकती है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस संबन्ध में जो माननीय सदस्य ने दलील दी है वह संतोषप्रद दलील नहीं है जिससे कि इस बिल को पारित किया जाकर एक्ट बना दिया जावे। अगर इन ओपीनियनों को देखते हुए जो आई है माननीय सदस्य को संतोष नहीं हो तो माननीय सदस्य को यह मानना चाहिये कि उनकी ओपीनियन की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये थी। अब वे चाहे तो उसकी पब्लिसिटी और बहुत जोरों से कर सकते हैं और अपना डेप्यूटेशन सरकार के पास भेज सकते हैं और सरकार खुद उस पर विचार करे और कोई इस प्रकार का बिल पेश करे तो कोई एतराज नहीं है। सिर्फ उनके कहने से ही ऐसी बात साबित हो जाती हो और उसको माना जाए ऐसी बात नहीं है। यह तो किरायेदारों से ऐसी मांग आना और सरकार को संतोष करने की बात है। अगर सरकार चाहे तो किया जा सकता है। इस संबन्ध में ज्यादातर जो ओपीनियन आई है उनके खिलाफ आई हैं। इसलिये मेरा विचार है कि इस बिल को वापिस जनमत जानने के लिये भेजा जाए ताकि इस पर पुनः विचार किया जा सके।

आपने जो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है इसका तो मैं पूरा विरोध करता हूं। इस संबन्ध में ज्यादा से ज्यादा यह माना जा सकता है कि अगर कुछ लोगों की ओपीनियन रह गई हो तो वे भी इसको वापिस जनमत के लिये भेजने से आ जावगी और उनके सुझाव आवें तो शीघ्रता से माने जा सकते हैं। सरकार ने पहले भी कई सुझावों को जो जनता की तरफ से आये हैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मानें हैं और एमेन्डमेन्ट लाये गये हैं और फिर भी लाये जा सकते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसको फिर जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। इससे माननीय सदस्य को भी ज्यादा मौका मिलेगा और वे अपनी फेवर में ओपीनियन मंगाने का प्रयास करेंगे। वे इसमें और ज्यादा एफर्ट कर सकेंगे आपने हाई कोर्ट का जजमेन्ट हुआ उसकी मिसाल देकर बताया कि इससे किरायेदारों को और भी ज्यादा दिक्कत हुई है और उनकी दिक्कतों को दूर करना चाहिये। उन्होंने कोई स्पेसेफिक पॉइन्ट नहीं बताये हैं पर मेरी मान्यता है कि अगर किरायेदारों को डिफिकल्टीज हों उनको दूर करना चाहिये। सरकार भी, मैं समझता हूं इस बात को मानती है और समय समय पर हमारी सरकार ने जो जनता की सरकार है जनता के हित के लिये इस तरह की सहूलियतें नहीं दी हों, ऐसा मालूम नहीं होता। इसलिये यह बात भी ज्यादा महत्व नहीं रखती। इन सब बातों को कहते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ५ मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, अभी तो काफी समय है।

श्री अध्यक्ष: समय नहीं है। कई माननीय सदस्य इस पर बोलने को उत्सुक हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: श्री अब्दुल जब्बार खां नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब्दुलजब्बारखां नहीं हैं, लेकिन कई महीनों से कई माननीय सदस्य इस पर बोलने के लिये इन्तजार कर रहे हैं वे इस पर कुछ कहेंगे।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: मैं ५ मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तुत विधेयक सदन के समक्ष इस बिल के द्वारा राजस्थान प्रेमिसेज कन्ट्रोल एक्ट में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया है। मैंने प्रभारी सदस्य का और विपक्ष की तरफ से बोलने वाले सदस्यों की दलीलों को बहुत गहराई से सुना यह बात तो निस्सन्देह सत्य है कि आज राजस्थान के अन्दर जो टीनेन्ट्स है उनको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता निर्विवाद है और इसमें दो राय नहीं हो सकती। यह एक सामाजिक प्रश्न है, इसको हम कानूनी प्रश्न के रूप में लाना चाहते हैं। आज समाज में आवश्यकता है। उसको देखते हुए कदम बढ़ाने के बाद प्रश्न यह उठता है कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कि यदि किरायेदार द्वारा ३ डिफॉल्ट्स हो गये हैं, उनके बाद यदि मालिक मकान ने किराया स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद भी किरायेदार को कोई राहत नहीं मिल सकती। इस चीज के बाद भी क्या आज की सरकार इस बात को सोचती है कि उनको अधिकार फिर से एक्रयू हो जाते हैं उनको फिरसे कन्सेशन नहीं दिया जाय, यह मुख्य मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा संवैधानिक है, उसके सम्बन्ध में मैं कलेक्टर की ओपीनियन पढ़ रहा था, शायद जोधपुर के कलेक्टर की राय थी, उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अन्याय

Page No. 21

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

होगा, अन्फेयर और अन्जस्ट होगा। अगर इस प्रकार का संशोधन ला दिया जाय। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज भी वैलफेअर स्टेट में इस प्रकार के सामाजिक कानून के प्रति इस प्रकार की आस्था रखते हैं। हमारे संविधान का जो प्रिएम्बल है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रिएम्बल में इस बात की गारन्टी दी है कि सामाजिक, इक्विलिटी, सोशियल इकोनोमी और हर तरह के सामाजिक न्याय की गारन्टी देंगे। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ दी स्टेट पॉलिसी के अन्तर्गत इस तरह का निर्देश दिया गया है कि सामाजिक न्याय और समानता लाने के लिये सरकार कदम उठा सकती है। यह आर्टिकल १४१ के साथ है। इक्वेलिटी बिफोर दी लॉ, इसमें यह बात निहित है। इस कानून को सारे राजस्थान में लागू करने का सवाल है तो एक जगह प्रोटेक्शन दें और दूसरी जगह प्रोटेक्शन देने से डिनाई कर दें तो यह मैं समझता हूं कि आपकी नीति की कौनसी इन्इक्वेलिटी का मामला है।

मैं अभी इन तमाम दलीलों में नहीं जाऊंगा, जो आज की स्थिति है, कियायेदारों से मकान मालिक ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, उन मकान मालिकों की इस ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की जो प्रवृत्ति है उस पर सरकार को रोक लगानी होगी, सरकार को यह देखना होगा कि किरायेदारों के हकूक का तो मकान मालिक हनन नहीं कर रहे हैं। दूसरे देशों में इस प्रकार की प्रगतिशीलता चलती है कि किसी भी मकान के अन्दर जितने किरायेदार हैं, उनके लिये मालिकाना हकूक दे दिये गये हैं। होना तो यह चाहिये था कि राजस्थान सरकार ऐसा प्रगतिशील विधेयक अपनी ओर से ला कर सदन में उपस्थित होती कि जो किरायेदार जिस मकान में रहते हैं उस मकान पर उनका मालिकाना हक होगा। जिस तरह भूमि के सम्बन्ध में जो भूमि को जोतता है उसको खातेदारी राइट्स दिये हैं। जितनी होल्डिंग्स थी उनकी ओनरशिप को एबोलिश करके किसानों के मालिकाना खातेदारी हकूक कर दिये। तो उस हालत में जब कि किसानों के लिये इस प्रकार कर सकते हैं तो मकानों के लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? एक किरायेदार २० साल से किसी मकान में रहता है तो उसे उस मकान का मालिक करार दे दिया जाय। जो छोटे-छोटे मकानों के मालिक हैं उनके लिये आप सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि ५ हजार से ऊपर की, १० हजार से ऊपर की, अथवा एक लाख की बिल्डिंग है उसके टीनेन्ट्स को उस बिल्डिंग पर मालिकाना हकूक दे देंगे, इस तरह की चीज लाते तो सदन आपके विश्वास में आ सकता था और राजस्थान की प्रगति में आपके कदम के साथ कदम मिला सकता था। पर जहां रात-दिन ऐसी कठिनाइयां आती हैं, कभी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है तो कभी नल का कनेक्शन काट दिया जाता है और पगड़ी जैसी भयंकर सामाजिक बुराई सामाजिक अंग बनती जा रही हैं, रात-दिन टकराव हकूक के होते रहते हैं, तब कोई कारण उपस्थित नहीं होता कि जब हम हमारे एक बहुत बड़े वर्ग के लिये एक प्रोटेक्शन दें। जैसे-जैसे लैंडलॉर्डस और टीनेन्ट्स के रिलेशन्स एक्ट होते जा रहे हैं जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे मकानों की समस्या

Page No. 22

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मुंह खोले विकट रूप में हमारे सामने आ रही है। बड़े-बड़े शहरों को ले लीजिये, बम्बई को ले लीजिये, जयपुर को ले लीजिये। जयपुर का नमूना जो जयपुर की गलियों में देखते हैं वही नहीं है। जयपुर का नमूना आप झुग्गियों में जाकर देखिये। देश का सच्चा नमूना देखना है तो गांवों में जाकर देखिये वहां लोगों के रहने के लिये मकान नहीं हैं सिर्फ चार दीवारी है जहां वे शरीर को सुरक्षा में रख सकें।

इन तमाम मानवीय तत्वों की तरफ देखते हुए सरकार इस प्रगतिशील कदम को स्वीकार करेगी, जो माननीय सदस्य ने विल के रूप में रखा है। हो सकता है कि इसमें एक-दो बातें ऐसी हों जिनसे सरकार इत्तफाक नहीं करती हो तो इसे एक प्रवर समिति में भेज कर जैसा कि इस बिल के प्रस्तावक ने भी तजवीज पेश कर दी है इन-अड़चनों को दूर किया जा सकता है। यदि वास्तव में आप सामाजिक न्याय की तरफ चलना चाहते हैं तो आप यह कदम उठायें सदन भी आपका इसमें साथ देगा यह समाजवाद की ओर एक अच्छा कदम होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी. यह राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिये इस बिल को प्रवर समिति को भेज कर इस पर विचार किया जाय।

गैर-सरकारी विधेयकों को सदन में लेने विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : बहस का क्रम इस प्रकार रहेगा। मन्त्री महोदय के इन्टर्वेन्शन के बाद भी माननीय सदस्य चाहें तो बोल सकते हैं। माननीय सदस्य जो प्रस्तावक हैं वे बहस का उत्तर देंगे। यह सारी प्रक्रिया ११ बजे समाप्त हो जायगी।

उसके बाद श्री मथुरेश बिहारी राजस्थान फोरेस्ट अमेन्डमेन्ट बिल रखेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत राजस्थान कल्चरल इन्स्टीट्यूट बिल, १९६३ प्रस्तुत नहीं करना चाहतीं।

इसके बाद श्री रामानन्द अग्रवाल राजस्थान शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ के सम्बन्ध में प्रस्ताव करेंगे जिस पर डेढ़ घंटे का समय निश्चित किया गया है। जो बाकी समय बचेगा उसमें श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत के राजस्थान मैटर्निटी बैनिफिट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ पर विचार किया जायगा।

श्री अब्दुल जब्बार आज उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनका राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३ नहीं लिया जायगा।

राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पूर्वक्रम से विचार विमर्श एवं इसे वापिस लेना)

श्री **मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है, उनकी तकरीर को आज दुबारा सुनने का मौका मिला। बिल को पेश करने के वक्त भी उन्होंने इसी भाषा में यहां इस तरह के मुद्दे उठाये थे। मैं राजस्थान सरकार की नीति जहां

(श्री मथुरादास माथुर)

तक इस बिल से संबंधित है, जहां तक लैंड लार्ड्स और टीनेन्ट्स के बारे में राजस्थान सरकार की नीति है, वह मैं बहुत थोड़े। लफ्जों में सदन के सामने रखना पसन्द करूंगा। जयपुर में अभी किरायेदार सम्मेलन हुआ था जिसका जिक्र अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और उसके अन्दर एन० सी० चटर्जी की राय भी पढ़ी। हम लोगों ने भी उस सम्मेलन की कामयाबी चाहते हुए अपने मेसेज दिये हैं। मैं अपने मेसेज का आखिरी पैरा पढ़ देता हूं जिससे यह मालूम हो जायेगा कि राजस्थान सरकार की नीति इस संबंध में क्या है :

'The present Rent Control Order needs such amendments which may protect tenant from the harassment of the landlord. I am sure the Conference will be able to give concrete and practical proposals which may serve the purpose of the tenants and at the same time do not discourage the investors to invest liberally in the construction of tenements.'

यह बयान, मेसेज, हमने किरायेदार सम्मेलन में भेजा था। उसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, माननीय वित्त मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के सबके बयानात हैं। मगर मैंने अपना बयान उसमें दिया उसको सदन में इसलिये पढ़ा कि उससे सरकार की नीति स्पष्ट हो जाती है।

मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि इस मामले के अन्दर किरायेदारों को हर तरह से लैंडलॉर्ड्स के हैरसमेंट से बचाना चाहिये। यह सरकार की नीति रही है। इसलिए कानन सन् १९५० में हम लाए, इसलिए सन १९५२ में भी लाए और उसके बाद में १९५७ और सन १९५८ के अन्दर भी लाए। ४ दफे तरमीमें समय समय पर इस सदन में लाई गई। जब भी हमने जरूरत महसूस की हम अमेंडमेंट्स लाए। वैसे यह कानून इब्तदाई के अन्दर विधान की धारा १९ एफ के खिलाफ कानून है, यह कानून टेम्पोरेरी नेचर का पब्लिक इण्ट्रेस्ट का है और इसको बार बार हम एक्सटेन्शन देते हैं। यह पर्मानेंट सोशयल लेजिस्लेशन नहीं है। यह एक टेम्पोरेरी सोशल लेजिस्लेशन है, क्योंकि इसको परमानेंट हम नहीं कर सकते। होगा तो भी अल्ट्रावायर्स हो जायगा, क्योंकि विधान की धारा १९ एफ को यह ब्रीच करता है। इसलिये हम इसको बार बार एक्सटेन्शन देते आए हैं और १९६० से लेकर सन् १९६४ तक इस कानून में बराबर एक्सटेन्शन हो रहा है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इस कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में, जिनका अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, मैं उनके बारे में यह नहीं कहता कि उन्होंने जो अमेंडिंग बिल रखा है, उनकी सब बातें सरकार को अमान्य हैं। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं। मैं यह भी कहने को तैयार नहीं हूं कि जो कुछ भी उन्होंने रखा है या जो कुछ भी अमेंडमेंट्स पेश किए हैं बिल के अन्दर, ओरिजिनल एक्ट के अन्दर, उनको मैं सही मानता हूं। इस स्थिति में मैं आज नहीं हूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी

(श्री मथुरादास माथुर)

इस सदन में कहा था कि राज्य सरकार खुद इस बात लिये विचार कर रही है। राज्य सरकार ने इस बात का निर्णय किया है कि अगले अधिवेशन के अन्दर, जो ३, अगस्त को शुरू होगा, उसके अन्दर बिल लाया जाय। हमारे यहां के किरायेदार सम्मेलन के लोगों का और उनके प्रतिनिधियों ने जो हमको मेमोरेण्डम दिया और उनका जो डेलीगेशन मुझसे मिला, उसकी मैंने चर्चा की। उसके साथ साथ में लैंडलार्डस की तरफ से भी एक डेप्यूटेशन मिला और उसने भी मेमोरेण्डम दिया। उसके अलावा कुछ इसके कॉन्स्टीट्यूशनल पहलू भी हैं। इन सब बातों का विचार करते हुए......

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। राज्यपाल महोदय की घोषणा के पूर्व ही मंत्री महोदय ने कैसे कह दिया कि तीन अगस्त को अधिवेशन होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): Not audible

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था की बात क्या है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तीन अगस्त कैसे कहा गया ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर: राज्य सरकार का इरादा है। बिजनेस एडवाइजरीय कमेटी मन्जूर कर ले तो हो सकता है। राज्य सरकार का इरादा है तीन अगस्त को subject to the Speaker's guidance.

श्री रामकिशन (वैर) : आपका इरादा पवित्र है।

श्री **दुर्गालाल बाढदार**: इसको राज्यपाल महोदय ही......

श्री अध्यक्ष : The House can adjourn to meet any day.

श्री मथुरादास माथुर: We can advise the Rajyapal Mahodaya also.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अगले सत्र के अन्दर हम बिल ला रहे हैं। ३ अगस्त की तारीख मैंने इसलिए बताई कि माननीय सदस्यों को तसल्ली हो।

श्री अध्यक्ष: इसकी आवश्यकता भी थी।

श्री मथुरादास माथुर : आवश्यकता को महसूस करते हुए हम बिल को ला रहे हैं। जो ४ बातें आपने कहीं हैं–ये चारों ही राज्य सरकार के विचाराधीन हैं, आपने पहले भी ये बातें कही थीं। मैं सेंट परसेंट टीनेन्टस को प्रोटेक्शन देना चाहता हूं इसमें दो राय नहीं। मैं लैंडलॉर्डस की एक्सप्लॉयटेशन से सेंट परसेंट उनको एलिमिनेट करना चाहता हूं, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन आज एक दृष्टिकोण ले कर माननीय सदस्य चलते हैं कि लैंडलॉर्ड जो है वह अमीर हैं, एक्सप्लॉयटर हैं और जो टीनेन्ट हैं वे गरीब हैं, और शोषित होगा। यह बात सेंट परसेंट लागू नहीं होती। ऐसे भी लैंडलॉर्डस हैं जो फर्स्ट-क्लास के केपिटलिस्ट्स हैं और आपके कार्ल मार्क्स ने जितने भी शब्द बनाए हैं

(श्री मथुरादास माथुर)

उनका इस्तेमाल कर लीजिये मुझे आपत्ति नहीं, वे वाकई एक्सप्लॉइटर्स हैं। लेकिन जहां तक मकान मालिकों का सवाल है, माननीय अध्यक्ष, आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि कई जगहों पर यह गरीबों के गुजारा करने की एक इंडस्ट्री है। जोधपुर का आपने बार बार नाम लिया। जोधपुर के अन्दर फिदूसर क्वेरी है--जोधपुर से दो मील पर। वहां स्टोन मिलता है, लाइम मिलता है, अच्छा पत्थर मिलता है। वहां पर किसी विडो को अपने हस्बेंड की ग्रेच्यूटी मिलती है वह कहां इन्वेस्ट करे, वह किसी बनिए के पास ब्याज पर नष्ट करवाए......

श्री रामकिशन : श्री रामानन्द अग्रवाल के यहां करवा दीजिए, बिल्कुल सुरक्षित रहेगी।

श्री मथुरादास माथुर : श्री रामानन्द के पेट्रोल पम्प में करा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर कोई बेवाह कर ले।

श्री अध्यक्ष : वह बहुत इन्फलेमेबल होगा।

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, जिनको १०-१२ या १५ हजार ग्रेच्यूटी मिलती है जो बिल्कुल लोअर मिडल क्लास है या मिडल क्लास है वह क्या करता है कि १०-१५ हजार का जोधपुर के अन्दर दो-तीन कमरे का पत्थर का मकान बना लेते हैं, २०-२५ हजार के अन्दर तो और भी अच्छा बनता है और ८० या १०० रुपये किराया आ जाता है। इस तरह से एक विधवा लैंडलेडी बन जाती है और अपनी जिन्दगी बसर करती है। श्री रामानन्द को उसका ख्याल नहीं है। यहां पर बड़ी बड़ी फर्म्स भी टीनेन्ट्स हैं जिनका धंधा कलकत्ता में चलता है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने मकान नहीं बनवाए हैं और जो टीनेन्ट्स हैं। पोलिटिकल पार्टीज के दफ्तर हैं, माननीय एम० एल० ए० टीनेण्ट्स हैं। उसके बाद कई माननीय एम० एल० एज० लैंडलॉर्ड्स भी हैं। इसलिए लैंडलॉर्ड और टीनेण्ट की डेफिनेशन को कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिये। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो कॉमर्शियल अमीर होगा वह अपना पैसा मकान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। वह तो इकोनॉमी डेवलप करता है--कण्ट्री के इण्ट्रेस्ट के लिये नहीं अपने इंट्रेस्ट के लिए। आज अगर जिसके पास ५ हजार रुपये हैं वह ५० हजार रुपये का धंधा करता है। पांच लाख वाला पचास लाख का धंधा करता है, कम्पनी फ्लोट कर लेते हैं कमीशन कमा लेते हैं, उधर से डिवीडेण्ड देते नहीं--आप रोज बहस करते हो। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑफिस खोली और वे भी टीनेन्ट्स बन गये। इसलिये ऐसे भी अमीर टीनेन्ट्स हैं जो लैंडलॉर्ड को अपने घर में घुसने नहीं देते हैं। मैं मकान मालिक हूं, टीनेण्ट के पास जाता हूं, वह साहब लेटा हुआ है मिलता भी नहीं। तो इस समस्या को बहुत बेलेंस्ड व्यू से सोचना पड़ेगा। सिर्फ लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी और टीनेन्ट के नाम से ही हम समझते हैं कि ये एक्सप्लोयटर्स हैं और वे एक्सप्लोयटेड हैं, ये रिच हैं और वे पूअर हैं--यह बिल्कुल गलत बात होगी। मैं ऐसे सैकड़ों केसेज जानता हूं जिनके अन्दर पूअर लैंडलॉर्ड्स हैं और रिच टीनेन्ट्स घुसे हुए हैं और वे

(श्री मथुरादास माथुर)

लैंडलॉर्ड्स को परेशान करते हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि टीनेन्ट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये हैरेसमेंट से, एम्ब्रेरेसमेंट से और एक्सप्लॉयटेशन से, इसमें दो राय नहीं हो सकती। अब सवाल रहा कि जिनको इजेक्ट करने का सवाल है—इस सवाल पर विभिन्न हाई कोर्ट्स में डिफरेंट रूलिंग्ज हो चुकी हैं। उसके साथ साथ ये तीन डिफाल्ट्स आ जावें; जैसे लैंडलॉर्ड है मकान खाली कराने की दृष्टि से किरायेदार से मकान का किराया का मनीऑर्डर आवे तो उसको लेवे नहीं, चिट्ठी का जवाब देवे नहीं वह तो उससे मकान खाली करवाने की कोशिश करता है, ये सब बातें राज्य सरकार के सामने विचाराधीन हैं। हम ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि जिससे टीनेन्ट को भी प्रोटेक्शन मिल जाय और लैंडलॉर्ड भी परेशान न हो। जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उससे तो मकान का मालिक ही हो जायगा किरायेदार। चूंकि २० साल तक मुनाफा ले लिया है इसलिए उसको कम्पेन्सेशन मिल गया या और कुछ दे दिया जाय और वह इंडिविजुअल को ट्रांसफर हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे मकान मालिक ही बन जायं। वर्मा शेल वाले हैं, मेरे गरीब के मकान के मालिक ही बन जायं। यह कौनसा समाजवाद होगा? हां यह तो हम मानते हैं कि पहले नेशनेलाइजेशन हो और सोशियलाइजेशन हो। लेकिन इंडिविजुआइजेशन का तो वाद हुआ नहीं है। वह तो किसी इज्म में आता नहीं। इससे न तो टीनेन्ट को विशेष कोई फायदा होगा और न ही कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): प्रोपर्टी राइट खत्म कर दें तो बात है।

श्री मथुरादास माथुर: अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़े रखे। आंकड़ों वाला मामला तो ऐसा है कि जो मर्जी आये रख दे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप मोशन लाइये यदि गलत है तो?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): जो मैंने आंकड़े रखे हैं वे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से जवाब दिया गया था उसके आधार पर रखे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यदि आपको यह गलत मालूम हो तो आप प्रिविलेज मोशन लाइये।

श्री मथुरादास माथुर: मेरी पूरी बात ही आपने नहीं सुनी। उससे पहले ही आपने कहना शुरु कर दिया। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में शायद के० एम० मुंशी थे—उनसे पूछा गया कि बन्दरों की संख्या कितनी है? उन्होंने बता दिया कि १० लाख ५१ हजार और समथिंग। किसी ने कहा—"How do you say that it is correct"? He replied—"You can verify it."

मैंने यह नहीं कहा। आंकड़ों के ऊपर दलील देकर नतीजा निकालते हैं उसके लिए निवेदन कर रहा था। ५० से शुरु किया और ६२ तक ले लिया। ६३ के आंकड़े मिले नहीं। ५० के अन्दर पॉपुलेशन को देख लीजिए और हाउसेज की पॉपुलेशन को देख लीजिये। ५० में मकानात कम थे तो

(श्री मथुरादास माथुर)

लैंडलॉर्ड भी कम थे टिनेन्ट भी कम थे। ५५ में कहा तो टिनेन्ट्स भी बढ़ गये और मकानात भी बढ़े। राजस्थान बनने के बाद मकानात छः गुना बढ़े हैं यह आप कहते हैं।

लेकिन आज वक्त तो कुछ शहरों में सेण्ट परसेण्ट इन्क्रीज हुए हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : सेण्ट परसेण्ट तो दुगुने होते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर शहर को ही देख लीजिये। मिर्जा इस्माइल रोड पर राजस्थान बनने से पहले सूअर घूमते थे, रात को औरतें निकलती नहीं थी। यह स्थिति राजस्थान बनने से पहले थी। आज देखिए··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सूअर तो आज भी जयपुर की गलियों में घूमते हैं।

एक माननीय सदस्य : ये तो रशियन पिग्ज हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ** हांडा : ये तो अमेरिकन पिग्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर : चाहे अमेरिकन पिग्स हों या रशियन पिग्ज हों ये तो सफाई के लिए घूमते हैं।

श्री **दुर्गालाल गढवार** (हवामहल जयपुर) : पॉपुलेशन बढ़ने की बात है तो यह तो हर क्षेत्र में बढ़ी है। इनकी भी बढ़ी है।

श्री **मथुरादास माथुर** : मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जयपुर में पॉपुलेशन अधिक बढ़ाने की क्षमता है। जब राजस्थान बना तो जयपुर की २ लाख की आबादी थी। आज जयपुर की आबादी ५ लाख से ऊपर पहुंच गयी है। मैं यह नहीं कहता कि आप लोगों ने यह बढ़ायी है। कहने का मेरा मतलब यह है कि माननीय सदस्य राज्य सरकार की फेमिली प्लानिंग स्कीम से सहमत हैं और उसको काम में लेते हैं। लोग यहां पर बाहर से आये हैं और उससे मकानात भी अधिक बढ़े हैं। पहले से टीनेमेन्ट्स टू टाइम्स हो गये हैं। यदि मुकदमों के अन्दर भी बढ़ोतरी हो जाय तो यह इस बात की द्योतक है कि हमारी प्रोस्पेरिटी है। मकान बन रहे हैं लैंडलॉर्ड्स और टीनेन्ट्स मकानों में रह रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि तीन दलीलें दी गई। पहली दलील यह दी कि हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया, दूसरी दलील दी कि मुकदमें बढ़ गये, दफा १३ का हवाला दिया–मुश्किल से २० परसेण्ट बढ़े हैं। तीसरी बात एमिनिटीज के बारे में कही। मैं मानता हूं कि टीनेन्ट को अधिक फेसिलिटीज देना चाहिये लैंडलॉर्ड को। कभी कभी क्या होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि लैंडलॉर्ड ने दो मकान बना लिये। एक में खुद रहता था और एक और बना लिया। मान लीजिये कि उस दूसरे मकान में गवर्नमेंट की ओर से बिजली नहीं मिलती है, टेलीफोन नहीं मिलता है–तो होता क्या है कि वह अपने पहले वाले मकान से मीटर चेन्ज करवा कर नये में ले जाता है, टेलीफोन को हटाता है। इसलिए यह दलील हो जाय कि प्रिवेलिंग प्रिविलेज हाउस में अटेच्ड था वह टेलीफोन भी मेरा रहेगा और बिजली भी मेरी रहेगी। थोड़े दिनों पहिले बिजली का मीटर नहीं मिलता था। बड़ी परेशानी थी। जब ये फेसिलिटीज कम हो जाती हैं तो

(श्री मथुरादास माथुर)

नेचुरली किराया कम हो जाता है । तो ये सब बातें हैं–इन पर विचार करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही इस प्रकार का कोई कानून हमको लाना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा दलील की जरूरत नहीं है । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने टीनेन्ट्स के साथ हमदर्दी की बातें जाहिर की । वे कह सकते हैं । जिस भाषा में चाहें वे अपनी हमदर्दी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेजरी बेन्चेज में बैठ कर उस भाषा में नहीं बोल सकते । लेकिन टीनेन्ट्स के प्रति उनकी जो भावना है उसके साथ इज्जत करते हुए यह जरूर चाहेंगे कि वे भी टीनेन्ट्स के प्रति जो हमारी भावना है उसकी वे इज्जत करें तो काम निकल सकेगा ।

उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा । इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी फिलॉसफी है । टाइम टाइम के साथ चेन्ज होती है सोसाइटी के साथ चेन्ज होती है । फ्यूडेलिस्टिक सोसाइटी में पॉलिसी दूसरी रहती है । सोशियलिस्टिक सोसाइटी में पालिसी दूसरी रहती है । सोसाइटी के साथ वह चेन्ज होती है । १९४१ से जो पीरियड रहा है वह मिक्स्ड इंवेस्टमेंट का रहा है । कोई कॉन्क्रीट नहीं कह सकता है कि यह एक फिक्स्ड इंवेस्टमेंट है । इन दी लास्ट फाइव इयर्स-फर्स्ट प्लान का तो नहीं, सेकिण्ड और थर्ड प्लान में, स्मालस्केल इन्डस्ट्रीज, मिडियम इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज में ज्यादा इंवेस्टमेंट हुआ है और वह जितना इंवेस्टमेंट हुआ है करीब करीब इंडिविजुअल बेसिस पर अधिक हुआ है । इसलिये मकानों की तरफ इंवेस्टमेंट कम हुआ है । राज्य सरकार ने मकान बनाये. अर्बन स्कीम्स के जरिये, से. एल आई. सी. भी लोन देती है । कई मकान बने हैं और कोलोनीज बन गई हैं । फिर भी उनका यह कहना है कि सिक्योर्ड इंवेस्टमेंट है । एक फ्यूडल वे ऑफ थिंकिंग ऑफ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है । डायनेमिक सोसाइटी में एन्टरप्राइजिंग की बात होती है । दस बीस लाख का धंधा करके फायदा उठायेगा ।

तो हाउसिंग में जो इन्वेस्टमेन्ट करता है उसको यदि पांच से छः परसेन्ट इन्ट्रेस्ट मिलता है तो वह बहुत कम इन्ट्रेस्ट है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : तो आप क्या यह एनकरेज करते हैं हाउसिंग की तरफ इन्वेस्टमेन्ट न करके इन्डस्ट्रीज की तरफ जाय ?

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं निवेदन कर रहा था यह जो सोशियल एमिनिटीज है, इसमें जो इन्वेस्ट करता है वह सोचता है कि इससे क्या आमदनी होने वाली है । सोशियो-इकोनामी के लिये प्रोडक्टिव प्रोग्राम में इन्वेस्टमेन्ट करना पड़ता है, चाहे वह कोऑपरेटिव सैक्टर में हो चाहे पब्लिक सैक्टर में हो । जिस प्रकार की देश की इकोनोमी है—जिसको बेकवर्ड इकोनोमी कहते हैं उसमें आज प्राइवेट सेक्टर का भी रोला है । पालियामेन्ट का लेजिस्लेशन है जिसके अन्दर बताया गया है कि क्या क्या काम प्राइवेट सेक्टर में होंगे और क्या क्या चीजें पब्लिक सेक्टर में होंगी—इसी आधार पर इन्वेस्टमेन्ट होता है । सरकार हाउसिंग में इन्वेस्टमेन्ट करके कोई इकोनोमी पोजीशन

(श्री मथुरादास माथुर)

ठीक नहीं कर सकती। उसको एग्रीकल्चर प्रोग्राम, इन्डस्ट्रीज के प्रोग्राम में इनवेस्टमेन्ट करना पड़ता है ताकि देश सेल्फ जेनेरेटिंग बन सके। हमें प्राइवेट एन्टरप्राइजेज को भी टोन करना पड़ता है। आप अपनी मर्जी के अनुसार चाहे जैसा कह सकते हैं। आज अगर लोकल टीनेमेन्ट्स को प्रोत्साहन नहीं देते हैं और टीनेन्ट्स के एक्सप्लॉयटेशन को नहीं रोकते हैं तो जो इन्वेस्टमेन्ट इसमें करते हैं उनको उसके रिटर्न्स मिलने चाहियें। अगर बराबर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं तो उनके इन्वेस्टमेन्ट बन्द हो जायेंगे। आज जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आज हम देखते हैं रूरल पॉपुलेशन का आकर्षण है वे अरबन एरिया के अन्दर आना चाहते हैं, आज हमें रूरल एरिया में स्लम्स दिख रहा है, रूरल पॉपुलेशन आज इन्डस्ट्रीज की तरफ आ रही है, बड़े बड़े शहरों के अन्दर टीनेमेन्ट्स का ज्यादा मार पड़ रहा है तो वैसी हालत में किराया बढ़ता ही जायगा। बहुत सी चीजों को आप और हम बन्द करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा "Enthusiastically to serve the purpose of tenants"—इस बात को सामने रख हुए आपके द्वारा यह जो बिल पेश किया गया है और जो मेमोरेन्डम किरायेदार संघ की ओर से दिया गया है उसको भी हम देखेंगे और इसके अलावा लैन्डलॉर्ड्स का भी जो कहना है वह भी सुनेंगे। रामानन्दजी के भी जिनके रिलेशन हैं उनको भी सुनेंगे। हो सकता है वे आपसे अधिक पेजेज का मेमोरेन्डम दें। हमें यह देखना है इन्वेस्टर को भी नुकसान न हो और टीनेन्ट्स को भी प्रोटेक्शन मिले-दोनों पहलुओं से हमें विचार करना है। अगर इन्वेस्टर को अपनी पूंजी का ब्याज नहीं मिलता है तो वह इसमें किसलिये इन्वेस्ट करेगा? इन शब्दों के साथ मैं बिल प्रस्तुत-कर्ता से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार अगले सत्र में इस संबन्ध में बिल लाने वाली है–इसलिये माननीय सदस्य इस बिल पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। अगले सत्र में हम बिल ले आयेंगे। उस समय आप अपने विचार रख सकते हैं और उस समय हम यह उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा कानून हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।

श्री रामकिशन (बैर): अध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन में प्रस्तुत हुआ है उस पर योजना मंत्रीजी ने जो बयानात दिये हैं उससे ऐसा आभास होता है शब्दों की लफ्-जबाजी में माथुर साहब तेज निकले हैं। उनको किरायेदारों के प्रति सहानुभूति है, वे सब कुछ उनके फायदे के लिये करना चाहते हैं। मुझे उनके ईमान पर भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, किराये बढ़ने के कई कारण हैं। यह जो बिल लाना पड़ा है उसका भी कारण है····

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट भी इन-वॉल्व्ड है। हम इसको कन्सीडर नहीं कर सकते जब तक कि इस पर प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट न हो जाय····

श्री रामानन्द अग्रवाल: This Bill has already been moved for consideration and now that stage has passed when the Hon. Member could have raised. Now it cannot be........

श्री मथुरादास माथुर: It can be raised at any stage. I am pointing out to you. If you wish you can pass the Bill.

Article 254 of the Constitution says—

'If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament, which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.

(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or any existing law with respect to that matter, then the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State :

Section 114 of the Transfer of Properties Act also gives........

(अल्प–विराम के अनन्तर)

श्री मकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आप उसका आशय ही बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : उसका आशय यह है कि कोई लैन्ड लॉर्ड अपनी प्रोपर्टी का किराया चार्ज कर सकता है, लीज कर सकता है, ट्रान्सफर कर सकता है। पार्लियामेन्ट द्वारा एक्ट बनाया हुआ है जिस एक्ट के तहत हम इसको ले नहीं सकते जब तक प्रेसीडेन्ट की असेन्ट न हो जाय। लेटेस्ट होम मिनिस्ट्री का भी सक्यूलर है कि बिल को कन्सीडर करने के लिये इन्ट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की लॉ मिनिस्ट्री की राय लेनी चाहिये उसके बिना प्रेसीडेन्ट की असेन्ट नहीं मिल सकती। अगर सदन स्वीकृति भी दे देता है और उस पर प्रेसीडेन्ट की असेन्ट नहीं मिलती है तो यह बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है। पार्लियामेन्ट के द्वारा एक्ट बना हुआ है, कान्करेन्ट लिस्ट में उनके लिये अमुक अमुक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। हम इस सम्बन्ध में नया बिल ला रहे हैं-सेन्ट्रल की लॉ मिनिस्ट्री से बेट करके लायेंगे ताकि किसी प्रकार प्रेसीडेन्ट की असेन्ट मिलने में दिक्कत न हो।

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने खड़े हुए)।

श्री अध्यक्ष : आप जिस समय जवाब दें उस समय यह भी पॉइन्ट ध्यान में रखें। This is one of the points mentioned by him.

श्री रामकिशन : मैं निवेदन कर रहा था कि मकानों की समस्या केवल राजस्थान की ही नहीं है, यह सारे देश की है।

(श्री रामकिशन)

जैसा योजना मन्त्रीजी ने जिक्र किया शहरों की तरफ गांव के लोगों का झुकाव हो रहा है और दूसरे जो उद्योग धन्धे यहां पनप रहे हैं या कला और संस्कृति के केन्द्र यहां बन रहे हैं इससे भी जन-संख्या शहरों की बढ़ती जा रही है। इसलिये कानून कैसा भी और कितने भी बनाये जावें इसके द्वारा इस समस्या का समाधान करना असंभव है करीब-करीब।

कितने मकान बने हैं शहरों में ? सरकार ने भी काफी लोन दिया है राजस्थान में करीब दस हजार छोटी आय वाले लोगों को मकान के लिये विगत दस बारह सालों में। पर फिर भी छोटे-मोटे शहरों में इतना किराया है जिसको सुन कर ताज्जुब होता है। एक सौ रुपया पाने वाला क्लर्क है और उसका अगर तबादला किसी तहसील के हैड क्वार्टर पर भी हो गया है तो वहां भी मकान के लिये उसको २५–३० और ४०) रू० से कम किराया नहीं देना पड़ेगा–क्या मामला है ? तो अब यह भी सोचना है कि मकान कैसे ज्यादा बनें ताकि इस समस्या का कुछ समाधान निकल सके।

अगर ऐसा कोई कानून ला देते हैं जिससे इस उद्योग में पैसा लगाने वालों को हतोत्साहित होना पड़े तो ऐसा कानून लाना नहीं चाहेंगे यह भी कहा गया, क्योंकि केवल राज्य अपने साधनों के द्वारा कुछ लोगों को या सभी लोगों को कर्जा देकर मकान नहीं बनवा सकता।

तो इस समस्या के पीछे कुछ कारण तो हैं ही। लेकिन शहरों में और जयपुर जैसे शहर में ऊंचा किराया है। यह समझ में आ सकता है कि इस कारण से है कि यहां उद्योग धन्धे बहुत हैं, केपिटल बन गई है, लोग ज्यादा आ गये हैं। पर भरतपुर एक छोटा शहर है, वहां कोई न बड़ा उद्योग है, न कर्मचारियों की अधिक संख्या बढ़ी है पर वहां भी कोई मकान साधारण से साधारण भी अस्सी और सत्तर रुपयों से कम नहीं मिल सकेगा। तो आज साधारण व्यक्ति की आमदनी कम है और मकान पर व्यय ज्यादा करना पड़ता है।

इसके लिये सुझाव रखे हैं माननीय सदस्यों ने और मेरा भी यह सुझाव इसके लिये है कि इस पर काफी अच्छी तरह से विचार किया जाय और इसके लिये इस को सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय। यह जाना चाहिये वहां निश्चित तौर से और योजना मन्त्री ने कहा है इस बारे में सरकार भी नया कानून ला रही है। तो उस सिलेक्ट कमेटी में सरकार के भी काफी लोग होंगे तो सभी मिल कर इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सरकार कोई कानून लावेगी और नये ढंग से लावेगी इसलिये इसमें देरी की जाय, ऐसा आवश्यक नहीं है।

इसका कारण कुछ महंगाई भी है और सरकार की नीति निर्धारण का इस बारे में अभाव भी कारण है। होता क्या है—बड़े-बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े प्लाट ले लेते हैं। यह इस कमी का और महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। योरूप में आप देख लीजिये। जयपुर की संख्या ५ लाख है और लन्दन की ६०-७० लाख है, पर जयपुर के मुकाबिले में किराया लन्दन में सस्ता है। जोधपुर में जो किराया है उतना मास्को में हो नहीं सकता। इसका कारण एक ही है। सरकारी पक्ष के बहुत से मिनिस्टर और सदस्य लोग अमेरिका, लन्दन और मास्को गये

(श्री रामकिशन)
होंगे, वहां की जानकारी तो इनको होगी। उन मुल्कों में नियम है कि इतने से ज्यादा प्लांट किसी को किसी सूरत में नहीं दिया जावेगा।

पर यहां तो यह है कि अफसरों, मिनिस्टरों, सेठों के बंगले जब तक साधारण लोगों के मकानों से बड़े न हों, शानदार न हों, तब तक समाज में वे अपना महत्व ही नहीं समझते। सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले हमें इस मुद्दे पर विचार करना चाहिये कि भूमि एलॉट करते समय यह नियम बना दिया जाना चाहिये कि इतने से ज्यादा भूमि या प्लांट किसी को मकान के लिये नहीं दी जावेगी। हालांकि यह भी समस्या का समाधान पूरा नहीं है। पर इसका एक कारण यह है कि बड़े बड़े लोग काफी जमीन अपने कब्जे में कर लेते हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है और इस कारण साधारण लोगों को जमीन मिलती नहीं। आज जयपुर की बात ले लें। मन्त्री, सरकारी अफसर, और बड़े बड़े सेठों की कोठियों की जमीन का एक एक तिहाई हिस्सा अलग कर दिया जावे और उनको छोटे वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिये दे दिया जावे तो आज किराये की रेटें नीचे जा सकती हैं, क्योंकि उस जमीन पर नये मकान बन सकते हैं और आबादी के नजदीक बन सकते हैं। शहर की समस्या ही एक यह है—मकानों के लिये जमीन उपलब्ध कराने की।

तो यह जो संशोधन सिलेक्ट कमेटी में चला जावेगा तो फ़ायदा यह होगा कि इस पर शान्तिपूर्वक ढंग से विचार कर सकेंगे। और आगामी साल में मकानों के बारे में क्या योजना हो, सरकार को यह भी तय करना है। ठीक है आप मकानों में फुलवा-ड़ियां भी लगावें, बाग़-बगीचा भी लगावें, पर और मुल्क भी लगाते हैं और इसके लिये ज्यादा जमीन नहीं घेरते। मकान की उनको जरूरत होती है तो एक मन्जिल के ऊपर दूसरी कर लेते हैं। पर यहां तो मामला ही उल्टा है। यहां भारत में तो जो जितनी ज़मीन ज्यादा घेरता है उसकी उतनी ही बड़ी हैसियत समाज में हो जाती है और यह एक मील तक की ज़मीन घेरे हुए न हों तब तक हैसियत नहीं मानते, तब तक मन्त्री, कलेक्टर, अफ़सर सेक्रेटरी अपने को मंत्री, कलेक्टर और अफसर नहीं समझते। तो मेरा निवेदन है कि मैंने जो ये सुझाव दिये हैं इन पर जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक मकानों की और किराये की समस्या पूरी तरह सुलझ नहीं सकती। जो स्थिति यहां की है, वही सारे हिन्दुस्तान की है।

कुछ कारण और भी हैं। आबादी शहरों की बढ रही है। लोग शहरों में आ रहे हैं। ये कारण तो सबकी जानकारी में हैं। यह भी एक कारण हमारे यहां है कि सरकार के लोग हैं वे सरकार से कर्जा लेते हैं मकान बनाने के लिये या तो मध्यम आय के हिसाब से या अल्प आय के हिसाब से। इस हिसाब से लोगों ने दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह हजार भी कर्जा लिया है और वे ही मकान सरकार के लिये छः सौ और सात सौ रुपया मासिक किराये में उठा दिया है जब कि उस कर्जे में शर्त यह होती है कि मकान किराये पर नहीं देंगे और दूसरा मकान उसके पास नहीं होगा।

(१०.५ म. पू.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

पर जिनके पास एक एक दो दो मकान होते हैं फिर भी मकान के लिये जमीन खरीद

(श्री रामकिशन)

लेते हैं और जब मकान बना लेते हैं तो रहने के लिये उसका उपयोग करेंगे, बल्कि सरकार को दे कर किराया कमावेंगे। मैं सारे राजस्थान का हिसाब नहीं बताऊंगा । केवल राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री, श्री रामकिशोर जी व्यास का उदाहरण ही पर्याप्त समझूंगा देना । उनका अपना निर्जी मकान है जयपुर में । पर फिर भी सरकार से लोन लेकर उन्होंने दूसरा मकान बनाया और फिर उसको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को ६००) रु० मासिक किराये पर दे दिया है । इस तरह अनेकों लोगों ने किया है । सरकार नियम बनाती है पर सरकार के अधिकारी स्वयं उनका पालन नहीं करते । मकान कोई इन्डस्ट्री नहीं है जिसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर ऐसा किया गया तो जैसा योजना मंत्री ने कहा । पर आज तो मकान सबसे ज्यादा फायदे की चीज बन गया है—एक बडी पेइंग इन्डस्ट्री हो गई है - न कारखाना और न उद्योग जैसा खतरा। इसमें उसका इन्वेस्टमेंन्ट पूरा का पूरा सुरक्षित है । बल्कि सरकार से ही कर्जा लेकर सरकार को ही दे रहे हैं और इस दृष्टि से अगर सारे राजस्थान का सर्वे किया जावे तो जिन को सरकार ने कर्जा दिया है मकान बनाने के लिये–उनमें से लगभग ७५ प्रतिशत लोगों ने अपने मकान किराये पर दे रखे हैं और ऊंचा ऊंचा किराया वसूल किया जा रहा है, और सरकारी विभागों को रखकर भी किया गया है ।

तो मैं समझता हूं कि सरकार की इस तमाम मकान सम्बन्धी नीति पर पुर्नविचार करने की जरूरत है । जब तक सरकार इस पर पुर्नविचार नहीं करती है, नये नियम नहीं बनाती है, तब तक इस एक्ट के अमेन्डमेन्ट से भी काम नहीं चलेगा । समस्या निरन्तर बढती जावेगी ।

दूसरा सवाल यह है । एक कारण और भी है, जाति-पांति का; जैसे ज्यादातर लोग सिविल लाइन्स में रहना पसन्द करेंगे । अगर मेहतर हरिजन लोगों के मोहल्लों में कोई मकान खाली भी होगा तो उच्च सवर्ण के लोग वहां जाने को तैयार नहीं होंगे । इसलिये मकान बनाते वक्त यह भी देखा जावे कि अलग अलग जातियों के मोहल्ले जो बनते जा रहे हैं वे न बनते रहें । आज सिविल लाइन के लोग जहां रहते हैं, जिसमें एक विशिष्ट जाति के लोग, विशिष्ट वर्ग के लोग बसते जा रहे हैं, वहां हरिजन और महतर लोगों को भी बसाया जावे जिससे किराये का मसला कुछ हल हो जावे, मकान का मसला हल हो जावे । मुसलमानों के मोहल्ले होते हैं वहां कोई सवर्ण रहना या मकान बनाना पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि वहां उसकी जाति और वर्ण के लोग वहां नहीं रहते । तो मकान की नीति क्या हो, यह भी ध्यान में रखना चाहिये । वर्ण और वर्ग भी अलग अलग नहीं बंटे रहें इसका भी ध्यान रखना होगा––यह ब्राह्मण, वनियों या कायस्थों का मोहल्ला है । सब अपने अपने मोहल्लों में जाने और रहने की कोशिश करेंगे तो इसमें मकान होंगे कम और जाने वाले ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक तौर से किराया ज्यादा बढेगा, मकान कम मिलेंगे । तो खास तौर से सरकार अगर औरों को कन्ट्रोल नहीं कर सकती तो जिनको कर्जा दे उनको तो कन्ट्रोल कर सकती है । उनके साथ यह शर्त रखें, उनसे एग्रीमेन्ट कर ले कि अगर वे मकान बनावें और एक हिस्से को किराये

(श्री राम किशन)

पर दें तो लाजिमी तौर से अगर कर्जा सवर्ण ने लिया है तो हरिजन या आदिवासी को किराये पर रखे। इससे हमारे सामाजिक बन्धन भी जो खराब हैं टूटें, किराये की हालत सुधरेगी–यह अनुभव हुआ मुझे कलकत्ते में। कलकत्ते के एक मोहल्ले में मैंने किराया देखा तो भरतपुर के करीब करीब वह था। वह भी ६०, ७० और ६५ रु. में मिलता है कारण पूछा तो यह कारण मिला कि ये दस-बीस मकान ऐसों के बीच में हैं जो मछली मारने का धन्धा करते हैं। तो उनके बीच उच्च वर्ग के जाति के लोग नहीं रहना चाहते।

तो यह मकानों का सवाल एक नये ढंग का सवाल है और इसी ढंग से हमें इसे हल करना चाहिये। देश में यह भयंकर रूप धारण करता जा रहा है और आगे भी करता जावेगा, क्योंकि यहां तो कह दिया कि गांवों के लोग शहर में आ रहे हैं। पर वे क्यों आ रहे हैं, गांवों में आबादी क्यों रुक नहीं रही है–इसको आप योजनाओं के द्वारा, नये उद्योग-धन्धे गांवों में खोलने के द्वारा, कला और संस्कृति के केन्द्र वहां भी बनाने के द्वारा, शिक्षा और दूसरी सुविधाएं देने के द्वारा रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये शहरों की तरफ लोग आते रहेंगे गांवों से, क्योंकि आपने ये सुविधाएं सारी की सारी अधिकांश में इन शहरों को ही दे रखी हैं। नीति का प्रश्न है यह।

कल दूसरे ढंग के सवाल पैदा होने वाले हैं। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है इन दो सुझावों के साथ कि यह सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए जिसमें सरकार को कोई व्यवहारिक आपत्ति नहीं है। जब ३ अगस्त के लिए माननीय योजना मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे नया कानून लाने वाले हैं तब तक सिलेक्ट कमेटी भी इस पर अच्छी तरह से विचार कर लेगी और इस तरह के आंकडे भी मालूम हो जायेंगे कि बडे प्लाट्स कितने हैं, खाली मकान कितने हैं और शहरों के पास किन लोगों ने कब्जा कर लिया है और किस तरह से मकान बनने चाहिएं, इसकी सारी जानकारी मिल जायेगी और जो काम हम ६ महीने में करना चाहते हैं वह काम ३ महीने में पूरा कर लेंगे। एक बात योजना मंत्री महोदय ने कही थी कि हम भी कभी किरायेदार रहे हैं। यह बिलकुल सही बात है, मैं इसको मानता हूं कि काफी तादाद में जो आज ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हैं किरायेदार रहे हैं; लेकिन वह जब किरायेदार रहे तब किराये की समस्या नहीं थी। वह उन दिनों किरायेदार थे जब कि जोधपुर में मकान खाली पडे रहते थे। आज वह स्वयं किराये पर देने की स्थिति में हो गये। आज तो उनका दृष्टिकोण ही बदल गया है। अब तो वह सोचते हैं कि अगर हम मंत्री-मण्डल में भी न रहे तो कम से कम ४०० रुपये का मकान का किराया ही मिल जायेगा। कभी वह किरायेदार थे लेकिन अब वह किरायों पर देने के लिये मकान के मालिक बन गये हैं। इसलिये वह अपने को इस तक से बचाने की कोशिश न करें। सहानुभूति तो आपकी हर मामले के अन्दर है, लेकिन व्यवहार में आप बिलकुल उल्टे चलते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को इसी रूप में स्वीकार कर लें और अमेन्डिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी के अन्दर दे और सरकार के पास जो किरायेदारों और मकान मालिकों के स्मरण-पत्र

(श्री रामकिशन

आये हैं उनको विचार में रख कर सिलेक्ट कमेटी में अच्छी तरह से विचार किया जा सकेगा। हम खुद ही किराये के मकानों में रहते हैं। अभी उन्होंने कहा था कि पार्टी के लोगों को किराये पर मकान नहीं देना चाहते हैं। हमारी पार्टी को तो नहीं देते हैं क्योंकि पूरी तरह किराया देने के लिये है नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग तो किराया ही नहीं देते हैं और यों ही रोब में ले लेते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): आप तो यहां अच्छी गृहस्थी में रहते हैं।

श्री रामकिशन: लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे यहां जिले में तो किराया दिया नहीं है क्योंकि उनकी धोंस है। हमसे तो कभी मकान मालिक खाली करवा लेते हैं और कभी हम भी चले जाते हैं....

श्री निरंजन नाथ आचार्य: He should keep in view the element of time. Others will also like to speak.

श्री रामकिशन: इसलिये मेरा निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजा जाये और सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री सभापति: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापतिजी, मेरे इस मोशन पर जो बहस हो रही है, उसमें जितने माननीय सदस्य बोले हैं उसमें जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को दुबारा जनमत जानने के लिए एक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा है। जो दलीलें आपने इस प्रस्ताव के लिये दी हैं, सभापतिजी, उनमें सबसे बड़ी बात....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मैं तो इसको विदड्रा कर लेता हूं। ऐसी क्या बात है। सभापति महोदय, जो अमेंडमेंट मैंने रखा है उसको मैं विथड्रा करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापतिजी, जो दलील दी गयी है और पब्लिक ओपीनियन जो आई हैं वह मिक्स्ड ओपीनियन्स हैं। वास्तव में जो ओपीनियन्स आई हैं उनका हम एनेलेसिस करें तो स्थिति यह है कि सरकार के खुद ऑफिशियल्स कलेक्टर भीलवाडा, कलेक्टर भरतपुर, कलेक्टर सिरोही, कलेक्टर पाली, कलेक्टर झालावाड और, कलेक्टर उदयपुर ने पोजिटिवली और फर्मली इस बिल के पक्ष में अपनी राय दी है। इसके अतिरिक्त सभापतिजी, चूरू, बाडमेर, गंगानगर, नागौर, जैसलमेर और टोंक—इन ६ जिलों से न तो कलेक्टर महोदय ने अपनी राय दी है और न जनता की किसी की राय आई है। बाकी जो ७ जिले रह गए, उसमें यह सही है कि जोधपुर से जो राय आई है वह केवल हाउस ऑनर्स ऐसोसियेशन की वहां से राय आई है और लोगों की राय वहां से तो आई नहीं, लेकिन जो जयपुर किरायेदार संघ की ओर से मेमोरेन्डम सबमिट किया गया है उस सम्मेलन में जयपुर के किरायेदारों के प्रतिनिधि मौजूद थे, और क्योंकि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी राय भेजी है इसलिये वहां के टीनेन्ट्स ने अपनी राय नहीं भेजी। इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, सीकर से दोनों की राय आई है और अजमेर से केवल एक ट्रेडर्स एसोसियेशन की ओपीनियन आई है। दूसरों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की ओपीनियन किरायेदार सम्मेलन की ओर से आ चुकी है। जयपुर से दोनों तरफ से आई है-किरायेदार संघ ने भी एक व्यापक मेमोरेन्डम पेश किया है और जयपुर के हाउस ऑनर्स एसोसियेशन की तरफ से भी ओपीनियन आई है। इस तरीके से कुल मिला कर ३ शहर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर-जहां पर कि यह इन्सीडेन्ट्स ऑफ इजेक्टमेन्ट्स अधिकाधिक हैं वहीं के हाउस ऑनर्स ने इस प्रकार के मेमोरेन्डम भेजे हैं। जहां तक और जिलों का ताल्लुक है पोजिटिवली ८ जिलों ने पक्ष में, ६ जिलों ने कुछ भी नहीं और ३ जिलों की एक पोजीशन की व्यूज मान सकते हैं जिनकी भी टीनेन्ट्स की व्यूज किरायेदार संघ की पक्ष में आई है। इसलिये सभापतिजी, यह कहना सही नहीं होगा कि ओपीनियन्स पूरी तरह से नहीं आ सकीं। यह कहना भी सही नहीं होगा कि ओपीनियन्स इतनी कन्फ्यूज्ड हैं कि कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। वास्तविकता यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी ओपीनियन का प्रिडॉमीनेन्ट इस बिल के पक्ष में है। केवल ३ शहरों से हाउस ऑनर्स ने इसका विरोध किया है जिसको अच्छी तरह से मैं समझता हूं कि समझा जा सकता है।

सभापतिजी, दूसरी बात, जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में, जिसका उल्लेख मैंने किया उसके संबंध में उन्होंने कुछ आपत्ति प्रकट की। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट का काम इस ऑगस्ट सदन द्वारा जो भी कानून पास किये जायें उनको इन्टरप्रेट करना है। लेकिन इस ऑगस्ट सदन का यह अधिकार है कि अगर हाईकोर्ट के इन्टरप्रिटेशन द्वारा जो सोशियल जस्टिस इस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस सदन के द्वारा करना चाहते हैं उनका पर्पज डिफीट होता है तो उन हाईकोर्ट के डिसीजन्स को, जो कानून के इन्टरप्रिटेशन से जो नतीजा निकालते हैं इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट करें ताकि वह नतीजा नहीं निकाल सकें। वह सोशियल जस्टिस जो उन फैसलों से डिफीट होता नजर आता है उनको प्रोटेक्ट किया जाये, यह इस सदन का अधिकार है। मुझे ताज्जुब हुआ कि माननीय सदस्य ने इतना डर जाहिर किया कि उन फैसलों से क्या नतीजे निकलते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट टीनेन्ट्स पर होते हैं। हाईकोर्ट की इतनी आलोचना से भी घबरा गये। मैं समझता हूं कि अगर इस सदन के माननीय सदस्य . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई: घबराने का क्या प्रश्न है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: आपने इस प्रकार की आपत्ति प्रकट की थी कि जिन फैसलों का मैंने रेफरेन्स दिया, उन फैसलों की आलोचना पर आपने आपत्ति की थी। उनका जो एडवर्स इफेक्ट टीनेन्ट्स के राइट्स पर होता है उनके ऊपर आपत्ति जाहिर की थी

श्री रघुनाथ विश्नोई: मैंने तथ्य रखे हैं आप उनको डिसप्रूव कीजिये—मैंने क्या कहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि इन फैसलों का परिणाम यह नहीं हो रहा है या इनमें डिसीजन यह नहीं हो रहा है। जो मैंने कहा यह फैसले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुए हैं, यह तथ्य हैं । इन फैसलों में रूलिंग का नतीजा जो मैंने अर्ज किया वह हुआ । यह भी तथ्य हैं उनको कन्टेस्ट नहीं किया। इसलिये इस हाउस का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस पर्पज आॅफ टीनेन्टस के लिये यह कानून बनाया था। इस रूलिंग से अगर वह डिफीट होता है तो इस हाउस को इन्टरवीन करना चाहिये और अमेन्डमेन्ट करके टीनेन्ट्स को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : इस बारे में राज्य सरकार सोच रही है । आप खुद की कह रहे हैं वह डिस्प्यूटेड पॉइन्ट है । यह हाउस सुप्रीम आॅथोरिटी है । यह राज्य सरकार जब इस आॅगस्ट हाउस से अपनी आॅथोरिटी सीक करती है, अगर हाउस यह मानकर बैठ जाय कि राज्य सरकार सोच रही है इसलिए इस आॅगस्ट सदन के सोचने की बात नहीं तो वह अनफोरचुनेट डे होगा । यह आॅगस्ट हाउस राज्य सरकार को सलाह के तौर पर विजिलेन्ट रख कर सोच रही है या नहीं या गलत दिशा में सोच रही है या सही दिशा में, और सही दिशा में सोचने के लिये मजबूर कराने के लिये यह आॅगस्ट हाउस है और इसको अपना अधिकार उसके लिये एक्सर्साइज करना चाहिए । इसलिए केवल इसी बुनियाद पर कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है या करेगी और यह कहना कि कोई बिल यहां पर नहीं लाया जाना चाहिये और डिसकस नहीं होना चाहिये या उसके ऊपर पूरी तरह से विचार नहीं होना चाहिये यह सही नहीं होगा, और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को, एक डेमोक्रेटिक तरीके को कर्ब करना होगा और अननेसेसरिली रियल आॅथोरिटी के अन्दर एक क्रुडिलिटी जिसको माननीय सदस्य मन्जूर कर सकते हैं और वास्तविक रूप से अगर माननीय सदस्य अपने अधिकारों का ठीक तरह से प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कर्त्तव्यों को ठीक तरह से निभाना चाहते हैं तो वह नहीं होगा । सभापतिजी, माननीय विधि मंत्री जी जो कि साथ ही योजना मंत्री भी हैं उन्होंने बडे नाटकीय ढंग से कुछ दलीलें दी हैं और यह तो मुझे खुशी है...

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, गृह) : वैसा ही नाटकीय ढंग जैसा कि आपका है ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : नाटक करने में भी कुछ माहिर ज्यादा मालूम पडते हैं ।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : आपसे भी ज्यादा हैं ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : सभापतिजी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो टीनेन्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है । इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने इस बात को मन्जूर किया है कि एग्जिस्टिंग लॉ टीनेन्ट्स के वाजिबी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में अभी तक असमर्थ है और इसलिये उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है । उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है और इस सदन को आश्वासन दिया है कि सरकार एक बिल अगले अधिवेशन में लायेगी और उस बिल के संबंध में उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि जो इस अमेन्डिंग बिल में भावनायें हैं और इसके साथ जो राजस्थान किरायेदार संघ ने अपने मेमोरेन्डम में सुझाव दिये हैं उनके ऊपर विचार करके बिल को सम्पूर्ण रूप से लाया जायेगा । जो हाउस आॅनसं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की तरफ से विचार रखे गये हैं उनके ऊपर भी विचार किया जायेगा । मैं उनकी बात से यह समझा हूं कि मेनली जो भी बिल हैं और जो राजस्थान किरायेदार संघ की तरफ से मेमोरेन्डम पेश किया है उन दोनों के ऊपर बिल को आधारित करेगी सरकार । यह माननीय विधि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है । इस बात का तो मैं स्वागत करता हूं । परन्तु कुछ दलीलें माननीय विधि मंत्री ने दी हैं जिनको मैं थियोरेटीकली साउन्ड नहीं मानता हूं । कुछ कॉन्सटीट्यूशनल प्रपोजीशन्स उन्होंने रखी हैं जिनके बारे में कि हाउस में इस वक्त डिसकशन के लिये जो आपत्ति उठाई है उसको भी मैं नहीं मानता। सभापतिजी, पहले मैं उस कॉन्सटीट्यूशनल आपत्ति को जो माननीय मंत्री महोदय ने उठाई है जिक्र करूंगा । उसमें उन्होंने यह आपत्ति उठाई है कि जो इस बिल का सबजैक्ट मेटर है वह सब्जैक्ट मैटर कान्करेन्ट लिस्ट में है और उसी सब्जैक्ट के ऊपर एक और लेजिस्लेशन ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के रूप में पहले से मौजूद है और इसलिये इस बिल को राष्ट्रपति की असेन्ट लेना आवश्यक है । इस कॉन्सटीट्यूशनल पोजीशन में सदाकत है । लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि यह हाउस इस बिल के ऊपर किसी डिसकशन को इनीशियेट नहीं कर सकता । यह सही नहीं है कि इस बिल पर होम मिनिस्ट्री सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की प्रायर एप्रूवल की कॉन्सटीट्यूशनल तौर के पर आवश्यकता है । माननीय विधि मंत्री महोदय ने होम मिनिस्ट्री के एक सर्क्युलर का हवाला दिया । जिसमें यह इन्टरनल अरेंजमेन्ट, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और स्टेट गवर्नमेन्ट के बीच में हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से कोई लेजिस्लेशन इनीशियेट करे तो उसमें प्रायर एप्रूवल और प्रायर डिसकशन के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से पूछे ताकि असेन्ट करने के मामले में किसी तरह की दिक्कत न आये । एक एडजस्टमेन्ट की बात दूसरी हो सकती है । एक प्रेक्टिकल कन्वीनियन्स की बात दूसरी हो सकती है कि इसमें देरी न हो असेन्ट मिलने में, इसको प्रायर कन्सल्टेशन को स्टेट गवर्नमेन्ट स्वीकार करे यह बात दूसरी हो सकती है, लेकिन एक वैधानिक अधिकार के रूप में इस सरकार और इस ऑगस्ट हाउस को यह अधिकार है कि इस सबजेक्ट पर जो भी कॉन्करेन्ट लिस्ट में है, जिसकी मंजूरी के लिये राष्ट्रपति की भी आवश्यकता है तो बगैर प्रायर एप्रूवल के इस हाउस में उसको डिस्कस करके उसको मंजूर करना इस सदन का अधिकार है । इसलिए इस प्रकार के सबजेक्ट पर जो कि कॉन्करेन्ट लिस्ट में हैं, जिसके ऊपर असेन्ट राष्ट्रपति की लेना आवश्यक है, उसके ऊपर प्रायर एप्रूवल होम मिनिस्ट्री की लेना आवश्यक है । सभापतिजी, मैं इस पॉइन्ट पर इसलिये भी स्ट्रेस करना चाहता हूं कि इस ऑगस्ट हाउस और केन्द्रीय सरकार के विस-ए-विस एक दूसरे के अधिकारों का सवाल है । हम एक कॉन्सटीट्यूशन के तहत जिसकी प्रोविन्शियल ऑटोनॉमी रही है उसके तहत काम कर रहे हैं । इस कॉन्सटीट्यूशन में जो भी प्रतिबंध या कॉन्सटीट्यूशन के जरिये जो भी अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिये गये हैं यह हाउस उनको जरूर वाइज्जत मानेगा । लेकिन हम ऐसी परम्पराओं को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि जो कॉन्सटीट्यूशन के तहत इस सदन को दिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुए अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध डालें। इस रूप में सभापति महोदय, . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : परम्पराओं का सवाल नहीं है, कानून का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं there is no constitutional limit, no constitutional prohibition which does obstruct us from discussing this Bill in this House prior to an approval by the Home Ministry.

श्री निरंजननाथ आचार्य : But we have cited the provisions of the Transfer of Property Act.

श्री रामानन्द अग्रवाल : The provisions that have been cited by the Hon. Minister only say that assent of the President shall be necessary, not that prior approval of the Home Ministry is necessary. Prior approval of the Home Ministry is required only by a private communication between the Central Government and the State Government by which this august House is not constitutionally bound. It is an internal—arrangement of mutual convenience between two Governments, Central and State, but it has no constitutional validity. This is clear. Therefore, if any arrangement is accepted by the State Government with the Central Government, it can not have a constitutional validity and this House can not be bound by any such undertaking.

इसलिये, सभापति महोदय, . . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : Do you mean to say that the assent of the President is also a private arrangement ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Not that. The assent of the President comes after this House has accepted a particular Bill. After a Bill has been discussed and accepted by this House, it will be sent to the President for assent. But the objection which was raised by the Hon. Minister was that a prior approval is necessary before discussion in this House because of a communication sent by the Central Home Ministry to the State Government. That communication or circular of the Home Ministry, I say, is not binding on this House and that communication or circular has no constitutional validity.

श्री रघुनाथ विश्नोई : I would draw your attention to Article 254:—

"(1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Par.

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

liament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.

(2) Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated is the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or any existing law with respect to that matter, then the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State."

This is the position of the Constitution.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am sorry, my hon'ble friend has cited an Article which is not relevant to the controversy here. This particular Article provides that in case a law is already in existence passed by the central Legislature.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : That is Transfer of Property Act.

श्री रामानन्द अग्रवाल: Yes, that is there. In case there is repugnancy between the two laws, than that law will prevail. I am not disputing that. But the question here is whether this House is competent to discuss a Bill which refers to a subject matter included in the Concurrent List and on which a central legislation already exists.

I will submit, Sir, that this House is quite competent to discuss such a Bill inspite of the fact that a legislation already exists on the same subject. It is for the President to withhold his assent after this House passes this Bill, if this Bill is repugnant to the legislation passed by the central legislature. But no constitutional provision debars this House from discussing the Bill at this stage and no prior approval of the Central Government is necessary. This is my submission.

I say, Sir, that it might be desirable for the State Government, to avoid delay at a later stage after the legislation is passed, to consult the Home Ministry first. That is a practical aspect of the question for the State Government, but it is not the constitutional aspect. On a practical aspect the State Government has agreed to an adjustment with the Central Government that they will send for prior approval a Bill which deals with a subject matter included in the Concurrent List. That is a different matter. But there is no constitutional bar upon the competence of this House to pass a Bill on a subject included in the Concurrent List even though the prior

Page No. 41

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

approval of the Central Government has not been obtained. I hope I am clear on this point.

The hon'able Deputy Minister seems to agree with this proposition.

श्री परसराम मवेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन): It would be advisable...

श्री रामानन्द अग्रवाल: That is another question.

श्री परसराम मवेरणा: I think it will be advisable, in order that the assent may not subsequently be with held to what we pass here, that we take this precaution. Otherwise we would be put in an embrassing position later. It is advisable that prior approval may be obtained and then the Bill may be passed.

श्री रामानन्द अग्रवाल: That is for this House to take a decision on. But it cannot be the subject matter for a point of order, for blocking the Bill on a constitutional ground.

श्री निरंजननाथ आचार्य: The point is, do you mean to say that the Bill may be passed by this House though it may be made ineffective and void later on.

आपका मतलब यह है कि यह बिल हाउस पास कर ले और उसके बाद एसेन्ट के लिए जाय चाहे फिर भले ही प्रेसीडेन्ट इसको रिकन्सीडरेशन के लिये भेज दे or it may be declared void ? If that is the position, the House would be put to unnecessary inconvenience. Why not take the precaution in the very beginning when the provision is very clear about it ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापतिजी, माननीय मंत्री महोदय दो बातों में फर्क करें, एक तो इस सदन का कॉन्स्टीट्यूशनल राइट। अब आप अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर रहे हैं। पहले आपने इस सदन के कॉन्सटीट्यूशनल राइट को, इस सदन की कम्पीटेन्सी को, बगैर प्रायर एप्रूवल के इस बिल को इस सदन में डिस्कशन करने के अधिकार को चेलेन्ज किया था। उस बात पर मैं, सभापति महोदय, कहता हूं···

श्री निरंजननाथ आचार्य: The position to be taken at a later stage may be taken at a previous stage, that is the interpretation.

श्री परसराम मवेरणा: It is safer to tread on tested grounds.

श्री रामानन्द अग्रवाल: कॉन्स्टीट्यूशनल तो है, साहब। प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट होनी चाहिये इसके पास होने के बाद। एसेन्ट होने से पहले इस हाउस में डिस्कशन करने का अधिकार है। यह आप इस बिल को इस हाउस में डिस्कस करना मुनासिब समझें या नहीं समझें, यह इस हाउस के तय करने की बात है, लेकिन वह कॉन्स्टीट्यूशनल आब्जेक्शन उठाने की बात नहीं है कि वह इस स्टेज पर एक ऑब्जेक्शन के जरिये इस हाउस को रोक सकें। हाउस इस बारे में निर्णय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ले सकता है, इसको रोक सकता है। इसको आगे पहले भेज सकता है एप्रूवल के लिए। डिस्कशन करना चाहे तो डिस्कशन कर सकता है, पास करना चाहे तो पास कर सकता है। पहले एप्रूवल के लिए भेजना चाहे तो पहले एप्रूवल के लिये भेज सकता है। यह सदन कॉम्पीटेन्ट है इस बात को करने के लिये। पास होने के बाद एसेन्ट के लिये भेजना पड़ेगा लाजमी।

सभापति महोदय, दूसरी बात, जो माननीय विधि मंत्री महोदय ने कही वह है इस बारे में कि टीनेन्ट्स सारे ही एक्सप्लोइट नहीं होंगे। टीनेन्ट्स बड़े-बड़े लोग भी हैं और लैंडलार्ड्स में छोटे-छोटे लोग भी हैं। सभापति महोदय, यह बात कुछ हद तक सही होते हुए भी, जहां तक प्रिडॉमिनेन्ट सेक्शन हैं, यह बात उन्होंने भी स्वीकार की कि अधिकतर टीनेन्ट्स इस प्रकार के हैं जिनको प्रोटेक्शन की नीड है। उन्होंने इस प्रकार छोटे लोगों के लिये चिन्ता व्यक्त की, इस बात को मैं भी सोचने के लिये तैयार हूं, बल्कि इस बात को सोचना चाहते हैं। अलबत्ता हमें एक्स-प्लोइटेशन का अधिकार या एक्सप्लॉइटर्स करने का अधिकारी नहीं बनाना चाहिये बल्कि एक्चुअली जिनको प्रोटेक्शन की नीड है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिये। अभी तक सरकार की नीति रही है पिछले १० वर्षों में, कुछ विधवाओं और कुछ नीडी लोगों के नाम पर प्रोटेक्शन हटाकर उन लैंड लॉर्ड्स को प्रोटक्ट किया है जो नीडी टीनेन्ट्स को एक्सप्लॉयट करते हैं। इसका फायदा बहुत बडी प्रिडॉमिनेन्ट मेजोरिटी को दिया है जो रिलीफ के हकदार नहीं हैं। इसलिये यदि सरकार की यह नीति है, इस प्रकार विचार करना चाहती है कि इस प्रकार के छोटे लोग, छोटे लैंड लॉर्ड्स या मकान-मालिक हैं उनकी बात को सिम्पेथेटिकली कंसीडर किया जाय और इस प्रकार के टीनेन्ट्स जो खुद मकान मालिक हैं बड़े-बड़े और बाई एक्सीडेन्ट किरायेदार बन गये हैं, फायदा उठावें तो इसको मैं सोच सकता हूं। इसलिये सिलेक्ट कमेटी को यह बिल देने के लिये मैंने मंजूर किया था। इस बात तक, इस हद तक सरकार सोचना चाहती है तो कॉमन ग्राउन्ड विचार करने के लिये हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि ऐसे बड़े-बड़े पूंजीपति जो बाई एक्सी-डेन्ट किरायेदार हो गये हैं और जो बल मेजोरिटी केसेज़ में लैंड लॉर्ड्स हैं उनको डिफेन्ड करना न मेरा ऑब्जेक्ट है और न इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह बात है। और जो छोटे-छोटे लोग, विधवाएं और दूसरे लोग जो एक मकान के छोटे-छोटे हिस्सों में सब टीनेन्ट की तरह रहते हैं उनको किसी तरह से हैरेस करने का मकसद हो सकता है तो जिस प्रकार लैंड के मामले में सिम्पेथेटिक कंसीडे्शन करके कुछ सीमाएं करदीं उस हद तक इसमें भी मिल जाय, ज्यादा नहीं तो वही प्रिन्सिपल इसमें भी लागू कर सकते हैं। बोम्बे स्टेट में इसी तरह का विचार करके लागू किया है इसी प्रकार की बात हम भी कर सकते हैं। कम से कम मौजूदा कानून में प्रावधान नहीं है इसलिये लैंड लॉर्ड्स एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यह स्थिति सामने है।

सभापति महोदय, तीसरी बात मुझे खुशी है विधि मंत्रीजी ने पिछली बार जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्टेटमेंट दिया था उससे रिट्रीट कर लिया। पहले उन्होंने कहा था कि इसमें जो इन्वेस्टमेन्ट करते हैं वे डिसकरेज हो जायेंगे। आज उन्होंने अपनी धारणा को अमेन्ड किया है कॉमर्शियली लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि उनको दूसरी इन्डस्ट्रीज वगैरह में इन्वेस्ट करने में ल्यूक्रेटिव रिटर्न मिलता है। उन्होंने यह भी कहा साथ में समापति महोदय, कि आज इन्डस्ट्रीज में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। मैं समझता हूं हाउसिंग की प्रॉब्लम कितनी भी आवश्यक होते हुए आज केवल इस कारण कि हाउसिंग के प्रश्न पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसको आज तमाम प्लानिंग में हाउसिंग के क्वेश्चन को टोप प्रायोरिटी नहीं दे सकते। हम अपना इन्वेस्टमेन्ट दूसरी चीजों से काट कर हाउसिंग में लगावें। मैं इस प्रोपोजीशन को मानने को तैयार नहीं हूं। खास करके राजस्थान में जो इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड हूं उसमें फ्लो हो रहा है तो हमको इस प्रकार हाउसिंग के जरिये इस प्रकार का इन्सेनटिव नहीं देना चाहिये जो कैपिटल इन्डस्ट्रीज की तरह फ्लो हो रही है वह रिवर्ट होकर हाउसिंग की तरफ न आ जाय। हाउसिंग की आवश्यकता होते हुए भी हम कच्चे पक्के मकानों में रह सकते हैं लेकिन हमारे यहां इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है प्रोडक्शन बढाना ज्यादा जरूरी है, इन्डस्ट्रियलाइजेशन करके एम्पलॉयमेन्ट बढाना ज्यादा जरूरी है। इसलिये यदि ज्यादा ऊंचा किराया रख कर हाउसिंग की तरफ मनि का फ्लो बढाने की पॉलिसी को यह स्टेट मान रही है या चल रहा है अथवा इन्डस्ट्रीज से कैपिटल हाउसिंग की तरफ जाय, तो वह रॉंग पॉलिसी होगी।

यह भी आवश्यक होगा कि ६ पर्सेन्ट पर पैक कर दें, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिले ताकि इसमें मनि डाइवर्ट करने वाले या इन्डस्ट्रीज की तरफ जाने वाले इधर आते हों तो वे इधर न आकर इन्डस्ट्रीज की तरफ ही डाइवर्ट हो जायं।

समापति महोदय, उन्होंने इस बात को भी कहा कि यह सिक्योर्ड इन्वेस्टमेन्ट है और इसका नेचर फ्यूडल है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। आप कम से कम सोशियलिज्म की केवल बात ही करते हैं लेकिन यदि कैपिटेलिज्म को बढाना चाहते हैं, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को बढाना चाहते हैं, उससे रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं तो फ्यूडल टेन्डेन्सीज को कर्ब करना चाहिये, उसको एन्करेज नहीं करना चाहिये। इसलिये यदि दो तरह की चीज इन्वेस्टमेन्ट में आपको करनी है, एक हाउसिंग जिसका नेचर फ्यूडल है दूसरा इन्डस्ट्री जिसकी नेचर कैपिटलिस्टिक है तो कम से कम फ्यूडेलिस्टिक से कैपिटेलिस्टिक टेन्डेन्सी बेहतर होगी इस चीज को आपको एग्री करना चाहिये। इस दृष्टिकोण से ६ पर्सेन्ट का पैकिंग आपको स्वीकार करना चाहिये ताकि मनि डाइवर्ट होकर इन्डस्ट्रीज की ओर जा सके। जो लोग कॉमर्शियल के अलावा दूसरे हैं जिनकी फिक्स्ड इन्कम है वे या तो बैंक में पैसा जमा कराते हैं या मकान बनाते हैं। बैंक में ४।। पर्सेन्ट से ज्यादा मिलता नहीं है और इसमें अगर ६ पर्सेन्ट देंगे तो इसमें इन्वेस्ट करना पसन्द करेंगे।

चौथी बात, अजीब विधि मंत्री महोदय ने कही। ये जो केसेज इजेक्टमेन्ट के ज्यादा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दायर हो रहे हैं, मैंने बताया था कि ६ गुणा ज्यादा हो रहे हैं सन् ५० में करीब ६५० इन्स्टीट्यूशन्स हुए थे और सन् ६२ में ३७०० हुए जो कि पहले से ६ गुणा हैं। इतने इन्स्टीट्यूशन्स हुए हैं। उनका कहना है कि यह तो खास ज्यादा नहीं है, १५-२० पर्सेन्ट ज्यादा हो सकते हैं। विधि मंत्रीजी ने कहा कि कुछ पॉपुलेशन में इन्क्रीज हुआ है। कुछ टेनेमेन्ट्स में इन्क्रीज हुआ है। मैं समझता हूं इस बात पर पर्दा डालना है। पॉप्रलेशन में इन्क्रीज सेन्ट पर्सेन्ट नहीं हुई है केवल २० पर्सेन्ट हुई है। हाउसिंग में जो इन्क्रीज हुई है यदि उन फिगर्स को देखेंगे, मेरे पास अभी फिगर्स हैं नहीं, लेकिन यदि हाउसिंग की इन्क्रीज को सेट पर्सेन्ट भी मान लें तो भी यह जो ६०० पर्सेन्ट इन्क्रीज है इन्स्टिट्यूशन में उसको किसी भी प्रकार एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि कानून डिफेक्टिव है। सरकार ने अमेन्डमेन्ट्स किये, हाई कोर्ट का रूलिंग आया, लैंडलॉर्ड्स के हैन्ड्स स्ट्रेंग्थन हुए।

सभापति महोदय, विधि मंत्रीजी ने कहा कि जैसे-जैसे समय में आवश्यकता पडी तैसे-तैसे हमने कानून में परिवर्तन किये हैं। चार दफा परिवर्तन हुए, चार दफा अमेंडमेंट हुए, सभापति महोदय, पहला अमेंडमेंट किया गया १९५२ में, दूसरा अमेंडमेंट किया गया १९५६ में तीसरा अमेंडमेंट किया गया १९५७ में और चौथा अमेंडमेंट किया गया १९५८ में। क्या आवश्यकता पडी साहब ? अब १९५२ के अन्दर यह अमेंडमेंट कर दिया सरकार ने कि रजिस्टर्ड नोटिस देने की अब जरूरत नहीं है। यह अमेंडमेंट कर दिया कि तीन डिफॉल्ट हो जाय तो फिर बेदखली लाजमी होगी। कौनसी आवश्यकता पडी थी, साहब, इस किस्म की ? कौन से फेक्ट्स एण्ड फिगर्स सरकार ने सामने रखे कि टेनेन्ट्स ने इस तरीके की बात करना शुरू कर दिया है, वह किराया नहीं देते हैं ? कोई फेक्ट्स नहीं सिवाय इस के कि किसी हाउस ओनर्स एसोसियेशन ने एक चिट्ठी लिख दी, एक ...ओल्यू म भेज दिया और उसकी बिना पर गवर्नमेन्ट यह अमेंडमेंट ले आई। उसके विपरीत टीनेन्ट्स की तरफ से इतना शोर-शराबा मचने के बावजूद सरकार इसमें शिथिल है....

श्री सभापति : Please wind up early.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Yes Sir, दूसरी बात जो इस संबंध में आई, सभापति महोदय, वह है कि हाई कोर्ट की एक ही क्वेश्चन पर दो तरह की रूलिंग हो जाय—एक सेट ऑफ जजेज़ यह स्वीकार करती थी कि तीन डिफॉल्ट का क्लॉज होने के बाद भी ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रिलीफ मिल सकता है टीनेन्ट को, यदि वह पहली पेशी पर किराया जमा करा दे तो उसका इजेक्टमेंट नहीं होगा। एक सेट ऑफ जजेज़ की रूलिंग ऐसी थी, जिन्होंने यह कहा यह रिलीफ तीन डिफाल्ट्स होने के बावजूद भी टीनेंट्स को अवेलेबल होगा। एक सेट ऑफ जजेज की रूलिंग इस तरह की थी, यह ठीक नहीं। तीन डिफाल्ट होने के बाद ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो रिलीफ मिल सकता है वह टीनेन्ट को नहीं मिल सकता। तो इन दोनों में कनफ्लिक्टिंग रूलिंग है। राजस्थान की फुल बेंच ने एक डिसीजन दिया। उस फुल बेंच ने सभापति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय, यह डिसीजन दिया कि यह जो सुविधा ट्रान्सफर ऑफ पॉपर्टी एक्ट के तहत है यह सुविधा टीनेन्ट को मिल सकती है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड का प्रोटेक्शन करने के लिए इस फुल बैंच की रूलिंग को अन-डू करने के लिये अमेंडमेंट लाई और यह अमेंडमेंट इस रूप में किया कि वह जो तीन डिफॉल्ट्स का क्लॉज था, जो पहले १३(८) था, वह वहां से उठा कर १३, में सब-सेक्शन चार के प्रोवीजो के रूप में एड् किया। इस के तहत जिस शख्स ने तीन डिफॉल्ट कर दिये, उसको ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यह सुविधा नहीं मिल सकती। इस तरीके से, सभापति महोदय, यह देखेंगे कि सरकार का रुख प्रो-लैंडलॉर्ड रहा है। क्या आवश्यकता थी? क्यों इस बात का दृष्टिकोण रखा जब कि हाई कोर्ट ने रूलिंग दी? इन्टरप्ट किया इस लॉ को जो १९५० में था, उसको आपने १९५२ में बदल दिया सिर्फ लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिये। उसके ऊपर जो सीक्रेट राय आई, जो फुल बैंच का डिसीजन हो गया और वह डिसीजन लैंडलॉर्ड के खिलाफ गया तब भी इस सरकार ने अपने अमेंडमेंट के जरिये टीनेन्ट के खिलाफ लैंड लॉर्ड को प्रोटेक्शन दिया और तीन डिफाल्ट्स के क्लॉज को सख्त बना दिया और फुल बैंच की रूलिंग भी ओवर रूल हो गई। इस तरीके से इस सरकार का कहना सही नहीं है कि अमेंडमेंट्स की जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे टीनेन्ट्स के प्रोटेक्शन के लिये प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट लाये हैं। वास्तविकता यह है कि सरकार इस कानून के १९५० में बनने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता लैंडलॉर्ड के प्रेसर के अंदर काम करती रही। और जितने भी अमेंडमेंट किये हैं, वह लैंडलॉर्ड्स के प्रेसर में आकर प्रोलैंडलॉर्ड अमेंडमेंट किये हैं। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। आज भी यह सरकार, इतनी देरी के बाद और टीनेन्ट्स के जगह जगह उभारने के बाद, यह अनुभव हुआ है और सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वास्तव में टीनेन्ट्स के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वास्तव में डिफाल्ट्स का क्लॉज बहुत गलत है। इसलिये टीनेन्ट्स का प्रोटेक्शन मिलना चाहिये, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि लीगल नेसेसिटी के क्वेश्चन को सही तरीके से एग्जामिन किया जाय। सरकार ने यह स्वीकार किया है और महसूस किया है कि लॉ को ज्यादा कम्प्रेहेंसिव, पहले वाले से ज्यादा एप्लीकेबल बनाना चाहिये और सरकार ने, जैसा कि विधि मंत्री ने कहा, एमेनिटीज के क्वेश्चन को महसूस किया है और इस बात का विश्वास दिलाया है—जिस तरीके से उन्होंने मैसेज भेजे हैं, जिस तरीके से उन्होंने उसमें पार्टि-सिपेट किया है और जिस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले सदन में, जिसके प्रारम्भ होने की ३ अगस्त की उन्होंने घोषणा कर दी है, जो ३ अगस्त को अगला अधिवेशन आने वाला है उसमें अपना एक कम्प्रेहेंसिव अमेंडिंग बिल लायेंगे जो कि, यह अमेंडिंग बिल मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जो कि राजस्थान किरायेदार संघ के द्वारा मेमोरेन्डम्स प्रस्तुत किये गये हैं, इन दोनों के आधार पर बिल बनायेंगे—इस आधार पर जो उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं उस आश्वासन के आधार पर इस बात को स्वीकार करते हुए अपने इस बिल को ज्यादा

Page No. 46

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रेस नहीं करना चाहता और अब मैं यह सरकार की बोनाफाइडी पर छोड़ता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि इस बात का अर्जेन्सी. से सीधा संबंध है, इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एप्रूवल सरकार मांग लगी। और बीच में ऐसी आवश्यकता पड़े जिस प्रकार का खतरा है, कि एप्रूवल जल्दी मिले नहीं तो ऑर्डिनेन्स .....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : Other things being equal ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके लिये आप प्रयत्न करें कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की एप्रूवल आ जाय, और बीच में इमीजियेट नेसेसिटी इस बात की हो तो आर्डिनेन्स के जरिये सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिये। वैसे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को, जो बिल यह सरकार लावे, उस बिल को एप्रूवल के लिये भेजें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जो एप्रूवल आनी चाहिये उसको जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें और एप्रूवल के आते ही इस बिल को कानून की शक्ल दे दे और फिर अगस्त में जो अधिवेशन हो तो उसके अन्दर लाजिमी तौर से यह बिल आ जाय।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस मोशन को वापिस लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने इस प्लेज को पूरा करेगी।

श्री परसराम मदेरणा : We shall be making Herculean efforts.

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य, श्री रामानन्द अग्रवाल, को बिल वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I withdraw my motion and this Bill.

श्री परसराम मदेरणा : What about amendment?

श्री सभापति : वह आटोमेटिकली विदड्रा हो गया।

श्री मथुरेश बिहारी।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पुरः स्थापन)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): सभापति महोदय, मैं राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ में संशोधन करने के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय सदस्य को बिल पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आपने कर दिया। आप (श्री रामानन्द अग्रवाल) खड़े हों।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्री परसराम मदेरणा : She does not like. She is not feeling well.

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री परसराम मदेरणा : You move your motion ; वे प्रस्तुत नहीं करना चाहती ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : मैं आज नहीं रखना चाहती ।

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(क) राजस्थान दूकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, १९६३

(वापिस लेना)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय ।

यह प्रस्ताव रखते हुए मैं कुछ शब्द इस बिल के संबंध में इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

(११.०० म०पू०)

आखिर इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सभापति महोदय, यह बिल जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका ओरिजिनल कानून १९५८ में इसी सदन के द्वारा मन्जूर किया गया था। उम्मीद यह की गई थी कि इस क़ानून के लागू होने पर जो शॉप असिस्टेन्ट्स हैं, जो मुनीम और गुमाश्ते हैं, जो इस प्रकार के संस्थानों में जो दुकानें या वाणिज्य संस्थान हैं, उनके कर्मचारियों को राहत मिलेगी। उनके कर्मचारियों के कार्य करने के समय हैं जो और सामान्य लोगों के हैं और सामान्य मजदूर हैं और सामान्य तौर से ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों के हैं, उनके अनुसार उनको भी उतना ही काम करना पड़ेगा। यह आशा की गई थी कि इस प्रकार ऐसी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की कन्डीशन्स और सर्विसेज बेहतर मिलेगी और उनको भी सुविधाएं दूसरे लेबर लॉज के अनुसार दूसरे मजदूरों को मिलती हैं उनको मिलेगी। लेकिन, सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे यह कहना होगा कि अव्वल तो यह कानून १९५८ में बनाया गया–यह कानून अपने-आप में काफी डिफेक्टिव था। उसमें काफी कमियां थीं और उस समय के माननीय सदस्यों ने और प्रतिनिधियों ने उस समय भी कमियों की ओर संकेत किया था । जब बिल पास किया उस समय सरकार ने इसको १० हजार आबादी वाले कस्बों पर या शहरों पर लागू करने के लिये घोषणा की थी, लेकिन साथ में यह भी आश्वासन दिया था कि पांच हजार वाले कस्बों पर भी आहिस्ता-आहिस्ता लागू कर देंगे। लेकिन, सभापति महोदय, दास्तान बिल्कुल उल्टी हुई। १० हजार और ५ हजार पर इसको लागू करने के बजाय हमारी सरकार ने २५ हजार की आबादी के क़स्बों पर लगाया और उसके नीचे के क़स्बों को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त और एक मेहरबानी हमारी सरकार ने इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डिफेक्टिव कानून के जरिये जो भी थोड़ी बहुत सुविधा मिलने वाली थी वह उस मेहरबानी से किया कि उस क़ानून का इम्पलीमेन्टेशन श्रम विभाग को देने के बजाय इंन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट को दे दिया। आपने ऐसा कर के बकरे की खैरियत को कसाई के हाथ में सौंप दी कि वह उसकी देख भाल करेंगे, वह उसको ठीक रखेंगे। सभापति महोदय, आश्चर्य की बात तो यह है कि कर्मचारियों को उनके एम्प्लॉयर्स के मनमाने तरीक़े से काम लेने और उनकी ज्यादतियों से राहत देने के लिये यह कानून बनाया है कि वे उनसे अनुचित समय से ज्यादा काम न लें, उनको छुट्टी मिल सकें, उनको प्रोपर वेतन मिल सकता है, समय पर वेतन मिल सके। गर्ज यह है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉईज के बीच में डिस्प्यूट हो उसको कोडीफ़ाई करने के लिये यह कानून बनाया गया और उनको राहत लेबर विभाग द्वारा लेबर लॉ के जरिये दी जा सकती थी। मगर आपने इसको इन्डस्ट्री विभाग के अन्दर में रखा है। इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध एम्लॉईज से होता है और एम्प्लॉयर्स से भी होता है। लेकिन इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट का रुख हमेशा यही रहता है कि इन्डस्ट्री अच्छी तरह से चले और अगर उसमें कोई बाधक हो सकते हों तो कर्मचारी तो इसलिये उनका ध्येय हमेशा हर तरह से कर्मचारियों को रगड़ने का रहता है, उनको एम्प्रेस करने का रहता है और जो उनको सुविधाएं क़ानूनन मिली हुई हैं उनको नहीं देने का रुख रहता है, और यही नतीजा इस क़ानून को इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट को देने से हुआ है। आप जगह जगह इन मंडलों द्वारा जो रिज़ोल्यूशन पास किये गये हैं उनको देखें जो सरकार के पास आये होंगे जिनकी कॉपी मेरे पास है। जोधपुर गुमाश्ता मन्डल ने प्रस्ताव पास किया जयपुर के गुमाश्ता मन्डल ने प्रस्ताव पास किया, जिसकी कॉपी मेरे पास है। अजमेर से ऐसा प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें बराबर यह शिकायत है कि इस क़ानून को लागू करने के लिये, इम्प्लीमेन्टेशन करने के लिये कोई सरकार की तरफ़ से आवश्यकता नहीं बरती जाती। इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट इस क़ानून के जरिये एम्प्लॉइज के मालिकों को ज्यादा प्रोटेक्शन देने पर तुली हुई है बजाय इसके कि कर्मचारियों को प्रोटेक्शन दिया जाय। न केवल छोटे छोटे कर्मचारियों को जो अन-डेवलप्ड हैं, कम पढ़े हुए हैं, जैसे दुकानों वग़ैरा पर काम करते हैं उनको ही यह शिकायत हो ऐसी बात नहीं। सभापति महोदय, बैंकों में काम करने वाले पढ़े-लिखे ग्रेजुएट्स हैं उनकी भी इसी प्रकार की शिकायत है, जो और अगर उनकी शिकायतों की तरफ़ ध्यान दिया जाय तो कहूंगा कि यह एक गम्भीर स्थिति है। कोटा के बैंक एसोसियेशन की तरफ़ से, सभापति महोदय, बराबर इस प्रकार की शिकायतें आई हैं। बार बार डिपार्टमेन्ट को लिखने के बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सभापति महोदय, हाउस का कोरम समाप्त हो चुका है।

(पूरक घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि न केवल छोटी,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

छोटी दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में जहां पर ज्यादा पढ़े-लिखे कर्मचारी नहीं हैं, केवल उनके साथ ही इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट की तरफ से इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता बल्कि पढ़े-लिखे, ग्रेजुएट लोगों के साथ भी जो बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ भी, इसी प्रकार का रवैया है। कोटा के बैंक एम्लॉइज़, जयपुर, अलवर के बैंक एम्लॉइज़ की तरफ़ से बार-बार इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं इस डिपार्टमेन्ट से कि ये बैंक वाले इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये बैंक अनुचित तौर से ओवर टाइम काम करवाते हैं। जितना कार्य बैंक के कर्मचारियों से ओवर टाइम करा सकते हैं कानूनन उससे कितना ही ज्यादा बैंक के कर्मचारियों से ओवर टाइम वर्क लिया जाता है। आप यह कह सकते हैं कि उनको ओवर टाइम काम करने के वेजेज मिल सकते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने उन कर्मचारियों की रक्षा के लिये मेग्ज़िमम समय मुकर्रर कर दिया तो उससे ज्यादा काम उनसे नहीं लिया जा सकता। बैंकों में उनको सन्डेज़ को बुलाया जाता है। अगर आप इसकी जांच कराना चाहें तो इसका रेकार्ड बैंक में मौजूद है, आप उन रेकार्ड, को देख सकते हैं। अगर आप इस सम्बन्ध में छान-बीन करने की कोशिश करें तो यह बात आपको मालूम हो सकती है। लेकिन बावजूद बार-बार बैंकों के कर्मचारियों के कहने के इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है। यह हालत है, इस क़ानून को लागू करने का यही रुख है।

इसी तरीक़े से सभापति महोदय, इस मौजूदा कानून में बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जिनमें सरकार को इससे एग्ज़ेम्प्शन्स देने का अधिकार दिया हुआ है और यह अधिकार इसी इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के जरिये एक्सरसाइज़ होता है, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट की सिफारिश के मुताबिक छूट दी जाती है। हमारे इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट ने सिफ़ारिश करदी कि एल. आई. सी. को अधिकार दे दिया जाय, एल. आई. सी. के मैनेजर ने इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट और लेबर कमिश्नर से बात चीत करली, उसकी खुशामद करली तो उसने लिख दिया कि एल. आई. सी. के ऊपर शॉप एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा ? इसलिए लागू नहीं होगा कि एल. आई. सी. के कानून के तहत जो उनके एम्प्लॉइज़ को सुविधाएं मिलती हैं वह अगर शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट उन पर लागू कर दिया जाय तो उनकी सुविधाओं में कमी आ जायगी। कर्मचारी कहते हैं कि उन पर शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट लागू हो जाना चाहिये और इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के लेबर कमिश्नर साहब कहते हैं कि तुम्हारी सुविधाएं इस एक्ट को लागू करने से कम हो जायेंगी, एल. आई. सी. के मैनेजर साहब कहते हैं कि तुम्हारी सुविधाएं कम हो जायेंगी। असली मां से सौतेली मां की मोहब्बत ज्यादा नहीं हो सकती। एल. आई. सी. के एम्प्लॉइज़ पर कौनसा कानून लागू हो, किससे उनको ज्यादा फ़ायदा होगा, यह उन एम्प्लॉइज़ की एसोशियेशन ही ज्यादा सोच सकती है बनिस्बत इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के, बनिस्बत लेबर कमिश्नर के या एल. आई. सी. के मैनेजर साहब के। मैं पूछना चाहूंगा गवर्नमेन्ट से कि क्या यह बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सही नहीं है कि एल. आई. सी. के क़ानून के तहत एल. आई. सी. के एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेन्ट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाय तो उसका फ़ैसला कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती बल्कि एल. आई. सी. का मैनेजर, या हायर अफसर करेगा ? वही मुन्सिफ, वही अदालत और वही मुजरिम तो फ़ैसला किसके हक में होगा ? बहर हाल जब एम्प्लॉइज़ को अपने एम्प्लॉयर से शिकायत है कि ज्यादा टाइम हमसे काम लेते हैं, ओवर टाइम फुल नहीं देते, छुट्टी नहीं देते, सो एण्ड सो फ़ोर्थ, यह शिकायत है तो एल. आई. सी. का मैनेजर, क्योंकि उसे अपने हितों की रक्षा करनी है, वह कह सकता है कि मेरे कब्ज़े में एम्प्लॉइ रहेंगे तो उनको ज्यादा सुविधा रहेगी बनिस्बत शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट के नीचे रहने से, यह तो समझ में आ सकता है, पर डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म की घोषणा करने वाली सरकार का लेबर कमिश्नर भी उसकी हां में हां मिलाये और कहे कि मुजरिम को ही फैसला करने का अधिकार रखा जाय तो मजदूरों को ज्यादा सुविधा मिलेगी, मजदूरों की ज्यादा भलाई होगी, यह बात समझ में नहीं आती। श्रम मन्त्रीजी के सामने यह मामला गया तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक मालूम पड़ती है पर मामला कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे मिनिस्टरों में इन्फ़िरियोरिटी कॉम्प्लैक्स है। उनके सेक्रेटरी ने यदि कह दिया कि इसमें लीगल डिफ़ेक्ट है, इसमें दूसरी कॉम्प्लिकेसीज़ हैं तो वे यह मान कर चलते हैं कि मेरे सेक्रेटरी, लेबर कमिश्नर मेरे से ज्यादा अकलमन्द हैं, वे कहते हैं तो कुछ न कुछ ठीक ही होगा और इस इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लैक्स की वजह से जैसा वे कहते हैं वही मान लेते हैं। आप डैमोक्रेटिक सोशियलिज्म की बात करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी की मशीन में उलझा हुआ मिनिस्टर कैसे इस बात को समझ सकता है ? क्योंकि सेक्रेटरीज़ और दूसरे ऑफिसर्स भी यही चाहते हैं कि मेरे स्टाफ के साथ डील करने में मुझे पूरी छूट होनी चाहिये, इसलिये वह एल. आई. सी के मैनेजर की ही बात रखेगा।

(११.१५ म. पू)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

ये लोग कोर्ट में जायेंगे तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा ? तो, सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह इस कानून का इम्प्लिमेन्टेशन इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट को देकर इसे सरकार ने और भी गम्भीर बना दिया है। मैं मेरे अमेन्डिग बिल में भूल गया वर्ना इसे भी अमेन्डमेन्ट में लाता, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट को इम्प्लिमेन्टेशन के लिये नहीं दिया जाय, सरकार करेगी। इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट से फ़ौरन इस बिल को सरकार ले ले ताकि इस क़ानून में जो कुछ टूटी-फूटी सुविधाएं मिली हुई हैं वह तो इन लोगों को मिल सकें, और यह बिना पैसे का वकील एम्प्लॉयर्स को सरकार का मिल गया है उससे एम्प्लॉईज़ को निजात मिल सके।

श्री **परसराम मदेरणा** (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : कौनसा बिना पैसे का वकील ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का लेबर कमिश्नर। मैं आज साथ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में लाना भूल गया, एल. आई. सी. ने स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर कर रखा है। उसकी लिखी हुई एक कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट है, उसमें उसने लिखा है कि मैं लेबर कमिश्नर साहब से मिला, वे मेरी बात को मानते हैं पर एम्प्लॉईज इस प्रकार दबाव दे रहे हैं। एल. आई. सी. के मैनेजमेन्ट ने सरकार के सामने एक मेमोरेण्डम भेजा है। उसमें यह बात लिखी है कि जो यह बात की जा रही है सब मिस्चीफ है। यूनियन वाले मिस्चीफ मोंगर हैं। यह इस बात का सबूत है। असेम्बली में जो कोई एल. आई. सी. का प्रश्न उठाता है वह कॉम्युनिस्ट है। इसी बात से साबित है कि एल. आई. सी. जो ऑटोनॉमस बाडी है, जो लीगल कोर्ट है उसका एक सदस्य के प्रति जो लीगली रिप्रेजेन्टेड है इस हाउस में उस सदस्य के प्रति सोशियल डिपार्टमेन्ट में लिख कर भेजना कि कॉम्युनिस्ट है। इस तरह का एटीट्यूड हमारे एल. आई. सी. डिपार्टमेन्ट का है और उसका एन्डोर्समेन्ट हमारे लेबर कमिश्नर साहब कर रहे हैं।

कहा गया था कि इस मामले को ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स बुला कर तय करेंगे, पर ऐसा नहीं किया गया। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कहा कि इस कानून को एल. आई. सी. पर लागू करेंगे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको एल. आई. सी. पर लागू ही नहीं करें, बल्कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से छीन लें। उनको कह दें कि जिसने कानून बनाया है, उनका कॉन्फिडेन्स तुम्हारे में नहीं है, इसलिये हम इसे तुम्हारे हाथ में नहीं छोडना चाहते।

सभापति महोदया, मेरा जो यह अमेंडिंग बिल है उसमें मुख्य–मुख्य बातें ये हैं। पहली बात है, एप्लिकेबिलिटी के बारे में; यह कानन स्टेचूट का जरिया है। यह नहीं रहे कि १० हजार, २५ हजार से ज्यादा आबादी वालों पर लागू किया है, स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथ में पावर है जहां चाहे लागू करे। जिन धंधों को चाहे छूट दे सकती है, एग्जेम्प्ट कर दे। जिस क्लास आफ एम्प्लॉईज को चाहे एग्जेम्प्ट कर दे, इस तरह के इस कानून में प्रावधान हैं, इतना ही नहीं, इसमें यह भी प्रावधान है कि जिस किसी वाणिज्य संस्थान को, जहां यह कानून लागू है वहां पर इस कानून की कुछ धाराएं लागू नहीं हों, इस बात का एग्जेम्पशन भी सरकार दे सकती है।

सभापति महोदया, मैंने अपने अमेंडिंग बिल के जरिए यह रखा है कि सरकार कोई भी एग्जेम्पशन दे तो वह एग्जेम्पशन्स दो तरह के नहीं होने चाहिए। एक तो यह कि इस कानून के जरिये जो कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं को किसी प्रकार से कम नहीं करना चाहिए, और दूसरी यह कि इस सरकार को भी किसी संस्थान को एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए, केवल इस बुनियाद पर कि वह संस्थान किसी एम्प्लाई को एम्प्लाय नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसे संस्थानों को, जो कोई कर्मचारी नहीं रखते हैं, उनको इस कानून से एग्जेम्प्ट कर दिया तो फिर दूसरे एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी इस कानून को इम्प्लीमेन्ट करना मुमकिन नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई पड़ौसी दुकान पर कोई कर्मचारी नहीं है इसलिए उसको यह इजाजत मिल जाय कि वह साप्ताहिक छुट्टी न रखे, रोजाना दुकान खुली रख सकता है, २४ घंटे खुली रख सकता है और पडौस का उसी किस्म का धंधा करने वाला दुकानदार, उसके कर्मचारी होने के नाते, उसको इतवार को दुकान बन्द करनी पड़े, ८ बजे से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

८ बजे तक समय मानना पड़े, तो फिर उसको यह शिकायत होगी कि मेरे ग्राहक इतवार के दिन इसके यहां चले जाएंगे, मेरे ग्राहक टूट जायेंगे, और फिर कुर-कुर होगी, और फिर वे इस लॉ को इवेड करने की कोशिश करेंगे । इसलिये चाहे कोई एम्प्लॉई रखता हो या नहीं रखता हो, जहां तक समय का प्रावधान है, जहां तक साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान है, इन प्रावधानों से किसी को एग्जेम्पट नहीं करना चाहिए ।

दूसरी बात है इसकी एप्लीकेबिलिटी की, जैसे पहले हमारे पास १० हजार के ऊपर की थी उसको वापस १० हजार के ऊपर कम से कम सरकार को लाना चाहिए ।

तीसरा जो मेरा अमेन्डमेन्ट है वह है समय के बारे में । और कानूनों में फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉईज के बीच रिलेशन्स तय करते हैं या मिनीमम वेजज एक्ट के तहत मैग्जीमम टाइम ऑफ वर्क एक वर्कर के लिए ८ घंटे हैं और यह सामान्य तौर से सब स्टेट्स ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि टाइम ऑफ वर्क एम्प्लॉईज के लिय ८ घंटे होता है । दूसरी स्टेट्स में तो, सभापति महोदया, अब ट्रेड इस समय भी कोई काम करने का है जो सोशियलिस्ट देश हैं, खास तौर से रशिया में वहां पर इस वक्त ऑवर्स ऑफ वर्क केवल ६ हैं और आगे जाकर अवर्स ऑफ वर्क ५ तक ले जाना चाहते हैं । हमारी सरकार ने इस कानून में ९ घंटे का टाइम काम का रखा है । मेरा अमेन्डमेन्ट है उस ९ घंटे को हटाकर ८ घंटे कर दिया जाय जिससे कि · · ·

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : जकोसिलेव्या में ८ घंटा है और फर्मस के लिए १४ घंटा है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उनकी जो घोषणा है मैं उसकी बुनियाद पर कहता हूं । उन्होंने सिक्स ऑवर्स ऑफ वर्क रखें हैं वर्कर के लिए और आगे जो उनका प्लान है उसमें फाइव आवर्स पर डे करना चाहते हैं । आप उसकी बात को लागू न करें, उससे आपको चिड आती हो । अपने देश में, अपने राजस्थान में जब दूसरे वर्कर्स के लिए ८ घंटे का समय निर्धारित है तो फिर क्या वजह है कि इन शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल-एस्टैब्लिशमेन्ट के एम्प्लाईज के लिए आप ९ घंट का समय रखें । यह किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता । यह हमारे और लेबर कानूनों से भी असंगत है । इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है ।

तीसरी जो इम्पोर्टेन्ट बात है इस अमेंडिंग बिल में वह स्प्रेड ओवर के बारे में है मौजूदा कानून में कर्मचारी का जो ९ घंटे का समय है वह १२ घंटे के अन्दर स्प्रेड ओवर हो सकता है, यानि काम उनसे ९ घंटे लिया जायगा लेकिन दुकान पर उनको ३ घंटे बीच में छुट्टी मिल जाय । पांच घंटे पहले ले ले और ४ घंटे बाद में लेले । इस तरह से दो दफे उसको स्प्रेड ओवर कर दे, तीन दफे कर दें, इस तरह का प्रावधान है । इसका फायदा एम्प्लॉयर्स को होता है और बेचारे कर्मचारियों को १२ घंटे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर जिस तरह से इनका सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास है, उनको रेजिस्ट करना मुश्किल है । उनको ज्यादा काम करने के लिये मजबूर होना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पड़ता है। उस क्लास में ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट की स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं हैं, इसलिए स्टेट को इन्टरवीन करना चाहिए, उनको एम्प्लॉयर्स की मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे कानून में इतनी लूपहोल है कि वह १२ घंटे तक स्प्रेड ओवर कर सकता है। मैंने अभी भी इसमें रखा है कि वह स्प्रेड ओवर १० आवर्स का आप करदें। दो घंटे खाने वगैरह के लिए शाम और सुबह को छुट्टी मिलेगी और बाकी ८ घंटे वह काम करेगा।

दूसरा जो इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट है वह दुकानों के खुले रहने के समय के बारे में है। मौजूदा कानून में सर्दियों में १३ घंटे और गर्मियों में १४ घंटे ये दुकानें और वाणिज्य संस्थानें खुली रह सकती हैं, जबकि पंजाब में, दिल्ली में, यू. पी. में १० और साढे दस घंटे से ज्यादा नहीं है। यह चीज तो एम्प्लॉयर के हक में भी नहीं है। एम्प्लॉयर्स भी इस बात को नहीं चाहते हैं कि यह समय इतना स्प्रेड ओवर रहे, इतना ज्यादा रहे और इस प्रकार के लिखित तौर पर आवेदन एम्प्लॉयर्स की तरफ से प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने यह कहा है कि ये ऑवर्स ऑफ वर्क दस घंटे से ज्यादा नहीं रखे जायं। मेरा भी जो अमेन्डमेन्ट है उसमें मैंने १४ से हटाकर ११ घंटे किया था, लेकिन मैं यह अमेन्डमेन्ट मानने को तैयार हो गया कि ११ के बजाय १० घंटे ही रखा जाय, जो कि हमारे पडौसी राज्यों में है। मुझे अलवर के वस्त्र व्यापार का जो संघ है उसकी तरफ से बाकायदा इस प्रकार का एक मेमोरेन्डम प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने इस प्रकार की मांग की है। इसी तरह से बापू बाजार के जो दुकानदार हैं उन लोगों ने भी इस प्रकार की मांग की है कि यह समय १० घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये। इस में दुकानदारों को आपस में नुकसान भी नहीं होगा। जब सब दूकानें बन्द हो जायेगी, उनका बिजिनेस सफर नहीं करेगा। थोडा सैर-सपाटे का मौका मिलेगा और कल्चरल चीजों में भाग ले सकेंगे और मैं तो यह कहूंगा कि पोलिटिकल पार्टीज को भी इसका फायदा होगा। और खास तौर से ये मीटिंग-कांग्रेस वाले करते हैं, हमारी मीटिंगों में तो मजदूर और किसान लोग आने वाले हैं, हजारों की तादाद में आते हैं, लेकिन आपकी मीटिंगों में पांच-पचास आदमी बैठे रहते हैं तो इन दुकानदारों को छुट्टी देंगे तो आपकी मीटिंगों में ज्यादा तादाद में आ सकते हैं। इस दृष्टि-कोण से भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से, सभापति महोदया, मैंने अपने अमेन्डिग बिल में समय के बारे में यह प्रावधान रखा है।

चौथा जो इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट मेरे अमेन्डिग बिल में है वह है लेबर लॉज को लागू करने के बारे में। जो मैंने एक क्लॉज़ को अमेन्ड किया वह पेमेन्ट ऑफ़ वेजेज एक्ट को लागू करने सम्बन्धी है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, वर्क मैन कम्पन्सेन्शन एक्ट, जहां भी यह क़ानून उस कॉम्युनिटी पर, उन एम्प्लॉईज़ पर, जहां पर यह कानून लागू होता है. उन पर यह क़ानून लागू किया जाना चाहिये और सरकार ने पेमेन्ट ऑफ़ वेजेज के बारे में भी अपने डिपार्टमेन्ट के हाथ में यह अधिकार ले लिया है कि वे जिस तरीके से संशोधन करके उस क़ानून को लागू करना चाहें उसको लागू करें, और फिर उसमें संशोधन कैसे करेंगे? वह हमारे इन्डस्ट्रीज़

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डिपार्टमेन्ट के लेबर कमिश्नर महोदय जिस तरीके का संशोधन करेंगे उसको आप और हम खुद जानते हैं, पांच छः वर्ष का तजुर्बा है। इसलिये मैं इस ऑगस्ट हाउस से कहता हूं कि बाई स्टेट्यूट स्ट्रेट अवे, बाई मुटेटिस मुटेन्डिस इन कानूनों को लागू करना चाहिये। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट और पेमेन्ट ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट इन चार क़ानूनों को उन एम्प्लॉइज़ पर भी पूरे तरीके से लागू कर देना चाहिये।

ये मेन पॉइन्ट्स मेरे इस अमेन्डिंग बिल के सम्बन्ध में है और मैं उम्मीद करूंगा कि यह सदन मेरे इस बिल को स्वीकार करेगा, और विशेष तौर से मैं अपील करूंगा गवर्नमेन्ट से और गवर्नमेन्ट पार्टी से कि कम से कम भुवनेश्वर में आपने कितना ही फेक रिजोल्यूशन पास किया हो, आपने डेमोक्रेटिक सोसाइटी की किसी तरीके की परिभाषा पेश करके उस रिज़ोल्यूशन को पास किया हो, तो कुछ थोड़ी बहुत भी आपकी उससे सिन्सियरिटी है, थोड़ा बहुत भी आपका मकसद है · · · · · ·

श्री परसराम मदेरणा : आर्टिकल्स ऑफ़ फेथ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Article or faith in defeating it, in sabotaging, but not in implementing it.

अव्वल तो आखिर का आपका भुवनेश्वर का जो रिज़ोल्यूशन है वह फ़ेक्ट है। कोई कॉन्क्रीट चीज़ कहता नहीं जैसी आदत पड़ गई है कहने की, बस जल्दी से जल्दी करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुविधा देंगे। यह जो बच निकलने का रास्ता है उससे भुवनेश्वर के रिज़ोल्यूशन से कोई लोग आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं; न कोई लोगों पर आपकी बातों का ज्यादा विश्वास जमने वाला है। औरों का तो क्या आपकी पार्टी वालों का भी विश्वास नहीं है। लोक सभा में जो डिस्कशन होता है, जो क्रिटिसिज्म आपकी पार्टी के ही लोग करते हैं, के. डी. मालवीय, कृष्णा मेनन, उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है, तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे भुवनेश्वर रिजोल्यूशन का वह अपने आप में कमेन्ट्री है क्या सबस्टेन्टिव रिज़ोल्यूशन आपने पास किया है, फिर भी आपको उससे संतोष हो तो जनता को तो उससे संतोष होने वाला नहीं है। फिर भी आप ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं तो कोरे भाषण से किसी को विश्वास नहीं होने वाला है। कॉन्क्रीट स्टेप में उस बात को दिखाओ इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस रिज़ोल्यूशन को मन्जूर करके इस बात को दिखायेंगे कि जहां एम्प्लॉईज़ और एम्प्लॉयर्स का क्वेश्चन आता है और जहां एम्प्लॉईज़ के बेसिक अधिकारों का प्रश्न आता है उन अधिकारों के बारे में आप एम्प्लॉईज के हितों का पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे।

माननीय सदस्यों ने आज भी और इससे पहले भी हमारी पार्टी के बारे में या हमारी पार्टी में कोई चल रही कन्ट्रोवर्सी के बारे में जिक्र करने की कोशिश की, इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की · · · ·

(व्यवधान)

श्री **परसराम मदेरणा** : ओपन है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इसमें कोई सन्देह नहीं है; सभापति महोदया, हमारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पार्टी में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफ़रेन्सेज उत्पन्न हुए हैं। वे आइडियोलॉजिकल डिफ़रेन्सेज अखबारों में आयें हैं, हमारी पार्टी के कुछ डॉक्युमेन्ट्स पब्लिकली हमारी पार्टी ने डिस्कशन के लिए ओपनली रखे हैं जिससे हमारी पार्टी के मेम्बर्स भी और आम लोग भी उन पर अपनी राय बना सकें, क्योंकि हमारी पार्टी जनता के अन्दर काम करने वाली पार्टी है। अपनी पार्टी के मेम्बरशिप की राय से ही नहीं बल्कि आम जनता की राय से अपनी पार्टी की पॉलिसी बनाने वाली पार्टी है। आप कहने के लिए अपने आपको डेमोक्रेटिक कहलें या कहने के लिए और कुछ भी अपने आप को कहलें, लेकिन यह तथ्य है। हमारी पार्टी आपके कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिये जाने के तरीक़े की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी निर्णय लेने से पहले डॉक्युमेन्ट्स को पार्टी मेम्बर्स में सरकुलेट करती है और डिस्कशन का मौका देती है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेती है, हमारी पार्टी इस तरीके की नहीं है। आपकी पार्टी में सरकुलेट करके राय नहीं ली जाती है, एक डमकेटल की तरह से कह दिया जाता है कि यह किया गया है। मुझे इसका तजुर्बा है, मैं नासिक अधिवेशन में गया था।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : अब मौक़ा आया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उसके अधिवेशन में कांग्रेस के डेलीगेट के रूप में मुझे भी शामिल होने का मौक़ा मिला था। मैंने एक अमेन्डमेन्ट भेजा, सभापति महोदया। जो मौजूदा गवर्नमेन्ट में वो रिएक्शनरी फ़ोर्सेज है, जो मिनिस्टर रिएक्सनरी फ़ोर्सेज को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं, या कॉम्युनल फोर्सेज को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन मिनिस्टरों को निकाल दिया जाय इस सरकार से और ऐसे मिनिस्टर्स को रखा जाय इसमें जो किसानों, मजदूरों और सोशियलिज्म के प्रति वफ़ादार हैं अपनी नीति, अपने कार्य, अपने कर्त्तव्य से कन्सेन्ट जाहिर करते हैं। सभापति महोदया, आपको आश्चर्य होगा यह जानकार कि उस अमेन्डमेन्ट को बोलने नहीं दिया गया, उसको चेयर से अनाउन्स भी नहीं किया गया कि इस तरह का अमेन्डमेन्ट आया है। हम चिल्लाते रह गये। हम को किसी ने बोलने का मौक़ा ही नहीं दिया। तो इस तरह की डेमोक्रेसी है आपकी। माननीय सदस्यों को, कइयों को इस तरह का बुरा अनुभव है। यह अलग बात है कि वे यहां इस बात को स्वीकार करें या नहीं, प्राइवेट में और कन्टीन में तो करते ही हैं कि क्या करें हमारी तो चलती ही नहीं है। उनसे पूछा कि चेम्बर को ज़मीन आपसे पूछ कर दी गई है ? कहते हैं हम को पता ही नहीं। मिनिस्टरों तक को पता नहीं है कि कोई ऐसा निर्णय हुआ है और अभी भी मैं जानता हूं कि यदि बहुमत को इस बात का मौक़ा दिया जाय तो वे बतायेंगे कि वे इस बात को पसन्द नहीं करते। चूंकि वन मेन्स शो है...

श्री परसराम मदेरणा : आप किस मिनिस्टर का ज़िक्र करते हैं ? मैंने जवाब दिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, माननीय मन्त्री महोदय इसको जानते हैं यह निर्णय न सब मिनिस्टरों की कन्सेन्ट से किया गया है न सब जानते हैं। केवल वन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेन्स शो है। मिनिस्टरों से राय न ली जाय कि उनकी इस बात में कन्सेन्ट है · · ·

श्री परसराम मदेरणा : जमीन देने से पहले राजस्थान की कैबिनेट ने यूनेनिमसली डिसिज़न लिया है और कोई डिसेन्डिग नोट नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, यह और भी अन्फ़ॉर्चुनेट बात है कि इस सरकार के मिनिस्टर्स का इतना ही मोरल रह गया है कि वे उसको महसूस तो करें, मेम्बर हों या मिनिस्टर हो, किन्तु उसके बावजूद वे कोई ऑब्जेक्शन प्रॉपर फ़ॉर्म में न उठायें। यह उनका तरीक़ा है अपने साथ।

तो मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदया, जो भी डिफ़रेन्सेज हमारी पार्टी में आये हैं वे आइडियोलॉजिकल डिफ़रेन्स हैं, वे प्रिंसिपल्स पर हैं कि समाज में किस प्रकार का वास्तव में सोशलिज्म कायम किया जा सकता है किस प्रकार जल्दी से जल्दी एक्स्प्लॉइटेशन को दूर किया जा सकता है, किस तरीक़े से इम्पीरियेलिज्म जो दूसरी शक्ल अख्तियार करके नये क्लासिज्म के रूप में छा जाना चाहता है।

यह एक गूढ़ प्रश्न है, कुर्सियों का झगड़ा नहीं है, टिकटों का झगड़ा नहीं है। आप इस सवाल को इसके साथ जोड़कर कनफ्यूज़ न करें।

कुछ स्टेटमेन्ट्स इस प्रकार के अख़बारों में छपे हैं जिसमें कुछ आर्टिकल्स, थीसिस या जिसको ड्राफ्ट रिज़ोल्यूशन कहा जाय जिसका ज़िक्र कुछ अखबारों में आया है और सम्बन्धी ज़िक्र इस सदन में भी किया गया है जिसमें हमारी पार्टी को एट्रीब्यूट किया गया है। मैं कह देना चाहता हूं इस सदन में जिन डॉक्यूमेन्ट्स का ज़िक्र अखबारों में आया है इसमें भी किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनका ताल्लुक़ हमारी कॉम्युनिस्ट पार्टी आफ़ इन्डिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : झूठा है या सही है यह तो बता दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन डॉक्यूमेन्ट्स को न मैंने देखा है और न देखने का मुझे मौक़ा मिला है।

एक माननीय सदस्य : न मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी करेन्ट अखबार में छपा है और भी किसी अखबार में छपा है, लेकिन वह हमारी पार्टी का डॉक्यूमेन्ट नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ़ से सरक्यूलेट नहीं हुआ है। ऐसी हालत में वह सही है या ग़लत है इस बारे में मैं नहीं कह सकता। हमारी पार्टी में इस डॉक्युमेन्ट की बेसिस पर इस प्रकार के किसी स्टेटमेन्ट को पार्टी का स्टेटमेन्ट मानना ग़लत है, यह स्लेन्डर्स प्रोपेगन्डा है, आज से नहीं सदियों से कॉम्युनिज्म के खिलाफ़ है, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के खिलाफ़ एक्सप्लॉइटेशन इस सोसाइटी में हमेशा क़ायम रखना चाहते हैं। इस मौक़े पर कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इन्डिया को स्लेन्डर करने की कोशिश की। बावजूद स्लिन्डरिंग के हर तरह से ग़लत तरीक़े से प्रचार के हिन्दुस्तान की जनता में जिसने कॉम्युनिस्ट पार्टी को जिन्दा रखा है, प्यार दिया है, इज्जत दी है वह उसी तरह से क़ायम है। हमें वे दिन याद

(श्री रामानन्द, अग्रवाल)

है २० अक्टूबर, १६६२ को जब कि चीन ने भारत की सीमा पर अटेक किया, देश में हमने घोषणा की कॉम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ाई लड़ी है चीन के इस अटेक के खिलाफ़, इस अटेक को देश की सीमा पर अटेक माना है। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इन्डिया ने न सिर्फ़ हिन्दुस्तान में बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में अपने देश की इन्टेग्रेटी, अपने देश के सही हक़ों के लिये इन्साफी तरीके से इस बात के लिये पब्लिक ऑपीनियन बनायी है कि चीन ने हमारी सीमा पर आक्रमण किया।

श्री फूलचन्द जैन (सूजानगढ़) : On a point of order, sir, सभापति महोदया, व्यवस्था का सवाल है, माननीय सदस्य अभी जो बोल रहे थे वह क्या इस बिल से संबन्धित है। जो कुछ बोल रहे हैं गलत है, उसके लिये हमें मौका दिया जाय। जो बिल रखा गया है उससे इन बातों का ताल्लुक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, इस सदन में चेयर द्वारा यह मुझे आदेश मिला था, जब हमारी पार्टी पर आक्षेप लगाये जा रहे थे उस समय उत्तर देने के लिये समय मांगा गया तो चेयर द्वारा यह कहा गया और किसी मौके पर आप कह सकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : This is not a point of order.

श्री रामानन्द अग्रवाल : चेयर ने यह रूलिंग दी थी एक्सप्लेनेशन का मौका इस समय नहीं दिया जा सकता। किसी अन्य मौके पर इसकी सफाई की जा सकती है। आज भी किन्हीं माननीय सदस्य ने पार्टी नीति के संबन्ध में आलोचना की। माननीय सदस्यों को आलोचना करने का अधिकार है, उसी तरह से अपनी सही पोजीशन को भी रखने का हमें अधिकार है। सभापति महोदया, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं इन दो वर्षों के बाद २० अक्टूबर, १९६२ के चीनी आक्रमण के सिलसिले में जिस बात को कॉम्युनिस्ट पार्टी ने अमली तरीके से बताया; वह मैंने आपके सामने रखी।

आज सभापति महोदया, हम देखते हैं वे लोग आज सदन में नहीं हैं और उनको शायद कर्मचारियों के प्रति इतनी दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि ब्लेक मार्केटियर्स और दुकान मालिकों के बारे में जो सख्ती सरकार ने बतायी उस समय उन्होंने जो वाक आउट किया, न मालूम वह वाक आउट कब तक चलता रहेगा। शायद उनके साथ बैठकर प्लान बना रहे हों किस तरह से जनता को भूखा रखा जाय, किस तरह से स्टेट ट्रेडिंग को सेबोटेज किया जाय ? किस तरह से राजस्थान की जनता को महंगा भाव का अनाज दिया जाय, शायद उनकी लीडरशिप के लिये वे काम कर रहे हों ? खैर, यह तो अपनी अपनी बात है। किसान और मजदूर उनको लीडरशिप देने के लिये तैयार नहीं हैं। होल सैल डीलर्स और ब्लेक मार्केटियर्स की लीडरशिप भले ही वे प्राप्त करलें। जनता के निगाह में उनकी शक्ल जरूर सामने आगई है। इन शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष यह अमेन्डिंग बिल प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं सदन इसको सर्व सम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदया, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान दुकान

(श्री रामकिशन)

और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक १९६३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो तकलीफ है उस संबन्ध में काफी बातें रखी हैं । मैं उनको नहीं दोहराऊंगा । इसके साथ-साथ जो सुझाव उनके द्वारा दिये गये हैं मैं उनको नहीं दोहराऊंगा । सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि निजी उद्योग धन्धों में, प्राइवेट संस्थानों में, जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय है, उनको जीवन की साधारण सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । मौजूदा कानून इस प्रकार का बना हुआ है जिससे पढ़ने से मालूम होता है कि यह कानून कर्मचारियों के हित के लिये नहीं बनाया गया है, बल्कि कुछ लोगों को खुश करने के लिये बनाया गया है । अभी यह भी बात कही गई है कि सोवियट यूनियन में ६ घंटा काम लिया जाता है, जेकोस्लोवाकिया में ८ घंटे काम लिया जाता है, चीन में ११ घंटे काम लिया जाता है । इसका जवाब न देकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वे प्राइवेट संस्थानों में काम करते हों या राजकीय नौकरियों में हों, सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिये । जब सरकारी नौकर ६ घंटे से अधिक काम नहीं करता है तो प्राइवेट संस्थानों में नौकरों से अधिक काम क्यों लिया जाय; प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों को इन अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाय ? मेरा इस संबंध में निवेदन है कि इस बिल को स्वीकार करके जो सुविधा राज्य कर्मचारियों को प्राप्त है वह सब को प्राप्त हो इस सर्वमान्य सत्य को स्वीकार किया जाय ।

इसके अलावा सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मेरा जो प्रस्ताव है उसका मकसद यह भी है कि प्राईवेट संस्थानों के जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा की सुरक्षा होनी चाहिये । दुकानों के मालिक उनको कभी भी अलग कर देते हैं । छोटी सी नाराजगी पर एक घंटे के नोटिस पर अलग कर सकते हैं । इस पर भी सिलेक्ट कमेटी में विचार होना चाहिये कि किस प्रकार से इन कर्मचारियों की सर्विसेज़ को गारन्टी, सुरक्षा मिल सकती है । जो कारखाने या संस्थान नुकसान में जा रहे हों उसकी जानकारी हो जाय उसके बाद ही वे अपने कर्मचारियों को सेवा से अलग कर सकते हैं वर्ना नहीं ।

इसके अलावा इन लोगों को जो हमारे देश के त्यौहार हैं २३-२४ उनमें भी इनके छुट्टी नहीं मिलती है । होली, दीवाली और दूसरे त्यौहारों पर कर्मचारियों को छुट्टी मिलनी चाहिये ताकि जीवन के साधारण सुखों का वह उपभोग कर सकें । मालिकों की ओर से इस बारे में कहा जा सकता है कि त्यौहारों के दिनों में छुट्टी कर देते हैं तो उसका बिक्री पर असर पड़ेगा । ऐसी हालत में जब सब लोगों को यह मालूम हो जायगा कि त्यौहारों के दिनों में दुकानें बन्द रहेंगी तो वे दो दिन पहले ही अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद लेंगे तो इससे व्यापार पर कोई असर होने वाला नहीं, लेकिन इससे रिलीफ कर्मचारियों को मिल सकता है । त्यौहार की छुट्टियों में साधारण सुखों का उपभोग कर सकते हैं ।

(श्री रामकिशन)

इसके अलावा किसी कर्मचारी को नौकरी से अलग करने का सवाल हो तो उसको दो महीने पहले नोटिस दिया जाना चाहिये। आज जो प्राइवेट कर्मचारियों की स्थिति है वह बड़ी दयनीय है। आज जो दुकानों में कर्मचारी काम करते हैं वे दुकान के कर्मचारी नहीं वे सेठानियों की धोती तक धोते हैं। धोती धोना बुरी चीज नहीं है, लेकिन दुकानों के मालिक उनको एक प्रकार से निजी नौकर समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। छुट्टियां और नौकरों की तरह इनको भी मिलनी चाहिये। नौकरी से अलग करने की बात हो तो नोटिस दिया जाना चाहिये। दुकान में किसी प्रकार का गबन या घोटाला किया हो, ऐसे किया हो जिससे व्यापार को नुकसान पहुंचने वाला हो तभी अलग किया जाना चाहिये। इससे पहले किसी सूरत में अलग नहीं किया जाना चाहिये। उस सूरत में दुकान घाटे में जा रही है या नहीं, इसका दुकान मालिक फैसला नहीं करे, सरकार करे। चाहे तो इसके लिये कोर्ट को अधिकार दिया जावें और जब तक इस तरह का फैसला न हो जावे, तब तक उसको अलग नहीं करना चाहिये। तो इस तरह करने से नियमितता और स्थिरता आवेगी।

फिर इनको जनरल छुट्टियों की सुविधा भी दी जानी चाहिये। राजस्थान में तीन लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जो ऐसी प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं और इनकी स्थिति कानून में भी सही नहीं है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन्डस्ट्री विभाग को यह काम सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : कोरम नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : कोरम है।

श्री रामकिशन : कांग्रेस के लोगों का उपयोग ही क्या है अगर वे कोरम भी पूरा नहीं रख सकते तो।

श्री फूलचन्द जैन : आज आपका दिन है आपको चाहिये कोरम का ध्यान।

श्री रामकिशन : हम तो समझते हैं आप केवल कोरम के काम के लोग है। तो सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये जिससे इन प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों की स्थिति को भी साफ साफ देखा जा सके। जो खामियां हैं; वेज एक्ट को लागू करने की, समय की, वगैरह वगैरह तो इन पर सिलेक्ट कमेटी में ही अच्छी तरह बहस करके निर्णय लिया जा सकता है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य इनको भुवनेश्वर की याद दिला रहे थे। मुझे उनकी इस बात पर हंसी और अचम्भा आता है कि आजकल कॉम्यूनिस्ट मेम्बरों का यह काम हो गया है कि वे हमेशा भुवनेश्वर की याद दिलाते रहते हैं इनको। मैं कहता हूं उनसे इसकी चिन्ता आपको नहीं होनी चाहिये। उनको याद नहीं रहेगा, तो यह उनके लिये जरूरी नहीं है, आपके लिये हो सकता है। उनको याद रहे न रहे, यह इस विवाद में किसी को पड़ना नहीं चाहिये और खास कर भुवनेश्वर जैसे प्रस्ताव के बारे में जो केवल

(श्री रामकिशन)
एक चालाकी भरा, निराकार, ब्रह्मज्ञानियों का सा उपदेश है। कोरी शब्दों की लफ्फाजी है यह। कॉम्युनिस्टों को यह झूठी आस्था हो गई है कि कांग्रेस कोई समाजवादी संस्था है। उसको यह भ्रम हो गया है। यह कांग्रेस की गिरावट का कारण तो है ही। यह कॉम्युनिस्टों की गिरावट का कारण भी हो गया है। इसको आप अहमियत देते क्यों हैं? यह तो एक फिजूल का इनका नारा है। कुछ दो-चार बहके लोगों की बात है, कुछ दो चार मनचलों की बात है। उनको खुश रखने के लिये इस तरह के प्रस्ताव कांग्रेस पास करती रहती है। मेनन और मालवीया सरीखे लोगों का मुंह बन्द रखने की चाल है यह तो। यह उसकी नीति रीति का कोई मापदण्ड नहीं है यह उनकी अक्ल का कोई मापदण्ड नहीं है, प्रगति का मापदण्ड नहीं है। ग्रामदानियों की सीमा नहीं है। यह कोई इनके लिये नई चीज नहीं है। तो मैं कॉम्युनिस्ट पार्टी से कह रहा हूं आप इसे इन कांग्रेस वालों पर ही छोड़ दीजिये। कांग्रेस का अपना एक ढांचा है उसमें भी ऐसे आदमी और दल हैं, जो एक दूसरे के कारनामों से और विचारों से सन्तुष्ट नहीं हैं।

बाकी मैं समझता हूं कांग्रेस को इन मामलों पर तवज्जह दिलानी नहीं चाहिये। ये तो ग्यारह सालों में ऐसे ग्यारह प्रस्ताव पास कर चुके। कभी आवड़ी में, कभी मद्रास में, कभी कहीं, कभी कहीं। प्रस्ताव ही प्रस्ताव करती है, यह तो। और कोई कदम उनके हैं ही नहीं इनके पीछे।

एक म दूसरे कॉम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से, और खास तौर से श्री रामानन्द जी से मेरा कहना है कि उन्होंने भी कांग्रेस में प्रस्ताव रखा था। पर उस पर विचार नहीं हुआ। आज जो इस संस्था की हालत और हैसियत है वह बताता हूं। कुछ लोग भाषण करते हैं, कुछ मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। एक तरफ बाकी के कांग्रेस मेम्बर बैठे रहते हैं। जो करने धरने वाले हैं वे ही करते-धरते हैं, वे तो एक तरफ बाकी के बैठे रहते हैं। तो मैं उन काम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब रामानन्दजी के प्रस्ताव को नहीं माना तो आप उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में आ गये। यहां यह तो गनीमत है। पर अगर यही बात कॉम्युनिस्टों के किसी मुल्क में होती तो क्या आप इस तरह से पार्टी छोड़कर आ सकते थे, सही सलामत किसी दूसरी पार्टी में और इस तरह से बोल सकते थे, । जानते हैं आपकी जगह वहां कहां होती? एक पिटाको थे। आप जानते हैं उनकी हालत क्या हुई? हांडा साहब को जानकारी होगी। हंगरी के पिटाको साहब की।

कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने ऐसा ही कोई प्रस्ताव रक्खा। आज इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। वे जेल में ही मर गये। यूगोस्लाविया में जिलाज का नाम आप जानते हैं। उन्होंने पार्टी में एक विचार रखा, वे आज जेल में सात साल की भुगत रहे हैं। और तीन साल और बढ़ा दिये हैं। तो आप जानते हैं इनको।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): समझदारी का सारा ठेका तो आपने ले लिया।

श्री **रामकिशन**: तो सभानेत्रीजी, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी बातें लोग शान्ति से सुनते हैं और शान्ति से विचार भी करते हैं। जब कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिये। तो आप

(श्री रामकिशन)

आगे और सुनें । कि फिर कांग्रेस छोड़ कर आप कॉम्युनिस्ट पार्टी में आ गये । और अगर कभी आपकी सरकार हुई तो हम तमाम उनके विरोध में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी । जयपुर की सेन्ट्रल जेल में हम नजर आवेंगे । हमारी जगह इनके राज में वहां होगी । एस. पी. और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कुछ इस उस तरह की इत्तला दे दी तो गोली मार दी जावेगी और दूसरे दिन कह दिया जावेगा सरकार की तरफ से कि आत्महत्या कर ली । वह आदमी सिरदर्द से पागल था । यह चालीस लाख चीनियों की और १२ लाख रशियन्स की कहानी है । तो यह एक बहुत लम्बी कहानी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा धन्धा करने वालों में समझते हैं क्या आप अपने को ?

श्री रामकिशन : तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ने जो यहां फैसला किया है कि वे लोकतान्त्रिक बन रहे हैं, जनता के नजदीक आ रहे हैं, मैं इसका सबसे ज्यादा इस मुल्क में स्वागत करता हूं । यह सबसे ज्यादा स्वागत योग्य चीज है, यह मैं कह सकता हूं ।

दूसरी बात हांडा साहब ने यह कही कि हमने तो इर्विन के नाक कान काट लिये ।

श्रीमती सभानेत्री : ट्रेजरी बेंचें खाली पड़ी हैं । माननीय मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल से) इधर आ जावें ताकि ये बेंचें खाली नजर न आवें ।

श्री रामकिशन : मन्त्राणी जी तो बैठी हैं न । आप उनको रहने दीजिये यहीं, मन्त्री जी की तो जरूरत भी नहीं है, सच पूछें आप तो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह लोहिया-वादियों का ऐसा विश्वास है क्या ?

श्री रामकिशन : उनकी आदत के बारे में अगर कोई यह बात है तो इसे वे सुधारें । तो उन्होंने कहा कि इर्विन की नाक कान काट ली तो आजादी व लोकतन्त्र दोनों को खतरा है ।

मैं निवेदन कर दूं कि इस तरह से जिसने नाक काटी है उसको सोशियलिस्ट पार्टी अच्छा नहीं कहती । पर विदेशी साम्राज्यवाद का प्रतीक दुनियां में किसी कोने में कहीं भी हो, सारे संसार में से उसे हटा देना है; आज तो उसका एक मात्र स्थान संग्रहालय है । पर उनकी तो गुलामी की प्रवृत्ति हो गई है । युगोस्लाविया, चैकोस्लाविकिया में स्टालिन की मूर्तियां लगाई जा रही हैं । पर आजाद मुल्कों में बर्मा में, पाकिस्तान में, लंका में, हिन्दुस्तान में कहीं चले जाओ, जो साम्राज्य-वाद के प्रतीक हैं आज उनका स्थान तो केवल एक मात्र संग्रहालय हैं ।

तो कांग्रेस और उसकी सरकार तो मूर्खतापूर्ण काम इस मामले में कर ही रही थी, पर ताज्जुब है तीन एक सालों से इन लोगों में भी दासता की भावना चल रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दासता कैसी ? जानते नहीं ।

श्री रामकिशन : अफसोस है कि स्टालिन की बात होती है तो सभापति महोदया, शक्ति का प्रतीक है, यह कह देते हैं और पिटाको और जिलाज की बात होती है तो

(श्री रामकिशन)

उसे ठुकरा देते हैं, नफरत करते हैं, जेलों में दे देते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यहां तो पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर है ।

श्री रामकिशन : ठीक है । पर वहां तो गोली मारना है सीधा ।

(१२.०० मध्यान्ह)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि दूसरे . . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा : खुश्चेव ने एक उदाहरण पेश कर दिया कि जूता भी उठाया जायगा तो अनपार्लियामेन्ट्री नहीं होगा । उसकी प्रेसीडेन्स कायम है यू० एन० ओ० में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो जूता उठाते हैं उनकी बात मत कीजिये, लेकिन जो लोग अपना जूता दूसरों से उठवाते हैं उनकी बात करिये ।

श्री रामकिशन : जो दूसरों को उपदेश देते हैं पहले वे अपने दल को सम्हालें । समाजवादी पार्टी का विश्वास है कि जितने भी साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं . . . . . .

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जूता उठाना पार्लियामेन्ट्री है तो बड़ी विचित्र बात है । इस पर आपका रूलिंग होना चाहिए । शायद माननीय सदस्य जूता उठालें ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, रूलिंग देने जैसी बात नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस सदन की रूलिंग यू० एन० ओ० पर लागू हो जायगी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी के सिर पर खुजली हो रही हो तो उसके बारे में रूलिंग दें ।

श्री रामकिशन : माननीय सभानेत्रीजी, मैं यह निवेदन कर रहा था और इसलिये निवेदन करना पड़ा कि आज वह स्टेज नहीं है कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ने जो आरोप लगाये उनका कांग्रेस वाले जवाब दें, या कांग्रेस वाले जो आरोप लगायें उनका कॉम्युनिस्ट पार्टी जवाब दे । मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कॉम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा आज निश्चित तौर से सरकार-समर्थक बन रहा है किन्हीं कारणों से । वे चीन समर्थकों को गाली देना चाहते हैं, तो हिम्मत से कहें कि वह चीन-समर्थक नहीं हैं । बल्कि वह लोग भी उतने ही दोषी हैं जो नेहरू-समर्थक हैं और चीन के विरोधी हैं, क्योंकि दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाती है, क्योंकि नेहरू सरकार दोषी है जिन्होंने चीन को आक्रमण का मौका दिया है और चीनी आक्रमण का समर्थन करते हैं वे भी दोषी हैं ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : कौन कर रहा है, बता दें ?

श्री रामकिशन : कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर जो समर्थन करते हैं वह भी दोषी हैं, कोलम्बो प्रस्तावों का समर्थन करने वाले लोग एक लाख वर्ग मील चीन को देना चाहते हैं . . .

श्री फूलचन्द जैन : बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो मानसरोवर पर बैठना चाहते हैं . . . .

श्री रामकिशन : हिन्दुस्तान की वह वास्तविक सीमा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये मानसरोवर के हंस बनकर उस में किलोल करना चाहते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री रामकिशन : इस हिन्दुस्तान की कोई नेचुरल सीमा हो सकती है तो मानसरोवर और कैलाश ही हिन्दुस्तान की सीमा हैं। कोलम्बो प्रस्ताव के आधार पर जो दल . . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कैलाश पर्वत पर नन्दी आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है, वहां पर पधारें।

श्री रामकिशन : जरूर कर रहा है। जो कैलाश को नहीं बचा सके, जो मानसरोवर को दूसरे मुल्कों को देना चाहते ह वे भी गद्दार हैं और जो इस बात का समर्थन करते हैं वे भी गद्दार हैं। कॉम्युनिस्ट दल और कांग्रेस के बारे में कहना चाहता हूं कि इन दोनों में मेलजोल कुछ दिनों से है। कुछ मामलों पर दोस्ती होती है और कुछ मामलों पर मन-मुटाव होता है, तो वह भी स्त्री-पुरुष के झगड़े जैसा होता है कि दिन को लड़े और शाम को राजीनामा हो जाता है; यह बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : स्त्री कौन है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्त्री हो या न हो, लेकिन आप हमारे साडू जरूर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (श्री रामकिशन से माइक लेकर) सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो स्त्री . . . .

श्री रामकिशन : point of order, sir. माननीय सभानेत्रीजी, मुझ से एक माननीय कॉम्युनिस्ट सदस्य माइक छीन कर मेरे राइट ऑफ स्पीकिंग को छीन रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने स्त्री-पुरुष का प्रश्न उठाया तो स्त्री इन्फीरियर होती है या पुरुष इन्फीरियर होता है या सुपीरियर होता है, इसका रूलिंग दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदया, जब आप पदासीन हैं तभी यह प्रश्न उठाया जाय, और कोई मौका नहीं मिला इनको।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस वक्त तो यही रूलिंग हो जाय कि स्त्री सुपीरियर है।

श्री रामकिशन : प्रकृति की सबसे सुन्दर और स्वस्थ देन है वह स्त्री है। मैं उसको सुपीरियर मानता हूं। दूसरे दल के लोग चाहे स्त्री को कमजोर या इन्फीरियर मानते हों। मेरी मान्यता यह है कि प्रकृति की सबसे सुन्दर और श्रेष्ठ देन स्त्री है। हमारे समाजवादी दल ने स्त्रियों को प्रोत्साहन दिलाने का ठेका ले रखा है। बाकी के दल स्त्री को चाहे सिर पर उछालें या पैरों पर रखेंगे, लेकिन समाजवादी दल बराबर का उसका दर्जा देखना चाहता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदया, यह सर पर उछालने का क्या अर्थ है ? स्त्री कोई गेंद है क्या ?

श्री रामकिशन : तो मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया कि यह शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट (एमेंडमेंट) बिल है इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। और मैं कांग्रेस के लोगों से निवेदन करूंगा कि वे कॉम्युनिस्ट दल के सदस्यों की उत्तेजना से किसी तरह से नाराज़ न हों। हमारा जो असली उद्देश्य है वह लोक-कल्याण का है उसको चाहे कॉम्युनिस्ट रखें, चाहे कांग्रेस रखे, चाहे समाजवादी रखें और चाहे कंजर्वेटिव पार्टी रखे, लेकिन जो जन-कल्याण के कानून हैं उनको इसी स्प्रिट में लेना चाहिए। उसको टाल देने की बात नहीं है। उन्होंने इसको टाल दिया इसलिए मैंने जवाब दिया। वे बोलते नहीं हैं, क्योंकि न तो वे इतिहास पढ़ते हैं और न साहित्य। वे तो तोता-मैना के किस्से पढ़ते रहते हैं और सदन में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि और सारी बातों को भूलकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और कमियां रह गई हैं, घरेलू कर्मचारियों की हालत सुधारने के लिए, उनकी छुट्टियों के बारे में, उनके वेतन के बारे में, जो मैंने सुझाव दिये हैं उन सब कमियों पर विचार करेंगे। इतना ही कह कर मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभा-नेत्रीजी ......

श्री रामकिशन : On a point of order, madam. मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि मेरे आस-पास कॉम्युनिस्ट मेम्बर्स नहीं बैठें। वे माइक छीन लेते हैं। इसलिये मेरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : आप बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाया करें।

(हंसी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभानेत्रीजी आपकी रूलिंग को लागू किया जाय, आपकी व्यवस्था को मनवाया जाय।

श्री रामकिशन : जो शिकायत लेकर आया उसी के खिलाफ फैसला हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने इस बिल का आसरा लेकर कॉम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर दोनों हाथों से लेकर काफी कीचड़ उछाला ......

श्रीमती सभानेत्री : आप भी इस बिल पर बोलेंगे या पार्टी पर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसी बिल पर बोलना पसन्द करूंगा क्योंकि जो कीचड़ उन्होंने उछाला है ....

श्रीमती सभानेत्री : प्रारम्भ इसी बिल से क्यों नहीं करते ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इनका मुंह खराब हो गया है वह साफ कर लेने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसी पर बन्द रहूंगा। माननीय सदस्य ने जो छीनी हथौड़ी लेकर पुराने बुतों की नाक उतारी, मैं उस पर कीचड़ न उछालूंगा। मैं इसी बिल पर बात करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं उनकी विद्वता की धाक मैं भी मानता हूं। वे अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान्, सारे इन्टरनेशनल साहित्य का ज्ञाता, सारी घटनाओं का ज्ञाता समझते हैं, और मैं भी कभी कभी बहुत प्रभावित हो जाता हूं, लेकिन वह जब किताब ओंधी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पढ़ना शुरू कर देते हैं या किताब को ओंधी पकड़ कर खडे हो जाते हैं तो उनके ज्ञान पर थोडी शंका हो जाती है। उन्होंने हुंगरी के किसान प्रिंट का ....

श्री रामकिशन : पिटा को कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं उनको दोष नहीं देता। वे हिन्दी भाषा के बहुत बडे समर्थक हैं। पिटाको का वह प्रोनन्सियेशन ठीक नहीं कर सके या नाम को ऊटपटांग पढ़ गये। इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनके सिद्धान्त पर भी वह दूषित नहीं ठहरता है। वे हिन्दी बोलने को कहते हैं, तो उनको इंगलिश शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहिएं। इससे उनका मुंह अपवित्र हो जाता है, लेकिन वे निकाल डालते हैं।

इस बिल में जो उन्होंने प्रोवीजन किया है तो दूकान पर काम करन वाले कर्मचारियों की जहां सुरक्षा का प्रश्न है और उनसे जहां पर व्यापारी लोग बहुत ज्यादा कार्य लेते हैं और उनको कोई छूट नहीं देते हैं और दूसरे प्रकार की सहूलियतें प्राप्त नहीं हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं होता है और आज कर्मचारियों की गम्भीर स्थिति है, उसको लेकर माननीय सदस्य जो यहां से निकले वे हंगेरी पहुंचे और हंगेरी से पोलेन्ड पहुंचे और पोलेन्ड से रूस पहुंचे और फिर साम्राज्यवाद के प्रतीकों को उठा देने का आपने जस्टिफिकेशन पेश किया। जब साम्राज्यवाद यहां मौजूद था, लार्ड इर्विन दिल्ली में विराजमान थे उस वक्त लार्ड इर्विन के खिलाफ, उनकी सत्ता के खिलाफ कुर्बानी देने की बात थी उस समय तो माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए, लेकिन बाद में साम्राज्यवाद के जाने के बाद बुत की नाक उड़ा देनी चाहिये, ऐसी माननीय सदस्य की मान्यता है।

एक माननीय सदस्य : आप तो कब्र में से मुर्दे निकालते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपको कुछ चोट लगी क्या बुत पर हथोड़ा चलाने से ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : न तो बुत को चोट लगी, न मुझे ही चोट लगी।

एक माननीय सदस्य : फिर आपको इल्म कैसे हुआ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खाली एक मरकट की स्थिति जरूर पैदा हो गई, जिन पर वे कहते हैं कि पुराने प्रतीकों को हटा दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कुछ मरकट के प्रतीक समाज से उठाये जायं। जिनकी कल्पना यह हो कि वे हंस बन जायं और मानसरोवर के ताल में विचरण करें, जिनकी मान्यता यह हो कि कैलाश पर्वत पर भोलानाथ बिराजमान हैं और उनके पास में नंदी बैठा हुआ है और कैलाश पर्वत की चोटी किसी से बंधी हुई है, ऐसे मरकट के प्रतीकों को उठाने की आवश्यकता है। सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, स्वयं माननीय सदस्य ने जो कहा वह अपने आप का जबाब है क्योंकि उनकी फिलॉसफी अपने आप में ही जवाब है।

सभापति महोदया, इनकी पार्टी की एक मान्यता है वह हमें और कांग्रेस को पहचानने की बात करते हैं तो उनकी पार्टी तवे पर रोटी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बदलने वाली पार्टी है। रोटी एक तरफ बदली जाय, तो फिर दूसरी तरफ बदली जाती है फिर तीसरी और चौथी तरफ बदली जाती है। रोटी को बदलना इनका मुख्य सिद्धान्त है। उनके सिद्धान्त के अनुसार कांग्रेस चली जाय और उसके स्थान पर ३०० वर्ष पुराने राजा-महाराजा कब्र से निकल कर चले आवें और सीटों पर कब्जा करलें तो उसकी इनको चिन्ता नहीं है। संप्रदाय····

श्री रामकिशन : हिन्दू धर्म से समझौता करके यहां बात करते हैं·········

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिन्दू धर्म का नाम लेकर, हिन्दू संस्कृति के ठेकेदार बनकर आवें और वे भी कब्जा करलें कांग्रेस को हटाकर तो माननीय सदस्य को हिचक नहीं, उनके लिये तो नेहरूजी नहीं रहने चाहिये, कांग्रेस पार्टी नहीं रहनी चाहिये, उसके स्थान पर कोई भी प्रतिक्रियावादी हो, उसमें हर्ज नहीं। उनकी तो रोटी बदलनी चाहिये चाहे पलट में कोई आ जाय, यही माननीय सदस्य का सिद्धान्त है, उनकी पार्टी का सिद्धान्त है। जब हम यह कहते हैं कि कांग्रेस में भी कुछ ईमानदार लोग हैं, कुछ कल्पना करने वाले हैं, परिवर्तन चाहते हैं तो माननीय सदस्य का सिद्धान्त बेचैन हो उठता है, तड़फडाता है क्योंकि रोटी बनाने वाले की जो स्थिति है वह इसमें फिट नहीं बैठती। माननीय सदस्य इस बात की कल्पना नहीं करते क्योंकि कल्पना की ठेकेदारी, कल्पना की मोनोपोली मुकम्मिल माननीय सदस्य में निहित है और कोई उसे छीने तो बुत पर चले जाते हैं, पुरानी क्रान्ति उबल पड़ती है। लेकिन सभापति महोदया, मैं निश्चित रूप से कहता हूं········

श्री रामकिशन (वैर) : ये हाथ फटकारते हैं। इस तरह से हाथ फटकारने से इन्हें रोक दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरा कोई इरादा माननीय सदस्य को चपतियाने का नहीं है। जिस प्रकार की माननीय सदस्य की कार्यवाही है उसको देखते हुए जनता स्वयं उनको चपतियाएगी। फिर आपकी यह टोपी इन्हें तसल्ली करा रही है। ढाई पैसे की टोपी को मैं क्या चपतियाऊंगा?

मैं कह रहा था कि हमारा लक्ष्य है समाजवाद। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रखा है उसमें छोटे-छोटे कर्मचारियों की बात है, जिसे उन्होंने समाजवाद के दृष्टिकोण से रखा है। आज १० हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों में दूकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की वस्तु-स्थिति को यदि माननीय सदस्य देखें तो माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे, यह मैं विश्वास करता हूं। कांग्रेस बेन्चेज पर बैठे हुए भी बहुत से ईमानदार लोग हैं वे भी इस बात को मानेंगे कि उन कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। मिनिमम वेजेज एक्ट वहां पर लागू नहीं होता, २०-२१ घंटों तक उनको वहां पर काम करना पडता है और इतनी मेहनत करने के फलस्वरूप वे टी. बी. के शिकार होते हैं। देश में जितने भी त्यौहार होते हैं उनकी भी इनको छुट्टी नहीं होती है। सारा देश होली और दीवाली की खुशी के साथ मनाता है उस समय भी मालिक उन की छुट्टियों को काट डालते हैं और उनको दुकानों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पर बैठना पड़ता है । मैं कहता हूं कि कांग्रेस में बैठे हुए कुछ ईमानदार लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां की हैं । उनकी विचारधारा भी इस प्रकार की है जो कहते हैं कि आपका मकसद इन लोगों के साथ कुठाराघात करने का है, जो कहते हैं कि बैंक्स का नेशनेलाइजेशन होना चाहिये, जो राजा–महाराजाओं को हाथ में लेने की बात करते हैं, जो प्रिवि पर्सेज को हाथ में लेने की बात कहते हैं वे स्पष्ट बात करते हैं, मैं उनकी स्पष्टता का हमवार हूं । लेकिन माननीय सदस्य की मान्यता है कि राजा-महाराजा मुल्क की कुर्सी पर आकर बैठ जायं तो ठीक है; लेकिन नेहरूजी मरने चाहियें, नेहरू के सिद्धान्त मरने चाहियें । उन्होंने तो लंगोटी लगाकर मोर्चा लगा दिया । नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, नेहरू के खिलाफ आवाज बुलन्द करेंगे । उनका सारा ध्यान नेहरूजी के ही चारों तरफ है । चाहे नेहरूजी की फोरेन पॉलिसि को देश–विदेश में लोगों ने माना हो, लेकिन उसको मानने की शक्ति माननीय सदस्य में नहीं है । वे यदि हुकम भी लायेंगे तो हुंगेरी से लायेंगे ।

सभापति महोदया, इस बिल को एक समाजवादी दृष्टिकोण से अलवर से आने वाले माननीय साथी ने रखा । निश्चित तौर से मूलभूत बिल में जो बातें दी गई हैं उनको फौरन खत्म करना चाहिये । आज जो ११ घंटों से भी ज्यादा काम लेते हैं उन कर्मचारियों से उनको खत्म करके इस बिल के अनुसार समय निर्धारित करना चाहिये मिनिमम वेजेज एक्ट भी इन पर लागू करना चाहिये । जो व्यापारी उनसे दुगुना काम लेते हैं, उनको छुट्टियां मार देते हैं, उनको यदि नौकरी से निकाल दें तो उनके खिलाफ लीगल प्रोसिडिंग्ज नहीं होतीं, कोर्ट में इन्स्टीट्यूशन नहीं होता । इन सबसे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिये । इसलिये, सभापति महोदया, मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं कांग्रेस के उस सेक्शन से जो ईमानदार सेक्शन है, यह अपील करता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की नियत को पहचाने और अपनी पार्टी को पूरी तरह से मूव करें । इस बिल के सिद्धान्तों को देखते हुए इस बिल को स्वीकार करें, इसको पास करावें और इस संबंध में जो रियायतें छोटे दूकानों के कर्मचारियों के लिये चाही गई हैं उनको लागू करें और छोटे लोगों को राहत दिलाव, जिसकी जरूरत है । आज बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए दूकानों पर कार्य करने वालों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि जो मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रोविजन्स को १० हजार से ऊपर के नगरों में स्ट्रिकटली लागू नहीं किया है । इस मंहगाई के कंटेन्शन में, बैकग्राउन्ड में जो राहत डीयरनेस अलाउन्स, तनख्वाहें बैटर होनी चाहिये थी वे इन दूकानों के कर्मचारियों को कतई प्राप्त नहीं हुई । इसलिये उन्हें प्राप्त कराने के लिये इसे आप गंभीरता से लें । माननीय सदस्य तो लहरी आदमी हैं

श्री रामकिशन : On a point of order, माननीय उप-शिक्षा मंत्रीजी ने सदन में अफीम खाली है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : लहरी आदमी हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पीनक में खुद थे, सारी महफल ही पीनक में नजर आ रही है । माननीय सदस्य पंडित हैं, विद्वान् हैं; दिग्गज, प्रकांड पंडित, आत्म-ज्ञाता, तत्व ज्ञानी हैं जो महाशय भरतपुर की एक शोभा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है, भरतपुर की धरती के पुष्प, सारी विद्वत्ता के ठेकेदार जो यहां पधारे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि यदि कभी कोई विरोधी पार्टी कोई अच्छा काम करे तो थोड़ा सा आपको उसको रियलाइज कर लेना चाहिये। हम अपने लक्ष्यों को सदन के सामने रखना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य समाजवाद लाना है। अगर कोई समाजवाद लाने में मददगार हो जावे तो आपको उसको अपनाना चाहिये। आपका लक्ष्य केवल एक विशेष व्यक्ति को कुर्सी से हटाने का नहीं होना चाहिये। आज आप नेहरू को कुर्सी से हटा कर मीनू मसानी को कुर्सी पर बिठा दें या कृपलानी को बिठला दें या अन्य किसी को बिठला दें, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा तो नीतियों से पड़ेगा।

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा): केरिअप्पा को बिठा दिया जाए।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: अगर आप केरिअप्पा को भी बिठा देंगे तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय सदस्य विद्वान् हैं, बुद्धिमान हैं, दिग्गज पंडित हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ह; फर्क तो नीतियों से ही पड़ेगा। इसलिये सरकार के बाहर लोग हैं और जो उनकी विचार-धारा है वे और जो लोग अन्दर हैं वे इसके लिये संघर्ष करें। प्रश्न नेहरू को कुर्सी से हटा कर कृपलानी को बिटाने का नहीं है। माननीय सदस्य अगर कोई ईमानदारी की बात कह दिया करें तो उसको मान लें तो अच्छा है। इसलिये मैं अपने विद्वान्, बुद्धिमान, पंडित से बडी नम्रता से निवेदन करूंगा, आप इस पर ध्यान दें।

श्री **रामकिशन**: अब मैं नई स्कूल खुली है उसके बाद जरूर दाखिल हूंगा।

श्री **निरंजननाथ आचार्य**: सबको वापिस पढ़िये।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): सभापति महोदय, अभी रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य. वाणिज्य संघ के कर्मचारियों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और नेहरु की राजनीति तक चर्चा करने लगे। मैं अन्तर्राष्ट्रीय और नेहरू की राजनीति पर जो इस बिल पर चर्चा करते समय कही गई है उस पर चर्चा करने से असमर्थ हूं, लेकिन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करूंगा। जिस समय कॉम्युनिस्टों का शासन होगा उस समय दूकानें रहेंगी या नहीं, वाणिज्य संस्थाए रहेगी या नहीं इस चर्चा को मैं उठाना नहीं चाहता। सोवियत रूस में व्यापारी या छोटे लोग उन व्यापारियों के पास काम करते हैं या नहीं, यह मसला अलग है। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से निवेदन करूंगा कि वे मूलभूत सिद्धान्तों पर विचार करें और कॉम्युनिस्टों के समय में क्या होगा, उसके संबन्ध में इस प्रश्न को खड़ा न करें क्योंकि कॉम्युनिस्टों का पेटर्न क्या होगा, रूस में दुकानें नहीं होंगी और न कर्मचारी आवेंगे। लेकिन अपने देश में जहां जनतंत्र है, जहां स्टेट बिजनेस सेक्टर और प्राइवेट बिजनेस सेक्टर है, छोटे-छोटे व्यापारी लोग दूकानें खोल सकते हैं।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(१२.२३ म० पू०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

और यह सवाल उनको वर्किंग कन्डीशन्स को ठीक रखने से संबन्ध रखता है। अभी आपने यह कहा कि सरकार इस तरह का बिल लाना चाहेगी। मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस दृष्टिकोण को इस बिल पर न लाये क्योंकि सरकार स्वयं कोई बिल लाये यह कोई आवश्यक नहीं है और जो बिल सदन में लाया गया है उस बिल के प्रिंसीपलों से सरकार को कोई एतराज नहीं हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस को मंजूर करे। इसमें कोई पॉइन्ट ऑफ प्रेस्टिज नहीं है कि हम इस प्रकार का बिल लावेंगे और इसलिये इस बिल को स्वीकार नहीं करें। पुराना दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिये जो पहले अपनाया है। अभी हांडा साहब ने आपकी और नेहरू सरकार की काफी चापलूसी की है। आपने उस बिल को अस्वीकार कर दिया, जिसका हमारी पार्टी भी समर्थन करती है; इसलिये आप इस बिल के प्रावधानों को स्वीकार करें। इसमें कोई क्रान्तिकारी बात नहीं कही गई है। इस बिल में छोटी-छोटी बातें कही गई हैं। ६ घंटे लेबर को काम करना पड़ता है; उसके बजाय इस बिल में यह दिया गया है कि वे ८ घंटे काम करें। मैं समझता हूं कि यह सिद्धान्त आज से कई वर्ष पहले स्वीकार कर लिया गया था। जितना समय अपनी आजीविका चलाने के लिये काम करने का रखा गया है वह ८ घंटे का समय काफी माना गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारी संस्थानों में कर्मचारियों के लिये ६ घंटे रोज काम करने का कानून बना रखा है वह कानून हमारे मानुष्यत्व और समाज के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता है और इसलिये वह समय ६ घंटों के बजाय ८ घन्टे कर दिया जाने के लिये जो संशोधन पेश किया गया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को फौरन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्मचारी इन संस्थाओं में काम करते हैं वे एक संस्था में ८ होंगे या १० होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इन व्यापारी संस्थाओं में कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर वेजेज एक्ट लागू नहीं होता। इसलिये वे लोग कानूनन कोर्ट में जाकर भी अपना क्लेम तय नहीं करा सकते। इसलिये वेजेज एक्ट उन पर भी लागू होना चाहिये और समय पर उनको तनख्वाह मिलनी चाहिये। समय पर तनख्वाह नहीं देने का नतीजा यह होता है कि जो एक छोटा कर्मचारी है, गुमाश्ता है, उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ तो उनके काम करने के घन्टों का समय तय नहीं है और दूसरी तरफ उनको तनख्वाह समय पर नहीं मिलती। समय तय नहीं होने के कारण वे बैल की तरह जूड़े में जुते रहते हैं और २४ घन्टों में १८ घन्टे काम में जोते जाते हैं। आज उन गुमाश्तों की हालत उन बैलों से बहतर नहीं है। आप मुस्करा रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपको बैलों से प्रेम है, क्योंकि आपका चुनाव-चिन्ह बैल है। लेकिन आपका यह चुनाव-चिन्ह होने से यह नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तान के सभी लोग बैल को तरह से काम करें, यह तो नहीं हो सकता। होना यह चाहिये कि वे निश्चित तौर से नियमित समय में काम करें। इसलिये आप इसको स्वीकार करेंगे। और उनको वेजेज एक्ट के अनुसार प्रोसीक्यूशन करने की छूट हो।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उनको जिस तरह से लेबरर को ७ या ८ तारीख तक तनख्वाह मिलती है उसी तरह से ७ या ८ तारीख तक उनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई सरकार को नहीं होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एक्ट बनाया, लेकिन आपने इस बात का राजस्थान में कभी भी फिक्र नहीं किया कि उसका इम्प्लीमेन्टेशन किस तरह से होता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई शोप्स का इन्सपेक्टर है, उसकी मासिक आमदनी अगर वह शहर ५० हजार की आबादी का है तो वहां पर उसकी आमदनी ५ हजार से लेकर १० हजार रुपये माहवार से कम नहीं हो सकती। शॉप इन्सपेक्टरों के प्रत्येक महीने के रुपये प्रत्येक दूकान से बन्धे हुए हैं और वे उनको मिल जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि प्रोपर चैकिंग इन्सपेक्टर नहीं करते। मर्जी आवे तब तक वे लोग दूकानें खुली रखें और काम करें। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो भी प्रावधान इसके लिये रखे गये हैं उसका कोई प्रोपर इन्सपेक्शन नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि १०) माहवार प्रत्येक दूकानदार से उनके बंधे हुए हैं इसलिये वे दूकानदार किसी बात की परवाह नहीं करते। जहां शोप इन्सपेक्टर नाराज हो जाता है वहां एक-एक आदमी के खिलाफ दस-दस चालान पेश कर दिये जाते हैं और वे ऐसे कि एक सर्टीफिकेट दिया, उसने अगर उसको टांग दिया और दूसरा नहीं टांगा तो उसका प्रोसीक्यूशन हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम इस भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं और शॉप-कीपरों के यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की हालत को सुधारना चाहते हैं तो जो संशोधन रखा गया है उसको स्वीकार करना चाहिये।

सरकार खास तौर से शॉप्स इन्सपेक्टर जब से वह इन्सपेक्टर बना है तब की उसकी माली हालत और प्रॉपर्टी और उसके बाद की माली हालत और प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ है—इस बात की पहले इन्क्वायरी करनी चाहिए। और वह भी सिर्फ शॉप्स इन्सपेक्टर की ही नहीं, बल्कि दूसरे दूसरे इन्सपेक्टर—फैक्ट्री इन्सपेक्टर, माइन्स इन्सपेक्टर—इस प्रकार के जितने इन्सपेक्टोरेट के कानून अन्दर बने हैं—फूड इन्सपेक्टर की इन्क्वायरी करनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह भ्रष्टाचार की जड़ है। इन इन्सपेक्टर्स की आमदनी पांच हजार से लगा कर दस हजार तक है। जैसे बीकानेर में एक ऊन का इन्सपेक्टर है, उसकी आमदनी दस हजार से कम नहीं। यह इन्सपेक्टोरेट कायम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बिल के समर्थन में तो अपना मत व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ निवेदन है कि इन इन्सपेक्टोरेट्स की सबसे पहले इन्क्वायरी करायें। इस इन्क्वायरी से सरकार की जिस ओर तवज्जह होगी, वह होगी कि इन्सपेक्टोरेट्स में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिये सभापति जी, इस बिल के मूल प्रावधानों का समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार जिद्द का एटीट्यूड अख्तियार न करें कि यह कॉम्युनिस्ट सदस्य की तरफ से आया है। कॉम्युनिस्ट कभी आपकी तारीफ करते हैं और कभी घोर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

विरोध करते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय जिस तरह के मोड़ आते हैं उस तरह इनकी नीति बदलती रहती है। इनकी गालियों और प्रेम का कोई महत्व नहीं है। अभी हांडा साहब सरकार पर बहुत खुश हो रहे थे, कल जाकर गाली दे सकते हैं और चीन के एजेन्ट बन सकते हैं। यह तो इनकी स्ट्रेटेजी है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अशोक मेहता को कांग्रेस में भेज सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह गलत है।

एक माननीय सदस्य : हम दोनों को समझ चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अशोक मेहता का पार्टी से निष्कासन कर दिया। आपकी पार्टी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह डांगे को निकाल दे। उन्होंने लैटर लिखा, ब्रिटिशर्स को आफर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is bogus

श्री मानिकचंद सुराणा : अशोक मेहता को हमने पार्टी से निकाल दिया। मैं निवेदन करता हूं कि यह इनकी स्ट्रेटेजी है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बहक रहे हैं, मानिकचन्द जी; this is absurd and bogus; भूल आपने की होगी, डांगे ने नहीं की है।

(१२.३३ म० प०)

(श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : Order please।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चालीस साल पहले आप पैदा नहीं हुए थे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): On a point of order, sir....

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी पक्ष।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इन दोनों बिलों पर काफी समय दिया जा चुका है। एक मेरा बिल मुझे रखना है, उसके लिए समय कम रहेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

मेरा निवेदन है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अशोक मेहता को निकाल...

श्री मानिकचंद सुराणा : कॉम्युनिस्ट्स से हमारे मतभेद हैं, लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, हमारे मतभेद नहीं हैं। इस बिल को एकमत से पास करना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : वह तो सदैव से मतभेद है।

श्री मानिकचंद सुराणा : गरीबों और मजदूरों के कल्याण के बारे में कोई मतभेद नहीं है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान दूकान और वाणिज्य संस्थान (शोधन) अधिनियम पर जो संशोधन रखा है, उसकी भावना की तो मैं कद्र करता हूं। उन्होंने जो बातें कहीं, उनमें से कुछ से मैं

(श्री भवानीशंकर नंदवाना)

सहमत हूं और कुछ बातों से सहमत नहीं हूं । इसमें दो राय नहीं हो सकती कि दूकानों में जो गुमाश्ते और मुनीम रहते हैं उनकी हालत सुधारनी चाहिए । सरकार उनके प्रति प्रयत्नशील है और सरकार इस सम्बन्ध में पीछे रहने वाली नहीं है ।

सवाल यह है कि उन्होंने कुछ बातें उठाई हैं, एक तो यह कि जो इन्तज़ाम किया जाता है वह इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, यह बात सही नहीं है, शॉप्स एण्ड वेट एण्ड मेज़र्स इन्सपेक्टर उनकी पूरी देख-भाल करते हैं । लेकिन वह लेबर डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत है और लेबर डिपार्टमेन्ट उनका सुपरविज़न करता है, उनकी देख-रेख करता है । इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इस सम्बन्ध में असावधानी बरती जाय । फिर भी सुविधाओं का पालन कराने में अगर कमियां रही होंगी तो और तत्परता से पालन कराया जायगा । इसमें दो राय नहीं हो सकती ।

फिर बैंकों के सम्बन्ध में शिकायत की गई कि बैंकों में ज्यादा काम लिया जाता है । तो जहां जहां से शिकायतें आई हैं वहां इन्सपेक्शन कराया गया है और प्रोसीक्यूशन कराया गया है । कोटा में दो बैंकों को प्रोसीक्यूट किया गया है । इसलिये माननीय सदस्य को संतोष होना चाहिए कि लेबर डिपार्टमेन्ट इस सम्बन्ध में जागरूक है और कहीं से भी शिकायतें आई हों तो उनको दर-गुज़र करने का सवाल नहीं है, बल्कि एक दम एक्शन लिया जाता है ।

एल. आई. सी. के लिये कहा गया कि लागू नहीं किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एल. आई. सी. को मुक्त करने का सवाल नहीं है । वहां कानून लागू किया जा रहा है और जल्दी कानून लागू हो जायगा ।

इस सदन में जो-जो बातें कही गई हैं उनमें से जिनसे मैं सहमत हूं पहले मैं उन बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं ।

इसके अलावा पेमेन्ट ऑफ़ वेजेज़ एक्ट सरकार लागू करने जा रही है और जल्दी नोटिफिकेशन निकालने जा रही है । काम के घंटों के सम्बन्ध में गर्मी में, बारह घंटे और सर्दी में ११ घंटे किये जा रहे हैं । इसका नोटिफ़िकेशन निकाला जा चुका है और १५ मई से लागू हो जायगा . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : भाषण थोड़ा संक्षेप में करें ।

श्री **भवानीशंकर नन्दवाना** : मुनीम और गुमाश्तों के अधिकारों को अधिक से अधिक सरकार संरक्षण देना चाहती है । जहां तक काम के घंटों के सवाल है, काम के घंटे ९ रहते हैं ।

इसके अलावा जो बातें कही गई है उनके सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता । दूसरी स्टेटों में क्या नियम हैं, क्या क़ानून हैं, किस प्रकार की सुविधायें मिली हुई हैं, इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी चल रही है । जो सुविधायें बाक़ी होंगी उनके सम्बन्ध में विचार किया जायगा, और अगले सेशन में हम एक क़ानून लाने जा रहे हैं । इसमें सरकार यथा सम्भव जो भी संशोधन आवश्यक समझेगी वह कर देगी ।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

जहां तक दस हजार की आबादी वाले क़स्बों की लिमिट करने का सवाल है, उसमें सरकार को आज भी अधिकार है, सरकार चाहे तो पांच हज़ार के क़स्बों को कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस होती है, उसी प्रकार कानून का पालन कराया जाता है। इसलिये अभी मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाते हुए, उनकी मूल भावना से सहमत होते हुए और यह कहते हुए कि अगले सैशन में यथासम्भव यह कानून लाना चाहते हैं, मैं यह आशा करता उन्होंने जो संशोधन प्रस्ताव सदन में रखा है उसको वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : Brief reply please.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष जी, यह तो खुशी की बात है कि बिल की बहस में जिन भी महानुभावों ने हिस्सा लिया उन्होंने इस बिल की मूल भावनाओं से सहमति प्रगट की है। सरकार की ओर से जो इस सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है उसमें अवर्स आफ़ वर्क, काम करने के घंटे १४ और १३ के बजाय १२ और ११ करने की दृष्टि से सक्यूलर निकाल दिया गया है, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसमें सुधार किया है। परन्तु जो पड़ौसी राज्य हैं उनमें दस और साढ़े दस घंटे हैं, जैसा पंजाब और यू. पी. के लिये मैं ने कहा था-उसके अनुसार राजस्थान में भी परिवर्तन लाया जाना चाहिये। मैं समझता हूं अगर सरकार के पास यह जानकारी नहीं है कि पड़ौसी राज्यों में क्या इस बारे में नियम हैं–इसकी जानकारी करने के लिए सरकार को काफ़ी टाइम मिला है, लेकिन सरकार इस बात कि जानकारी करके, जैसा माननीय उप-मन्त्री महोदय ने कहा है, दूसरी स्टेटस में अगर सुविधायें होंगी तो उनसे कम यहां नहीं रखी जायेंगी। यह एक स्वागत योग्य बात है

उपाध्यक्षजी, एल. आई. सी. पर इस कानून को लागू करने का आश्वासन मन्त्री महोदय ने और क्लीयरली आज दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो लोग इस क़ानून को उन पर लागू करने की मांग करते हैं, सरकार जल्दी ही नोटिफ़िकेशन निकाल कर उन्हें इस एग्जेम्पशन से मुक्त करेगी। लेकिन जहां तक लेबर आफ़िसर का सवाल है पेमेन्ट आफ़ वेजेज एक्ट के बारे में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है, पर दूसरे महत्वपूर्ण क़ानून हैं, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन एक्ट ये तीनों ही इम्पॉर्टेन्ट लेबर क़ानून हैं। इनके बारे में भी विचार करें। जो डिस्प्यूट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉईज के बीच में पैदा होते हैं उनको तय करने का मौजूदा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये अगर वहां एम्प्लॉयर और इम्प्लॉईज के रिलेशन को स्वीकार किया है, स्टेट के इन्टरवेन्शन को कबूल किया है तो रेशनली, लोजिकली इन तीनों क़ानूनों से इन एम्प्लॉयर्स को, मजदूर वर्ग को अलग, रखने में कोई दलील नहीं है। दुर्घटना में चोट लग जाय, तो मुआवजा देने के लिये मालिक को जिम्मेदार ठहराना चाहिये, उसे मजबूर करना चाहिये, मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मिनिमम तनख्वाहें दें, एक कमेट

Page No. 74

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपॉइन्ट करके मिनिमम वेजेज तय करायें, स्टेन्डरर्डाइजेशन करें। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत उनको सुविधाएं दें कि वे लोग आपके लेबर कोर्ट्स की पूरी सुविधा उठा सकें, इसको और क्लीयरली करें। अभी खींच ताम कर के कह दिया कि इन्डस्ट्रियल-डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत डिस्प्यूट्स को लेते हैं, पर यदि कानून में संशोधन हो जाय तो जो शंकाएं हैं वे मिट जायेंगी और जिन सुविधाओं से वे वंचित हैं वे उन्हें मिल जायेंगी।

सरकार चाहे तो इस पर राय जान ले, पर मैं समझता हूं १० हज़ार की आबादी वाले कस्बों की बात को लागू करना चाहिये; क्योंकि सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट सेशन में एमेंडिंग बिल ला रही है इन मूल बातों का अमेन्डमेन्ट रखेगी तो मैं चाहूंगा कि इम्प्लॉईज़ के प्रति निधियों से मिल कर बात करे, उनके सुझावों को और इन्क्लूड करे। मेरा अमेंडिंग बिल बहुत कम्प्रीहेन्सिव नहीं है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। इसलिये अगले सेशन में सरकार इस बिल को लाये उससे पहले इनके संघ हैं, जयपुर में हैं, जोधपुर में हैं, अलवर में हैं उनकी मीटिंग बुला कर उनके सामने विचार करें। इस आशा के साथ मैं इस बिल को वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने जो बिल रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानंद अग्रवाल : I withdraw the bill

श्री उपाध्यक्ष : Bill withdrawn.

(विराम)

नेक्स्ट

राजस्थान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधयक, १९६३

(वापिस लिया गया)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान मेटरनिटि बेनिफिट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो मैं प्रस्तुत कर रही हूं वह बहुत ही नेक इरादे के साथ प्रस्तुत कर रही हूं। मेटरनिटि बेनिफ़िट एक्ट जो पहले राज्य से बनाया गया था उसका साफ़ मतलब यह था कि प्रसूति में औरतों को लाभ पहुंचाया जा सके, पर उसे बनाये काफ़ी अर्सा हो गया, इस कारण उसमें इतनी कमियां रह गई कि हमें इसमें संशोधन करना बहुत लाजमी और ज़रूरी हो गया है। मैंने केवल तीन-चार छोटे-छोटे अमेन्डमेन्ट दिये हैं। क्योंकि पिछले चार-पांच वर्षों में आर्थिक स्थिति इतनी बदल गई है कि जो पहले कानून बनाया हुआ है वह नाकाफी है। प्रसूति स्त्रियों की दशा को देखते हुए उनके हित हेतु यह संशोधन बिल मैं इस सदन में प्रस्तुत करती हूं। सदन ने इसे पास कर दिया तो स्त्री–जगत के लिये प्रसूति अवस्था में जो स्त्रियां होती हैं उनके लिये यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मैंने जो अमेन्ड-मेन्ट रखे हैं वे बहुत छोटे हैं, परन्तु वे बहुत जरूरत के हैं, अहम हैं; उन्हें स्वीकार करने में राज्य को किसी प्रकार की पशोपेश नहीं होनी चाहिये।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मैंने जो पहला अमेन्डमेन्ट रखा है उसमें यह है कि मेटरनिटी लीव बच्चे के जन्म से पहले और बाद में प्रीनेटाल और पोस्ट नेटाल ६ सप्ताह बच्चे के जन्म से पहले और ६ सप्ताह बच्चे के जन्म के पश्चात्, जो पहले के कानून में रखी गई है उसे बढ़ा कर ८ सप्ताह पहले और ८ सप्ताह बच्चे के जन्म के पश्चात् इस प्रकार आठ-आठ सप्ताह की छुट्टी करदी जाय। सारा सदन इस बात से परिचित है, प्रसूति के समय जो प्रसूति की स्थिति होती है उससे सब परिचित हैं· · · ·

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, स्वास्थ्य) : सब नहीं हैं, साहब।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभी जानते हैं। You are the father of ten children and you should know.

श्री निरन्जननाथ आचार्य: I have not had that Privilage.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो ८ सप्ताह की छुट्टी पहले और ८ सप्ताह की पीछे कर देनी चाहिये। ८ सप्ताह की छुट्टी पहले आवश्यक है, क्योंकि दो महीने पहले प्रसूति को आराम मिलना बहुत आवश्यक है। बच्चा होने के बाद भी स्वास्थ्य को देखते हुए, प्रसूति के स्वास्थ्य की दृष्टि से ६ सप्ताह के बजाय ८ सप्ताह की छुट्टी की जानी चाहिये।

मेरा दूसरा अमेंडमेण्ट यह है कि अब तक मौजूदा कानून में प्रसूति मेटरनिटि के वक्त जब घर में रहती है तो प्रतिदिन १२ आना मजदूरी के तौर पर दिया जाता है। आज के भावों में और आज से १० साल पहले के भावों में बड़ा भारी अन्तर आ गया है। आज के भावों को देखते हुए १२ आना बहुत ही कम है। मेरा अमेन्डमेन्ट है कि १२ आने के स्थान पर बढ़ा कर २ रु. का प्रावधान कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि मेटरनिटि के समय दवा-दारू आदि के खर्च के लिये १०) रु० दिया जाता रहा है। एक सोचने की बात है कि प्रसूति-काल में १०) रुपये से क्या हो सकता है? इसके लिये मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि १०) रुपयों को बढ़ा कर २००) रुपया कर दिया जाय। इस तरह के भावों को देखते हुए, प्रसूति के स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे दवाइयां और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के लिये देखा जाय तो २००) रु० कम हैं, फिर भी मैंने २००) रु० ही रखा है।

ऐसे तीन-चार छोटे-छोटे अमेन्डमेन्ट हैं। मैं सदन से प्रार्थना करूंगी कि आप एक मत से इस अमेन्डमेन्ट बिल को पास करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सिलेक्ट कमेटी के लिये मोशन है, आपका?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत : नहीं विचारार्थ लिया जाय, यह प्रस्ताव है।

तो मैं इस बिल के लिये र्थना करूंगी कि औरतों और खास तौर से मजदूर औरतों की गर्भावस्था की स्थिति को देखते हुए आप सब इसका समर्थन करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी सदन में राजस्थान

(श्री फूलचन्द जैन)

मेटरनिटी वेनिफिट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ सदन में पेश किया गया है और इस सम्बन्ध में जो स्थिति इस बिल के पेश करने के सम्बन्ध में बताई गई है, मैं समझता हूं कि उसके बारे में सदन के इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह बहुत ही स्पष्ट और सीधी सी बात है। एक तो इस बिल में प्रावधान रखा जाने का कहा गया है कि जापे से पहले और बाद में जो ६-६ सप्ताह की छुट्टी दी जाती है उसके बजाय ८-८ सप्ताह पहले और आठ सप्ताह बाद में छुट्टी की अवधि कर देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहस-मुबाहिसे की बात नहीं है और यह वाजिब मांग है। आज जब यह विषय हमारे सामने आया है तो निश्चित रूप से इसे मान लिया जाना चाहिये।

दूसरे, यह प्रावधान रखने का कहा गया है कि प्रसूति के समय १२ आना प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है, उसके बजाय दो रुपया रोज दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि जिस समय यह एक्ट बना उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में जो फर्क आया है, उनको देखते हुए इस दर में वृद्धि की जानी चाहिये।

तीसरी ... या ग्यारह के बारे में १०) रुपये का प्रावधान हमारे पुराने बिल के अन्दर रहा है मैं समझता हूं कि यह स्वयं सरकार भी सोच सकती है कि आज १०) रुपये के अन्दर कोई भी आज की स्थिति में क्या व्यवस्था कर सकता है ? इस सम्बन्ध में मैं यह तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि १०) रुपये बढ़ा कर २००) रुपये कर दिया जाय, परन्तु मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि १०) रुपये इतने कम हैं कि इसके अन्दर जितना भी सम्भव हो सके उतनी बढ़ोतरी करें।

इसी सम्बन्ध में मैं इतना और निवेदन करूं और माननीय उपमन्त्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले जो दो बिल इस सदन में आए थे और उनकी भावनाओं को मानते हुए भी अनेक कारणों से उनको स्वीकार नहीं किया गया है, आगे उचित समय पर एक्ट के द्वारा लिया एक्ट में संशोधन के समय उन भावनाओं पर बोलूंगा; जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट है जिसमें मोटे तौर पर तीन मुद्दे उठाए गए हैं और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि उनको देखते हुए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसे राज्य सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर जो मैटरनिटी बेनीफिट्स बिल के बारे में संशोधन और सुझाव आए हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मैं उनके समर्थन में दो शब्द भी कहना चाहता हूं और उसके साथ ही साथ इस बात का भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात की जांच भी करे कि जो इस प्रकार से बेनीफिट्स रखे हैं वे बेनीफिट्स मिलते भी हैं या नहीं। ऐसी भी कुछ बातें हैं जिन पर सरकार को कुछ ख्याल करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक ऐसे बेनीफिट्स का सवाल

(श्री मुरलीधर व्यास)

है ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। आप देखिये कि हमारे यहां पर जितने भी अपने म्युनिसिपल कर्मचारी हैं जो सफाई का काम करते हैं उनमें अधिकांश महिलाएं हैं, हरिजन कर्मचारी हैं और आज के युग में आप इस बात को भी देखेंगे, हर गांव में चले जाइए इंडस्ट्रीज में चले जाइए, हमारे यहां जैसे ऊन की इंडस्ट्री है, इसमें अधिकांश महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं को कठिन श्रम करना पड़ता है और इतना काम करने के बावजद भी उनको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती। बीकानेर नगरपालिका के जितने भी म्युनिसिपल कर्मचारी हैं उनमें से जो सफाई का काम करने वाले हैं उनमें ७५ परसेन्ट महिलाएं हैं और उन महिलाओं की दरख्वास्तों की मैंने एक बार स्टडी की है और एक बार यहां प्रश्न भी किया। वे एक एक महीना पहले छुट्टी की दरख्वास्त देती हैं, देने के बावजद भी अधिकारीवर्ग उसका खयाल तक नहीं करते कि इसको छुट्टी दे दें. यहां तक लापरवाही होती है कि बीकानेर म्युनिसिपलिटी के अन्दर एक दो केसेज ऐसे भी हुए हैं और लेबर डिपार्टमेंट में आज तक चल रहे हैं, उनको पता है। एक महिला ने एक महीना पहले दरख्वास्त दी, उससे कहा गया, लाओ वह मेडीकल सर्टीफिकेट, लाओ। आखिर नतीजा यह हुआ कि जब दो दिन पहले उसने कहा कि मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे छुट्टी दो तो भी छुट्टी नहीं दी गई। नतीजा यह हुआ कि काम करते हुए उसकी डेथ हो गई। यहां तक इसके अन्दर लापरवाही होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सुविधाओं के बावजूद अगर समय पर छुट्टी न मिले तो उन महिलाओं का क्या हाल होगा? महिलाएं तो इस कानून को जानती नहीं। ज्यादा से ज्यादा दस्तखत करके दरख्वास्त दे सकती हैं, परन्तु उस पर ख्याल तक नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि इस प्रकार के दुष्परिणाम निकलते हैं।

मैं एक ऐसा दूसरा केस बताता हूं। इसी प्रकार एक और हरिजन महिला है जिसने छुट्टी की दरख्वास्त दी उसके बाद में उस पर विचार नहीं हुआ। आखिर जब दो दिन रह गए उसके लिए यूनियन की तरफ से रिप्रे-जेन्टेशन दिया गया, हालत उसकी यह हुई कि छुट्टी तो नहीं दी गई और डिलीवरी का समय आ गया। क्योंकि वह एक हरिजन महिला थी, इसलिये अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं हुई, नतीजा यह हुआ कि जब उसने अस्पताल के अन्दर प्रवेश किया, उसका वार्ड बन रहा था, उसमें देरी हुई, डिलीवरी वहीं पर हो गई। उसको एडमिट भी नहीं किया गया और चारों तरफ कपड़ा लगाकर डिलीवरी कराई गई। तो इस प्रकार से लापरवाही होती है, चाहे म्युनिसिपल कर्मचारी का सवाल हो चाहे कॉन्ट्रेक्टर लेबर का सवाल हो। ठेकेदार पर यह वाइंडिंग नहीं है अपने बिल में कि वहां महिला को प्रसूति का लाभ मिलना चाहिये। पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर भी महिला को लाभ नहीं मिलता। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कम से कम जहां महिलाओं ने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी है और वह मन्जूर नहीं हुई है, ऐसे केसेज में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान भी सरकार को रखना चाहिये। इसलिये यह जो संशोधन है वह महत्वपूर्ण है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि खासतौर से गरीब महिलाओं की क्या स्थिति है। ऐसी महिलाएं

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी हैं जो स्वयं ही अपने परिवार को पालने वाली हैं, बहुत से उनके झगड़े होते हैं, पति अलग रहता है, वह कहीं चला जाता है और सारे परिवार का पालन उस महिला को करना पड़ता है। तो उसके परिवार को आपने १० रु० देने का प्रावधान रखा है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वे निर्वाह कर सकते हैं। आप कम से कम इतना तो कर दें कि अपने निर्वाह के लिये जो मिनिमम वेजेज हैं वे इतने मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि न्याय संगत होगा। अगर आपने अस्वीकार किया तो इसका मतलब जो सरकार के सामने संशोधन है उसे मानने से वह इंकार करती है। या तो जैसे दूसरे दो संशोधनों के बारे में आपने कह दिया कि हम इस पर विचार करते हैं, हम संशोधन ला रहे हैं इसलिये आप इसको वापस लेलें, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या अपने संशोधनों पर मजबूत रहेंगी और इस बात को नहीं मानेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के अन्दर यह दूसरा बिल पेश है राजस्थान प्रसुति लाभ विधेयक, १९६३; इससे पहले भी दो बिल पेश हुए और सदन के अन्दर बिल पेश होने के साथ साथ आज हरेक पार्टी ने अपने अपने दिल के गुबार निकाले। सोशियलिस्ट पार्टी ने भी विचार रखे और दूसरी ओर साम्यवादी दल ने भी अपने विचार रखे। यह मैटरनिटी बैनीफिट्स का जो बिल है, कुछ मुद्दों को लेकर सदन के सामने उपस्थित है। इस बात के लिए भी इसी प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती क्योंकि समाजवादी दल यह सदन के अन्दर पेश करना चाहता था कि समाजवादी विचाराधारायें किस तरह से देश में पनपनी चाहिए। दूसरी तरफ साम्यवादी दल इस बात को कहता था कि हमारी विचाराधारा क्या है? एक से अधिक बढ़कर अपने विचार रखना चाहते थे। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि न समाजवाद में उनकी आस्था है और न समाजवाद उन्हीं का है।

(१.०० म. प.)

समाजवाद में आस्था उन्होंने पैदा की है, या समाजवाद को देश में पनपाना चाहते है या प्रजातन्त्र को देश में पनपाना चाहते हैं, इस देश में जो प्रजातन्त्र को पनपाना चाहते हैं उनको इससे पहले उस बूत को नष्ट करने की थी। उसी तरह इस बात की भी है कि किस प्रकार जापान के अन्दर और दूसरे देशों में हुआ। यह बात पहले के बिल में आ गई है। लेकिन यह बिल पेश हुआ है। ५३ में एक्ट बना, उसमें यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत हुआ है। इसमें छोटे २ मुद्दे हैं। ६ से ८ वीक दूसरा है, बारह आना में २ रुपया और तीसरा है १०) से २००)।

तीसरा जो मुद्दा है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। ५३ के बाद में जिस संख्या से मंहगाई आदि दूसरी चीजें बढ़ी हैं उसको देखते हुए १०)रु. के बजाय २००)करना वाजिब नहीं है। १०) होना चाहिये। इससे थोड़ा अधिक हो सकता है लेकिन २००) तो नहीं होना चाहिये। इससे राजस्थान सरकार के बजट पर कितना असर पड़ता है। दस रुपये से दो सौ रुपया, २० गुना।

इसमें इस प्रकार से और भी अमेन्डमेन्ट्स की आवश्यकता है। इसलिए मैं

(श्री जयकृष्ण शर्मा),

माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह बिल उन्होंने बडे प्रयत्न और दिलचस्पी से रखा है; इसके लिये उन्होंने बडी तैयार करने की कोशिश की है। वास्तव में उन महिलाओं के लिये जो समाज में बहुत बडी संख्या में हैं, जो समाज को मजबूत बनाने में बडा योग देती हैं, इसलिए उनसे निवेदन करूंगा कि यह एक्ट १६५३ में बना है और उसमें आप पहली बार यह अमेन्डमेन्ट लायी हैं, इसलिए अन्य बातों पर विचार करने की दृष्टि से भी इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो दूसरा सेशन जो कि अगस्त में आने वाला है, इसमें जितनी कमियां हैं वे दूर हो सकेंगी, वे जिन और बातों को उचित समझेंगी रख सकेंगी, अन्य माननीय सदस्य भी योग दे सकेंगे। प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट आगामी सत्र में प्रस्तुत कर देगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मीबाईजी ने जो बिल सदन में रखा है वह बडा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सदन को इस पर विचार करना चाहिये। दो जातियां है मनुष्य की; एक मातृ जाति और और दूसरी पितृ जाति। मातृ जाति का आज हुकूमत में हाथ नहीं है। इन्स्टीट्यूशन बनाते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो आज आदमियों के लिए बनाते हैं। मातृ सेवा सदन नहीं है जगह जगह। सैकडों की तादाद में माताएं प्रसव के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसका दोष माताओं का नहीं है, यह सरकार का है और उस समाज का है जिनको यह मालूम होना चाहिये कि माताओं को कहां तकलीफ होती है। इसके लिए गाव गांव में मातृ सदन खुलने चाहिए। इस बिल से ही काम नहीं चलेगा। जहां आप जनरल हास्पिटल बनाते हैं वहां तो मातृ सेवा सदन होना ही चाहिये। यहां तो है। डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, और छोटे छोटे गावों में नहीं है। आप वहां पर उनके इलाज की सारी व्यवस्था कीजिये। हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ साथ उनका भी इलाज शुरू कीजिये।

६ सप्ताह के बजाय ८ सप्ताह हो जाना चाहिये। आपने छः सप्ताह रखा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि एन वक्त तक मालिक लोग उनको छुट्टी नहीं देते हैं, जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया। हम भी मजदूरों में काम करते हैं। वे भी करते हैं। महिलायें दर्ख्वास्त पर दर्ख्वास्त देती हैं लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक टाइम है, आज बच्चा हो जाता है तो उनको आज से छुट्टी मिलेगी। आपको एक नहीं ऐसे सैकडों केस मिलेंगे। आपको इस पर सख्ती से अमल करना पडेगा। ज्योंहि डाक्टर ने लिखा कि-इसको आराम की जरूरत है फौरन उसी दिन से उसको छुट्टी दे देना चाहिये ८ सप्ताह तक। यह ४८ का एक्ट था और अपने यहां ५३ में लाया गया। उस वक्त ६ रखा था तो अब तो बहुत जमाना बीत गया है, ६ के बजाय ८ कर दीजिये। मातृ जाति के नाम पर भी इसको मान लेना चाहिये। सदन की इसमें कोई दो राय नहीं है। यह तो हो गया पहला।

दूसरा यह है कि बारह आने से २) किया जाय। यह मजाक है। एक तो छुट्टी देते हैं इस बात पर कि कष्ट है, पीडा है,

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

उस हालत में उस मां को कहेंगे कि बारह आना देंगे। आपको तो उनको अधिक देना चाहिये। मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत २) करेंगे आप टैक्सटाइल वगैरह में (७५) (८०) वेतन है। आप उनको भी सवेतन छुट्टी दीजिये। २) रुपया कहते हैं तो भी ठीक नहीं है। दो रुपया तो उनके लिये ठीक हो सकता है जिनको कम मिलता हो। मुझे विश्वास है कि दो रुपया कम से कम राजस्थान सरकार सब ही इन्डस्ट्रीज में काम करने वालों को मिनिमम दिलाने वाली है। कम उससे करने वाली नहीं है, यह मुझे भरोसा है। इसलिये इसको सवेतन छुट्टी दी जाय, यह कर दीजिये। जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है वे इस बात को जरूर मान जावेंगी कि सवेतन छुट्टी दी जानी चाहिये। बारह आने तो तब रखे थे जब १९४८ में यह एक्ट बना था। उस समय बारह आना औरत के लिए और सवा रुपया आदमी के लिए रखा गया था। आज के समय और उस समय में बड़ा फर्क है। मिनिमम वेजेज का जितना पैसा हो जाना चाहिये, यह सरकार ने भी माना है। इसलिये दो से ज्यादा ही होगा, कम का प्रश्न ही नहीं उठता।

तीसरी यह है कि १०) रुपये के बजाय २००) रु० दिया जाय। मैं समझता हूं, यह ज्यादा है। आबादी जहां कम करनी चाहते हैं बढ़ेगी। हर एक चाहेगा कि उसको २००) मिल जाय। इसलिए २००) के बजाय ५०) रु० कर दीजिये, २५) रु० कर दीजिये २००) रु० तो ज्यादा हो जावेगा। अगर यह रकम राजस्थान सरकार को देनी पड़े तो उसके बजट पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। नगरपालिका में किसी महिला हरिजन को देना पड़े तो यह २००) अधिक हो जायगा। जब सवेतन छुट्टी देना चाहते हैं और ६ हफ्ते के बजाय ८ हफ्ते की देना चाहते हैं, २००) की फिर मांग करें, यह उचित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): पहली डिलीवरी पर दो सौ रुपया हो जाय। दूसरी का आप जैसा कह रहे हैं। आबादी बढ़ जायगी तो कम कर दिया जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: कम करने की बात सोचें।

तो तीसरी बात तो माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है वे वापिस ले लेंगी, या इसको राजस्थान गवर्नमेंट पर छोड़ देंगी।

यह बड़ा सुन्दर सा संशोधन बिल है। मैं समझता हूं इस सदन को इस सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं होना चाहिये। होगा तो अच्छी बात नहीं होगी। जिस पीड़ा को, जैसे आचार्यजी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। आचार्यजी नहीं जानते हैं, लेकिन आचार्यजी की मां जरूर जानती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): ये नहीं जान सकते। इनके कोई लड़का ही नहीं है, पत्नी भी नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आप नहीं जानते, आपकी माताजी जानती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): हमारी भोजाई नहीं जानती है क्योंकि है ही नहीं

Page No. 81

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : इसको आप छोडिये । माताजी से पूछिये कि कितनी पीडा होती है ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाडा** (रायसिंहनगर) : आपको भी पीडा उठती है ।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो मेटरनिटी वेनिफिट (अमेन्डमेन्ट) बिल सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

माननीय सदस्या ने जो अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं जिस पर दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, दस रुपये जो दिये जाते हैं वे बहुत कम हैं जो प्रसूता को खाने के लिये चीजें देते हैं उसके भाव काफी बढ चुके हैं । इन हालात को देखते हुए दस रुपया कम है । इसको बढाया जाना चाहिये और यह राज्य सरकार पर छोड दिया जाना चाहिये । वह जितना उपयुक्त समझे प्राइसेज की इन्क्रीज को देखते हुए इस बारे में गंभीरता से विचार करके जो भी निर्णय करे वह मान लेना चाहिये ।

इसके साथ ही जो फीमेल कर्मचारी हैं उनको ६ हफ्ते का अवकाश के बजाय ८ हफ्ते का जो अवकाश का प्रस्ताव रखा गया है वह भी स्वागत योग्य है, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी अवस्था में ६ सप्ताह का अवकाश बहुत कम पडता है, साधारणतया प्रसूति की हालत को इम्प्रूव करने में ८ सप्ताह होना ना वाजिब प्रतीत होता है । यह भी संशोधन राज्य सरकार को मान लेना चाहिये ।

इसके अलावा एक अमेन्डमेन्ट के जरिये २००) रुपये की मांग की है । मुझे भी यह २००) रुपया अधिक प्रतीत होता है, राज्य सरकार इस बारे में सोचे दस रुपये से तो ज्यादा होना निहायत जरूरी है। अमेन्डमेन्ट्स के जरिये जो भी संशोधन चाहे गये, वे सब वाजिब हैं । इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये । माननीय सदस्या ने जो संशोधन रखे हैं उनसे हमें पूर्ण सहमति है । राज्य सरकार को भी इसके मानने में किसी प्रकार का आग्रह नहीं करना चाहिये । इस वाजिब मांग को मानने में भी सरकार को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाडा** (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मेटरनिटी बेनीफिट बिल उपस्थित हुआ है यह सन् १९५३ के बिल में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । माननीय सदस्या ने उसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत किये हैं जिससे जच्चा-बच्चा को अधिक फायदा पहुंचाने की बात इसमें कही गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के प्रावधान का ताल्लुक है, तीन विशेष फायदे जच्चा को देने का प्रयत्न इनमें किया गया है । एक तो छुट्टी के पीरियड को ६ सप्ताह से बढ़ाकर आठ सप्ताह करने की बात कही गई है और छुट्टी के दौरान में १२ आने से बढ़ा कर दो रुपया दिलाने का प्रयत्न किया है । छुट्टी में जो दस रुपया मिलते थे उसकी जगह दो सौ रुपया दिया जाय, यह भी कहा गया है । मैं समझता हूं, हमारी बजट स्थिति को देखते हुए इस संबन्ध में सरकार के रुदन और क्रन्दन सुनते हुए, माननीय सदस्या ने कम से कम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फायदा दिलवाने का प्रयत्न किया है । जब यह बिल प्रस्तुत किया गया होगा तब माननीय सदस्या के दिमाग में अर्थ–स्थिति का भूत जरूर मौजूद होगा, वर्ना जिस स्थिति के अन्दर मातायें जन्म देती हैं उस स्थिति का थोडा सा अवलोकन किया जाय तो वैसी दर्दनाक स्थिति संसार के कम देशों में होती है । मजदूरी करके अपना पेट भरने वाली मातायें–बहिनें ऐसी गम्भीर स्थिति के अन्दर हैं, विशेषकर खान में काम करने वाली मजदूर माताएं और बहिनें जिनके संबन्ध में भारतवर्ष में कई एक्सपर्ट कमेटियां बैठीं हैं, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिस समय उनके बच्चा होता है, उन माताओं को प्रसव के थोड़े अर्से के बाद ही अपने बच्चों को किसी पेड़ की छाया में रखकर खान में नीचे काम करने को जाना होता है । कई जगह ऐसी स्थिति भी होती है जहां दस दिनों से अधिक विश्राम करने को नहीं मिल पाता कि आर्थिक मजबूरी के कारण उनको काम पर जाना पड़ता है, अपनी रोजी कमाने के लिये उनको जाना पड़ता है । चाहे रोडी कूटने का धन्धा हो, चाहे कारखाने की सील भरी जगह हो, सड़कों का कार्य हो, चाहे मशीनरी वर्क हो, उनको जाना होता है । राजस्थान की लाखों महिलायें आज सारे भारतवर्ष में इमारत का काम करने के लिये जगह जगह फैली हुई हैं । दिल्ली की भव्य अट्टालिकायें, बंबई की गगन चुम्बी इमारतें इन्हीं की निर्मित की हुई हैं । आज दिल्ली में तीन लाख प्रवासी मजदूर विराजमान हैं जिसमें से डेढ़ लाख ऐसी औरतें हैं जो इस बिल के तहत आती हैं ।

अहमदाबाद की मिलों को लीजिये वहां पर काम करने वाले राजस्थान के लाखों मजदूर हैं, आज स्थिति यह है कि प्रसव के तुरन्त बाद ही उनकी महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है । ऐसी स्थिति के अन्दर माननीय सदस्या ने जो दो रुपये देने का कहा है वह बहुत ही नॉमीनल है, उससे अधिक होना चाहिये । अगर हम मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्दर मिलने वाले वेतन को ही आधार मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा । जब बीमारी की हालत हो उस स्थिति में मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार आठ हफ्ते तक वही वेतन मिलना चाहिये । उन्हें उसी प्रकार से डेली वेजेज आठ सप्ताह के लिये मिलनी चाहिये । यह सरकार के लिये अधिक होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मिनिमम वेजेज एक्ट में महिलाओं की डेली वेजेज का प्रश्न है, अधिकतर स्थानों के ऊपर २ रुपये से कम ही प्राप्त होता है दो रुपये से अधिक का प्रावधान किया जाय तो उचित होगा ।

आठ सप्ताह की छुट्टी हो यह भी बहुत आवश्यक है क्योंकि डाक्टरों का यह मानना है कि माता के प्रसव के बाद उसका एक प्रकार से नया जन्म होता है । इसलिये हर प्रसव के बाद कम से कम आठ सप्ताह की छुट्टी मिलनी चाहिये, ताकि इतने समय में इस योग्य हो सकें कि वह शारीरिक श्रम कर सकें । इसलिये छः सप्ताह का समय बहुत कम है, इसको मानते हुए आठ सप्ताह का समय रखा जाय । दस रुपये के स्थान पर २०० रुपये देने का प्रावधान जच्चा-बच्चा को जो किया गया है, वह मैं समझता हूं राजस्थान में जो आंकड़े हैं मिडवाइफ्ज के उनको देखते हुए यह दो सौ रुपये भी थोड़े हैं । आज हमारे यहां मिडवाइव्ज की बहुत कमी है । इनकी कमी के कारण हम देखते हैं, सैकड़ों औरतें प्रसव काल में ही मृत्यु के ग्रास में चली

(श्री योगेन्दनाथ हांडा)

जाती हैं। गांवों में तो मिडवाइव्ज पहुंच ही नहीं पातीं। यदि गांवों में ऐसे केसेज खराब हो जाते हैं तो उनको हॉस्पीटल तक लाने में रास्ते में ही वे मृत्यु के काल में फंस जाती हैं।

ऐसी दशा के अन्दर और इसके साथ साथ इस दो महीने के काल में जितनी औषधियों की और डाइट की आवश्यकता पडती है उसके लिये माननीय सदस्य है, २०० से ३०० रुपये का भी प्रावधान करते तो कम रहता। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि सारे आंकड़े कम हैं और इस बिल को सरकार पास करे, यह बहुत आवश्यक बिल है। राष्ट्र की नई धरोहर का प्रतीक बिल है यह। यह बिल माता सम्बन्धी बिल है। उस बालक की, आने वाली भविष्य की सन्तान का बिल है, इसलिये इस बिल को पास करना चाहिये।

श्री **भवानीशंकर नन्दवाना** (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान प्रसूति लाभ अधिनियम (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिये इस सम्बन्ध में एक कानून पारित किया है जिसको राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल चुकी है और राजस्थान में भी उसके अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में अलग से विधेयक और नियम यहां बनाने की आवश्यकता नहीं है।

जल्दी ही इस बारे में सारे हिन्दुस्तान में एकसा ही कानून लागू हो जावेगा। इसलिये राजस्थान में अलग से संशोधन या कानून बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नियम बनाये जा रहे हैं इस सम्बन्ध में उनको जल्दी ही सदन की मेज पर रख दिया जावेगा।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की कृपा करें।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) आपको वाइफ और मिडवाइफ में फर्क मालम पड़ा या नहीं ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री), शिक्षा) : आपके मिडवाइफ भी है।

श्रीमती **लक्ष्मीकुमारी** चूंडावत (भीम) : मैं जानकारी प्राप्त करना चाहती हूं कि जो नियम बनाये जावेंगे अपने यहां वे अलग से बनाये जावेंगे या सारे देश भर में जो बनाये जावेंगे वे ही होंगे ?

श्री **भवानीशंकर नन्दवाना** : मोडल नियम अलग होंगे, पर उस कानून के अनुसार ही होंगे।

श्रीमती **लक्ष्मीकुमारी** चूंडावत : मैं, जब कि इस प्रकार का कानून आ रहा है और उसके अन्तर्गत नियम भी बनाये जा रहे हैं, तो इसको विथ्ड्रा करती हूं। इसके लिये आज्ञा दिलाएं।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्या को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No. 84

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं अपना प्रस्ताव . . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आज्ञा न दी जावे, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत अच्छा है। सरकार की मंशा नहीं है कुछ करने की।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आ रहा है न बिल और कानून के नियम; सभी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस आश्वासन पर जनता नहीं रह सकती; "आ रहा है, आ रहा है," कह रहे हैं पर सिनेमागृह में यह चलचित्र कभी नहीं आवेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Please withdraw.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं विथड्रा करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Bill stands withdrawn.

सदन की कार्यवाही सोमवार प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.२५ को सोमवार, दिनांक ६ अप्रैल, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६४)

स्कंम

१. माननीय अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन्डिया से प्राप्त हुई न्यायपालिका-विधायका संबंधी सूचना की घोषणा सदन में की। १

स्थगन-प्रस्ताव

२. माननीय अध्यक्ष ने श्री रामानन्द अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों को राणा प्रताप सागर डेम पर मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा मजदूरों को मिनिमम वेजेज देने एवं अन्य स्थगन-प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। २

३. शासकीय विधायी कार्य पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६४, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया गया।

४. गैर सरकारी विधायी कार्य ७

(१) राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, श्री रघुनाथ बिश्नोई, सदस्य विधान सभा, ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक प्रभारी सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।

स्कम्भ

(२) विधेयक पुरःस्थापित

श्री मथुरेश बिहारी माथुर, सदस्य विधान सभा ने, सभा को आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित किया। ९२

(३) विचारार्थ लिये गये विधेयक ९३

(क) राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, १९६३:—

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा ने, विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक प्रभारी सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।

(ख) राजस्थान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, १९६३:—उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत द्वारा प्रस्तुत किया गया। १४८

वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक प्रभारी सदस्या द्वारा वापिस ले लिया गया।

सोमवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६४ की कार्य-सूची

राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक, १९६४
(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

* शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
–२	शीर्ष	**कार्यवाही क ।**	**कार्यवाही का**
	१-२	शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६४ १]	१] शनिवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६४
	१५	**सायर डेम**	**सागर डेम**
	शीर्षक	–४ अप्रल, ६४,	–४ अप्रेल, ६४–
	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	—
	३	**नियत्रण**	**नियंत्रण**
	शीर्षक	भ-गृहादि	भू-गृहादि
,,	१०	स्टेट में श में	स्टेट में शुरू में
,,	११	बाद सर ने	बाद सरकार ने
१४	शीर्षक	ाधेयक	विधेयक
,,	१	नाममन्जूर यानि	नामन्जूर हुई यानी
२१-२२	शीर्षक	-४ अप्रेल '६४-	-४ अप्रेल, ६४ -
२३	२३	**श्री मथरादास माथुर**	**श्री मथुरादास माथुर**
,,	२५	**विश्नोई**	**बिश्नोई**
३३ व ३७	शीर्ष	विश्नोई)	बिश्नोई)
३५	शीर्षक	-४ अप्रल, ६४	–४ अप्रेल, ६४–
,,	शीर्ष	(श्री रघनाथ	(श्री रघुनाथ
४३	शीर्षक	भू-गृहादि विधेयक-किराया और	-भू-गृहादि विधेयक
४४	२४	**ले ।)**	**लेना)**
४६	२१	**श्री मथुरदास माथुर**	**श्री मथुरादास माथुर**
५१	शीर्ष	(श्री मथरादास	(श्री मथुरादास
५२	१	**विश्नोई**	**बिश्नोई**
,,	७	**श्री योगेन्द्रनाथ**	**श्री योगेन्द्रनाथ**
६०	२	श्री **मकुटबिहारीलाल**	**श्री मुकुटबिहारीलाल**
६६	शीर्ष	(श्रीरामकिशन	(श्री रामकिशन)

१	२	३	४
७०	४	**विश्नोई**	**बिश्नोई**
७१	शीर्षक	भ-गृहादि	भू-गृहादि
७२ व ७३	क्रमश:१८, २७ व १०	**विश्नोई**	**बिश्नोई**
७४	११	**आचा ि**	**आचार्य**
७७ व	७८ क्रमश: ३ व २४	**विश्नोई**	**बिश्नोई**
७९	अन्तिम से ६	,,	,,
८१	२७	**श्री निरजननाथ**	**श्री निरंजननाथ**
९२	शीर्षक	नियंत्रण) वन संशोधनविधेयक	–नियंत्रण) विधेयक
१११	शीर्ष	(श्री रामानन्द	(श्री रामानन्द
११३	२२	**श्री रामानन्द अग्रवाल**	**श्री रामानन्द अग्रवाल**
१२१-१२२	शीर्षक	-४ अप्रल, ६४	–४ अप्रेल, ६४–
१२९	शीर्षक	दुकान और	दूकान और
१३०	१४	**हाडा**	**हांडा**
१३४	अन्तिम से ७	**श्री निरंजननाथ**	**श्री निरंजननाथ**
१३५	१९	**श्री योगेद्रनाथ**	**श्री योगेन्द्रनाथ**
१४१	शीर्षक	दूकान औस	दूकान और
१४२	३	**चुण्डावत**	**चूण्डावत**
१५०	२३	**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडा वत**	**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत**
१६१	४	**हाडा**	**हांडा**
,,	६	**विश्नोई**	**बिश्नोई**
१६३	शीर्षक	(संशाधन)	(संशोधन)
१६५	शीर्ष	(श्री योगेन्दनाथ	(श्री योगेन्द्रनाथ
१६६	११	मालम पड़ा	मालूम पड़ा
,,	१२-१३	(उप मंत्री), शिक्षा)	(उप मंत्री, शिक्षा)
,,	२२	**चंडावत**	**चूण्डावत**
१६७	शीर्षक	(संशाधन)	(संशोधन)
१६८	१	**श्री उपायदक्ष :**	**श्री उपाध्यक्ष :**

*नोट :—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।